खण्ड–496, अंक–5
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1937
(08 मार्च, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 496 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित नियम–56 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध ...	7
प्रश्न प्रहर स्थगित करके मुख्य मंत्री के भाषण से पूर्व कार्य सूची की अन्य मदें पहले लिये जाने का प्रस्ताव	7–8
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई	8–9
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	9
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का बाइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	9
जनपद फैजाबाद को रुदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे रोनाही तटबन्ध पर नयेपुरा के पास सैकड़ों गांवों के जलभराव दूर किये जाने हेतु पम्पिंग स्टेशन की स्थापना विषयक श्री सन्तोष यादव आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	9
जनपद फैजाबाद को रुदौली के अन्तर्गत एन0एच0–28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी में प्रस्तावित 100 शैय्या का ट्रामा सेन्टर की स्थापना विषयक श्री चन्द्रिका चौहान आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	9
जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद आदि के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने विषयक श्री रामबाबू आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	10
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के ग्राम गोपालपुरा आदि ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने विषयक श्री राजीव कुमार आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... . जनपद फैजा	10
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	10–11
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	11–12
मुजफ्फरनगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन की जांच हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने	12

विषय	पृष्ठ–संख्या
विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 मार्च, 2016 पर चर्चा (जारी) ...	
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	12

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	12–17
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित)	17–18
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 (पारित)	18–30
उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (पारित)	30–75
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (पारित) ...	75–95
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	95–103
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 (पारित) ...	103–109
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	109–113
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 के पारण पर असहमति (पारित)	113–114
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (पारित) ...	114–115
विगत सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित एवं श्री राज्यपाल के यहां हस्ताक्षरार्थ लम्बित नगर निकायों सम्बन्धी विधेयकों का प्रकरण ...	115–117
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान	117
अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	118–119
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	119–120

अनुदान संख्या–92 संस्कृत विभाग (स्वीकृत)... 120
अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) 120–121
अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) 121–161
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (पारित)... 161–169
आवास से वंचित नये विधायकों को आवास आवंटन तथा प्रदत्त अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी 169–173

विषय	पृष्ठ–संख्या
मुजफ्फरनगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन की जांच हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 मार्च, 2016 पर चर्चा	173–179
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	179–185
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलिया एवं पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाबचन्द सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	185
सदन की आगामी बैठक के सम्बन्ध में सूचना...	185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–324

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
26. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 बरेली
28. अरुण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
31. अली युसूफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
37. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
38. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
39. आनन्द सेन, श्री फैजाबाद
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
47. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
48. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती

53. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमाशंकर, श्री बलिया
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
65. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66. काली चरन सुमन, श्री आगरा
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
69. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
83. गोमती यादव, श्री लखनऊ
84. गोरख पासवान, श्री बलिया
85. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
86. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जगपाल, श्री सहारनपुर
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
94. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
95. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
96. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
97. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
98. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
100. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
101. तसलीम, श्री बिजनौर
102. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
103. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
104. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
105. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
106. दलजीत सिंह, श्री बांदा
107. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
108. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
109. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
114. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
115. धर्मराज, श्री बाराबंकी
116. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
117. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
118. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
119. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर

120. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
121. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
122. नारद राय, श्री बलिया
123. नाहिद हसन, श्री शामली
124. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
125. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
126. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
127. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
128. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
129. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
130. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
131. पीतमराम, श्री पीलीभीत
132. पूजापाल, श्रीमती इलाहाबाद
133. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
137. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
138. प्रभूदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
139. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
140. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
141. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
142. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
143. फेरन लाल, श्री ललितपुर
144. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
145. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
146. बदलू खां, श्री उन्नाव
147. बाबू खां, श्री हरदोई
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
151. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
152. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
156. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
157. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
158. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
159. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
162. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
163. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
164. मनीष रावत, श्री सीतापुर
165. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
166. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
167. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
168. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
169. महबूब अली, श्री अमरोहा
170. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
171. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
172. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
173. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
175. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
176. माबिया अली, श्री सहारनपुर
177. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
178. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
179. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
180. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
181. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
182. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
183. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
184. मुहम्मद रमजान श्री श्रावस्ती
185. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर

186.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
187.मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
188.मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
189.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
191.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195.मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196.यासर शाह, श्री बहराइच
197.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
199. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
200.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
201.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
202.रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
203.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
204.रणजीत सुमन, श्री एटा
205.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
206.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
207.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
208.राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
209.आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
210.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
211.राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
212.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
213.राजकुमार रावत, श्री मथुरा
214.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
216.राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
217.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
218.राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
219.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
220.राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
221.राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
222.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
223.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
224.राधे श्याम, श्री अमेठी
225.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
226.राम करन आर्य, श्री बस्ती
227.रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
228.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
229.राम गोविन्द, श्री बलिया
230.रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
231.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
233.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
234.राम मगन, श्री बाराबंकी
235.राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
237.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
238.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
239.रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
240.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
241.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
242.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
243.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
244.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
245.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
246.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247.लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
248.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
249.ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
250.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
251.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
252.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
253.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
254.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
255.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद

256.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
257.विजय मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
258.विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
259.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
260.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
261.विजय सिंह, श्री रामपुर
262. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
263.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
264.विनोद कुमार उर्फ
पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
265.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
266.विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
267.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
268.वीरपाल राठी, श्री बागपत
269.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
270.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
271.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
272.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
273.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
274.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
275.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
276.शाकिर अली, श्री देवरिया
277.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
278.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
279.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
280.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
281.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
282.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
283.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
284.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
285.श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
286.श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
287.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
288.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
289.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
290.संजय कपूर, श्री रामपुर
291.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
292.सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
293.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294.सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
296.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
297.सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
298.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
299.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
300.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
301.सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
302.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
303.सियाराम सागर, डा0 बरेली
304.सीमा, श्रीमती जौनपुर
305.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
306.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
307.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
308.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
309.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
310.सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
311.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
312.सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
313.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
314.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
315.सुरेश राणा, श्री शामली
316.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317.सुल्तान बेग, श्री बरेली
318.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
319.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
320.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी

321.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर	323.हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
322.हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी	324.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित नियम–56 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने का अनुरोध

श्री कालीचरण सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

है, है, पता है।

श्री अमरपाल शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, साहिबाबाद में खुले आम लूट कर ली गई है, लूट–चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं....

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग रुकिये बैठ जाइए, पहले हमारी बात सुनिये। वहां जाते हैं तो प्रेम से बात करते हैं और यहां आकर ये करते हैं।

ख11.13, प्रश्न प्रहर स्थगित करके मुख्य मंत्री के भाषण से पूर्व कार्य–सूची की अन्य मदें पहले लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

यह तय हुआ है कि अभी प्रश्न प्रहर स्थगित हो जायेगा और विधेयक ले लिये जाएंगे और उसके बाद मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्ताव करेंगे और फिर नेता लोग उस पर भाषण करेंगे, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे। असेम्बली के आज के एजेण्डे को चर्चा के पहले ही निपटा देना चाहते हैं, जिससे की मुख्य मंत्री जी के जवाब के बाद फिर इसमें कुछ न हो। तो मैं सबसे पहले मद संख्या–3 लेता हूं सभापति ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। क्या सभापति आए हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, क्या प्रश्नकाल बाद में लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल स्थगित है।

मद संख्या–3 में समिति के सभापति अजय कपूर हैं, अभी सभापति ही नहीं आए हैं तो क्या इसको स्थगित कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि नेता सदन के भाषण के बाद.....

श्री अध्यक्ष–

कोई मेम्बर नहीं है उस कमेटी के जो इस प्रतिवेदन को रख दें।

(सदस्य बाला प्रसाद अवस्थी के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य आप इस समिति के मेम्बर हैं, तो आप ही रख दीजिए इस प्रस्ताव को।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा करिये आज आप अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग कर लें और अभी एक रेज्यूल्यूशन हो जाये कि हम सब आपसे सहमत है। नेता सदन अच्छी घोषणायें भी करने वाले हैं, अच्छा भाषण भी होता है। अच्छा नहीं लगेगा कि नेता सदन के बोलने के बाद यहां कोई कार्यवाही चले, नेता सदन के भाषण पर ही सदन उठ जाये, क्या आप सब सहमत हैं ?

(सभी माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

श्री अध्यक्ष–

सहमत हैं, चलिये प्रस्ताव पारित हो गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, आप अपनी सूची ले उसके पहले चूंकि महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश की सम्मानित महिला प्रतिनिधि दिल्ली में एक कार्यक्रम के माध्यम से लौटी हैं और आज जिस तरीके से महिलाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने की आवश्यकता है, उसमें हम सब भी प्रतिभागीदार बने क्योंकि महिला उत्थान से सभी प्रकार के उत्थान सम्भव होते हैं। महिला विभिन्न रूपों मे बेटी, बहन, मां, बहू, पत्नी या तमाम ऐसे–ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर न केवल समाज की सेवा कार्य करती है बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान तथा प्रगति में भी जब भी उसे अवसर मिलता है, वह अपने कार्यों का लोहा भी सबसे मनवाने में अग्रणी कतार में खड़ी दिखाई पड़ती है। आज अंतरिक्ष यान हो या विज्ञान का क्षेत्र, राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद हो या मुख्य मंत्री का पद या इसी प्रकार से बहुआयामी प्रतिभा के क्षेत्र में प्रतियोगी दौर में भी किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, महिलाएं पुरुषों से कहीं बहुत आगे खड़ीं हैं। इसका हमें फख्र होना चाहिए कि भारतीय संविधान ने जो समान रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, आज उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। हमें वह भी दिन याद है जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तमाम सामाजिक सुधारकों ने क्रान्ति की, शिक्षा की क्रान्ति की, महिलाओं को भी शिक्षा दिलाने का काम किया और यहां तक की तमाम दबे, कुचले, पीड़ित शोषित, मजलूम समाज के लोग, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या आदिवासी हों इनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस देश मे समय–समय पर पैदा होने वाले तमाम क्रान्तिकारियों ने सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से आन्दोलन के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से, लगातार निरन्तर जो लड़ाई लड़ी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसीका नतीजा हुआ कि आज शिक्षा हम सबके लिए समान अधिकार के रूप में मिली और हम सभी उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी हालात में चूंकि सदन आज उठेगा भी उसके पहले मेरी चाहत है कि आपके निर्देश पर सदन की ओर से इस बात पर एक सामूहिक रूप से प्रस्ताव जाना चाहिए कि महिला सशक्तीकरण के लिए जितना अधिक किया जा सके सरकारों को वह करना चाहिए यही नहीं सामाजिक संगठनों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में भी महिलाओं के सम्मान में चार चांद लगाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वह करना चाहिए इस अवसर पर, इस महिला दिवस के अवसर पर मैं पुनः आप सबको बधाई देने के साथ–साथ पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं को शुभ–कामनाएं देता हूं।

ख1.22, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का इक्कीसवां प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2004–2005) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर निगम लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2015–2016) का बाइसवां प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' 'उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2015–2016) का बाइसवां प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्रतिवेदन वर्ष (2009–2010) में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला एवं जूनियर रेडक्रास, मुरादाबाद तथा कमला नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद फैजाबाद को रुदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे रौनाही तटबन्ध पर नयेपुरा के पास सैकड़ों गांवों के जलभराव दूर किये जाने हेतु पम्पिंग स्टेशन की स्थापना विषयक श्री सन्तोष यादव आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[††]

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे रौनाही तटबंध पर नयेपुरा के पास सैकड़ों गांवों में जलभराव के दूर किये जाने हेतु पम्पिंग स्टेशन की स्थापना कराये जाने विषयक श्री

---

† Nkis ugha x;sA

†† Nkih ugha x;hA

संतोष यादव व श्री राजकरन वर्मा निवासीगण फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद को रुदौली के अन्तर्गत एन0एच0–28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी में प्रस्तावित 100 शैय्या का ट्रामा सेन्टर की स्थापना विषयक श्री चन्द्रिका चौहान आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४४

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत एन0एच0–28 के किनारे ग्राम पंचायत कुशहरी, तहसील रुदौली में प्रस्तावित 100 शैय्या ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने विषयक श्री चन्द्रिका चौहान व श्री राजेश शर्मा निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद आदि के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने विषयक श्री रामबाबू आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४४]

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद तथा विकास खण्ड माधौगढ़ के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने विषयक श्री बाबू राम व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जालौन के माधौगढ़ के ग्राम गोपालपुरा आदि ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने विषयक श्री राजीव कुमार आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४४

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के ग्राम गोपालपुरा बंगरा मार्ग से गणेरना, दाबर, रौरा, मानपुरा, बरौली आदि ग्रामों की क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने विषयक श्री राजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

ख्1.25, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–8 उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 मार्च, 2016 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 08 मार्च, 2016 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण सम्बन्धी मदें ली जायें।

प्रदेश औद्योगिक(1) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016

(2) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

(3) आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

(4) उत्तर क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016

[††] Nkih ugha x;hA

2–दिनांक 8 मार्च, 2016 को अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक के पूर्व अन्य विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें ली जायं।

3–दिनांक 08 मार्च, 2016 को नियम–51 के अन्तर्गत उन माननीय सदस्यों की सूचनाएं ली जायं जिन्होंने दिनांक 06 मार्च, 2016 को नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं नहीं दी हैं।

4–नियम–52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाएं आगे के लिए बढ़ा दी जायं।

5–तद्नुसार दिनांक 08 मार्च, 2016 से दिनांक 11 मार्च, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

मार्च, 2016

08 मार्च, 2016 दिन मंगलवार

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के

आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

(3) उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

(4) उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

(5) उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016

(6) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

(7) आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

(8) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016

2–वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3–**3.00 बजे अपराह्न–**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

09 मार्च, 2016
10 मार्च, 2016 } बैठक नहीं होगी।
11 मार्च, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख11.26, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–10।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सदन यदि सहमत हो तो आज दिनांक 08 मार्च, 2016 को सदन में पुरःस्थापित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 के विचार पर पारण संबंधी मदें आज ही ले ली जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मुजफ्फरनगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन की जांच हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 मार्च, 2016 पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

इसे बाद में ले लेंगे।

ख11.27, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्य–स्थगन प्रस्ताव के संबंध में आज जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई थी, हमने उसमें करीब–करीब सब पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। एक जो श्री दलवीर सिंह जी, धर्मपाल सिंह जी, श्री सूरजपाल सिंह जी की सूचना जो प्रदेश में दिनांक 05.03.2016 को रात्रि में बेमौसम हुई भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान के फलस्वरूप मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में है, मैं इसमें सरकार का ध्यान

आकृष्ट करता हूं और सरकार से यह भी चाहता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। शेष पर मैंने ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

ख11.28, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सदन में एक ऐसा विधेयक लेकर आ रही है जिसको स्वयं वह लागू नहीं कर रही है। जिस विधेयक पर उसका स्वयं का विश्वास नहीं है और जिस विधेयक के अनुरूप उसने स्वयं कोई कार्रवाई नहीं की। जो वर्तमान स्थिति है आज के दिन, आज यह विधेयक 2015–2016 में लागू होगा और जो कुछ इसमें पैरामीटर्स दिये गये हैं। एक पैरामीटर को छोड़कर अधिकांश पैरामीटर में यह सरकार अपने आपको इस कसौटी पर कस नहीं सकती है। जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में सकल ऋण घरेलू उत्पाद के अनुपात के 25 प्रतिशत से अनधिक हो आज की स्थिति यह है कि जो सकल ऋण है, वह सकल घरेलू उत्पाद का 31.5 प्रतिशत है और सरकार एक विधेयक लाकर यह कह रही है कि यह 25 प्रतिशत से अनधिक होगा। मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि जिस प्रावधान को सरकार स्वंय पूरे प्रदेश को बताना चाहती है कि हम वित्तीय अनुशासन के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, आखिर सरकार ने स्वंय इस वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन क्यों किया है। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आ चुकी है वर्ष 2013–14 में जो सम्पूर्ण ऋण है वह 31.5 प्रतिशत है। दूसरा प्रावधान, अध्यक्ष महोदय यह है कि राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पादन के 3 प्रतिशत से अनधिक होगा, इस पर भी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आ चुकी है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा प्राक्कलित घरेलू उत्पादन का 3.3 प्रतिशत है जबकि स्वीकृत सीमा सिर्फ 3 प्रतिशत है। अर्थात् सरकार ने राजकोषीय घाटे के संबंध में भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और तीसरी चीज, अध्यक्ष महोदय सरकार यह कह रही है कि विभिन्न विभागों के वार्षिक आय–व्ययक के प्रावधान में पूंजीगत कार्यों हेतु आय–व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अनून्य धनराशि चालू पूंजीगत कार्य हेतु और 30 प्रतिशत धनराशि नये पूंजीगत कार्य हेतु। सरकार ने इस साल का बजट प्रस्तुत किया है और पूंजीगत कार्य में कुल 89 हजार करोड़ की व्यवस्था की गयी है। और उसमें से नये पूंजीगत कार्य

में सिर्फ 13,624 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, अगर 80 हजार के आधार को मान लिया जाय तो 30 प्रतिशत के हिसाब से सरकार को नये पूंजीगत कार्यों में कुल मिलाकर 25 हजार करोड़ की व्यवस्था करनी थी और सरकार ने सिर्फ 13,367 करोड़ की व्यवस्था की है। तो मेरा यह बहुत स्पष्ट कहना है कि यह विधेयक लाया किसलिये जा रहा है यह विधेयक लाना हमारी एक मजबूरी होती है क्योंकि वित्त आयोग और रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जो इस वित्तीय अनुशासन बजट को पारित करेगा, उसे ही वेज एंड मीन्स एडवांस मिलेंगे, उसे ही स्पेशल ड्रांइग फेसिलटी मिलेगी और उसे ही ओवरड्राफ्ट मिलेगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश पर विशेष अनुकम्पा करते हुये वेज एंड मीन्स एडवान्स को 1315 करोड़ से बढ़ाकर 3530 करोड़ कर दिया है। इस प्रकार स्पेशल ड्राइंग अपने आप बढ़कर 3530 हो गयी, ओवरड्राफ्ट का कोई प्रावधान नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि अगर इन उत्तरदायित्वों को सरकार स्वयं नहीं पूरा कर रही है तो न तो सरकार वेज एंड मीन्स एडवान्स ले पायेगी और न एस0डी0एफ0 ले पायेगी। प्रश्न मेरा बहुत स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में वित्तीय अनुशासन का मैसज देने का प्रयास तो हम कर रहे हैं लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष महोदय यह है कि चौदहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि यह जो नया उत्तर प्रदेश राजकोषीय दायित्व विधेयक आयेगा उसमें एक विशेष प्रावधान किया जायेगा कि राज्य एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद् की स्थापना करेगी, इंडीपेन्डेंट फाइनेन्शियल काउन्सिल की, जो बजट प्रपोजल में वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन करेगी। सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि यह जो बजट हम लोग लेकर आते हैं उस बजट से वास्तव में हम यह जो विधेयक पारित कर रहे हैं उसके अनुरूप व्यवस्था हो पा रही या नहीं हो पा रही, इसके लिये सरकार की मशीनरी से हट करके एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद् की स्थापना करनी थी। सरकार ने अध्यक्ष महोदय, अगर आप यह संशोधन विधेयक देखेंगे तो कहीं भी वित्तीय परिषद् की स्थापना का उल्लेख तक नहीं किया है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें और चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप सही तरीके से विधेयक ले आयें और साथ में यह सुनिश्चित करें कि उनका बजट इस विधेयक के अनुरूप हो।

श्री राममूर्ति वर्मा–

अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने यह विधेयक उन ऋण दायित्व राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटे की सीमा तय करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 को अधिनियमित किया गया है। यह 01 सितम्बर, 2004 से लागू है और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इस विधेयक की वजह से ही पूरे प्रदेश में जो वित्तीय व्यवस्था है उसको कन्ट्रोल किया जाता है और अभी मा0 राधा मोहन जी ने यह कहा कि इस पर 13 परसेंट या 13 हजार लगभग खर्च करने का प्रावधान किया गया है इसमें अधिकतम 30 प्रतिशत नये कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है और सरकार यह चाहती है कि पहले जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट

हैं उनको समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए और इसमें हम 30 प्रतिशत से अधिक नहीं खर्च कर सकते हैं, कम का कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए हमने ज्यादा धन पुराने कार्यों पर खर्च करने के लिए देने का काम किया है जिससे कि समय रहते इन्हें पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने 2014–15 के बारे में बताया कि राजकोषीय घाटा साढ़े तीन परसेंट, जो तीन परसेंट से कम होना चाहिए, वह साढ़े तीन परसेंट हो गया है। इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि हमें भारत सरकार से 74 हजार करोड़ रुपए का केन्द्रीय राज्यांश मिलना था जिसके सापेक्ष सिर्फ 66 हजार का केन्द्रीय राज्यांश प्राप्त हुआ और अगर 4 हजार करोड़ और प्राप्त हो गया होता तो हमारा यह परसेंटेज 3 परसेंट के नीचे आ गया होता इसलिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और इसका पारित किया जाना आवश्यक है।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जवाब देते हुए भारत सरकार का उल्लेख कर दिया और कुछ आंकड़े दे दिये और एक प्रकार से एक मैसेज इस सदन से दिया। मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी ने उसका उल्लेख न किया होता तो मैं खड़ा नहीं होता लेकिन चूंकि मा0 मंत्री जी ने उल्लेख कर दिया है इसलिए चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार ने इस साल के बजट में स्वयं अपना साहित्य बांटा है और स्वयं लिखित रूप से घोषित किया है मैं इसे चुनौती के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सरकार के अपने बजट में लिखित रूप से उल्लिखित किया गया है मैं फिर कह रहा हूं कि मैं संज्ञान ले करके कह रहा हूं कि सरकार को केन्द्र से 17 हजार 3 सौ 67 करोड़ रुपए इस वर्ष अधिक मिले।

श्री अध्यक्ष–

इस साल मिले ना, जिस साल का घाटा है उस साल नहीं मिले होंगे।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं पीछे भी जा रहा हूं। चूंकि उल्लेख किया गया है इसलिए जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, कहना तो पड़ेगा। मान्यवर, सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आ गई, भारत सरकार से अनुदान के रूप में 10 हजार 2 सौ 86 करोड़।

श्री अध्यक्ष–

आप जो प्रश्न किये वह पिछले वर्ष का था।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मा0 मंत्री जी ने जो उल्लेख किया है उस पर तथ्य आने चाहिए। व्यय के रूप में 3 हजार 886 करोड़, कुल मिला करके 14 हजार 132 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, दुःखद यह है कि भारत सरकार के अधिक कर देने के बावजूद यह सरकार अपने कर के राजस्व में 47 हजार 129 करोड़ रुपए की व्यवस्था ही नहीं कर

पाई अपने प्रावधानों में, इसलिए 47 हजार करोड़ रुपए कम इकट्ठे किये और इनका जो राजकोषीय उत्तरदायित्व घाटा पूरा नहीं हुआ वह इनकी अपनी असफलता का कारण है जिसका जिम्मा ये भारत सरकार पर दे रहे हैं, इन्हें कहना नहीं चाहिए था तो मैं यह सब कहता नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 व खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5, सन् 2004 की धारा–4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा–4 में, उपधारा (3) में,–

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ग) (एक)–वर्ष 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पादत के तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी :

परन्तु यह कि यदि पूर्ववर्ती वर्ष में ऋण, सकल, राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 25 प्रतिशत से अनधिक है तथा चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व घाटा शून्य है तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 3.26 प्रतिशत तक बढ़ायी

जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक है तथा चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व घाटा शून्य है तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के 3.25 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि उपर्युक्त दोनों परन्तुकों में दी गयी शर्तें पूरी होती हों, तो राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकेगी ;

(दो) वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 तक की अवधि में, यदि राज्य सरकार किसी आलोच्य वर्ष में उस वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की उधार सीमा का पूर्ण उपयोग नहीं करती है तो राज्य सरकार के पास अगले वर्ष में अप्रयुक्त उधार की धनराशि केवल रुपयों में आंकलित का उपयोग करने का विकल्प होगा,''

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(च) यह सुनिश्चित करेगी कि 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 एवं 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 31 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत, 30.50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाये,''

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(छ) विभिन्न विभागों के वार्षिक आय–व्ययक प्रावधान में पूंजीगत कार्यों हेतु आय–व्ययक प्रावधान के 70 प्रतिशत से अन्यून धनराशि चालू पूंजीगत कार्यों हेतु तथा 30 प्रतिशत से अनधिक धनराशि की व्यवस्था नये पूंजीगत कार्यों हेतु सुनिश्चित करेगी।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक सर्वसम्मति से है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तर प्रदेश

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा–3 में, उप धारा (5) निकाल दी जायेगी।

अधिनियम संख्या–4, सन् 1993 की धारा–3 का संशोधन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

ख्11.41, उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

डॉ0 अग्रवाल जी आप संशोधन रखेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

बहुत ही संक्षेप में रखियेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सरकार यह कहती भी है कि भारतवर्ष में हम दूसरा सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्य की

बात क्या है अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र ने 1999 में, तमिलनाडु ने 1997 में, गोवा ने 1999 में और आन्ध्र प्रदेश में 1999 में यह बजट स्वीकृत हो गया। उड़ीसा ने 2011 में पास कर दिया, पश्चिम बंगाल ने 2013 में पास कर दिया, बिहार ने 2002 में पारित कर दिया और हरियाणा ने 2013 में पारित कर दिया। यानी हम दावा तो करते हैं कि सबसे बड़ी अर्थ–व्यवस्था है लेकिन आर्थिकतंत्र को लेकर हम कितने गैर–जिम्मेदार हैं यह इन विधेयकों के क्रम से पता है। पूरे देश में जब हर जगह उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक पारित हो गया तो अब उत्तर प्रदेश ने यह तय किया कि हम भी पारित कर दें क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की लगातार एड़वाइजरी आ रही है। अध्यक्ष जी, देर से तो आया, देर से आने पर एक लाभ मिलता है। इतने सारे प्रदेशों के विधेयक बने हुए हैं और यह विधेयक बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है कि जब वह एक नया विधेयक उत्तर प्रदेश में लायेंगे तो उन सारे विधेयकों का मूल्यांकर करने उनमें जो अच्छे प्राविधान होंगे उनको इनकारपोरेट करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने इन सारे प्रदेशों के विधेयक को खोल करके पढ़ा है और अब समझ में आता है कि यह सरकार, होना तो यह चाहिए था कि देर में आयी है तो दुरुस्त आती। लेकिन देर में भी आयी है दुरुस्त भी नहीं आयी है। उसका कारण है अध्यक्ष महोदय, कोई चीज बिना तर्क के नहीं होती। इस विधेयक की धारा–2 का एक स्पष्टीकरण है कि किस प्रकार की संस्थाएं इस विधेयक के द्वारा कवर होंगी। अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी है और इसलिये जरूरी है कि इस प्रदेश में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनको यह विधेयक बनाते समय इस विधेयक के प्रिव्यु से छोड़ दिया गया। प्राविधान होना चाहिए था कि हम उनको भी इसके साथ जोड़ते जैसे रियल इस्टेट को तो जोड़ा गया, ठीक बात है, अच्छी बात है लेकिन प्लान्टेशन की स्कीम चलती हैं, टूर और ट्रैवल की स्कीम चलती हैं, टाइटल वीविंग की स्कीम चलती हैं, होटल और रिसार्ट की स्कीम चलती हैं, एम्यूसमेंट पार्क की स्कीम चलती हैं, मनी सरकुलेशन स्कीम चलती हैं, मल्टी लेविल मार्केटिंग की स्कीम चलती हैं, और ऑन लाइन ट्रेडिंग और ऑन लाइन गेट इट सून की स्कीम चलती हैं। यह विधेयक इन सारी स्कीमों को अपने प्रिव्यु से बाहर कर रहा है। परन्तुक के रूप में सिर्फ रियल इस्टेट के बिजनेस को इस विधेयक में जोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, बगल का राज्य है बिहार, बिहार ने अभी 2013 में अपनी गलतियों को जो 2002 का विधेयक बनाया था, 2013 में अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मैं जिन इन आर्थिक व्यवसायों की चर्चा कर रहा हूं अपने विधेयक के अन्दर संशोधन करके इन सारे व्यवसायों को अपने प्रिव्यु में ले लिया, वैधानिक प्राविधान कर दिया। बिहार कर सकता था माननीय अध्यक्ष और हम उन सारी चीजों को जानते हुए हमने नहीं किया। आखिर यह संज्ञानपूर्वक हमने इन चीजों को क्यों छोड़ा ? यह कुछ समझने और समझ के परे है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, इसकी धारा–3 में।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, बस धाराओं पर मैं बात करूंगा। जी अध्यक्ष महोदय बहुत संक्षेप में। एक प्राविधान किया है कि सिर्फ जो लोग ऐसा अपराध करेंगे उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा दी जायेगी। अब अध्यक्ष महोदय, यह शारदा स्कीम हम जानते हैं। पंजाब में पी0ए0सी0एल0 हुआ हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सेवी ने जो 193 ऐसी कम्पनियों की सूचना दी है उसमें तीन उत्तर प्रदेश की भी हैं। और अध्यक्ष महोदय, हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, परिवार समाप्त हो जाते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं और बावजूद इसके सजा का प्राविधान सिर्फ दस साल, यह समझ से परे है। जबकि अन्य बहुतेरे राज्यों ने इसके लिये आजीवन कारावास का प्राविधान किया है। तीसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

अब आखिरी बात है यह।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी अध्यक्ष महोदय। सुन तो लीजिये। विधेयक है, अब विधेयक पर या तो इकट्ठे एक दिन न आया होता। बीच–बीच में आ गया होता। सबसे खतरनाक क्या प्राविधान है कि दुनिया में कोई भी व्यवसाय किया जाय। हम डाक्टरी का पेशा करें अध्यक्ष महोदय तो हमको कोई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई दुकान खोले तो सेल्स टैक्स और वेट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई इन्डस्ट्री खोले तो न जाने कितने इन्डस्ट्रीज से क्लीयरेंस लेने पड़ते हैं। यह विधेयक ऐसे जमाकर्ताओं को, ऐसे शोषणकर्ताओं को यह अधिकार दे रहा है कि वह सरकार की अनुमति के बिना अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और व्यवसाय शुरू करने के 7 दिन बाद उनको सरकार को सूचना देना है कि हमने व्यवसाय शुरू कर दिया, हमारी यह–यह आवश्यकताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, उसे पढ़ दे रहा हूं मैं **विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन नये वित्तीय अधिष्ठानों के द्वारा राज्य में अपने कारोबार के प्रारम्भ करने के दिनांक से 7 दिन के भीतर किया जायेगा।** अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा प्राविधान है ?

श्री अध्यक्ष–

संक्षिप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्लीज समझने की कोशिश कीजिये। माननीय मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये तो कह रहा हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सारे विधेयक ही प्रदेश को संचालित करेंगे। अगर हम एक कम्पनी को जो सरकार कहती है कि हम महसूस करेंगे कि वह नागरिकों का शोषण कर रही है, हम बिना अनुमति दिये व्यवसाय करने का अधिकार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम आवश्यक कार्यवाहियां करो तो अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार से लूट की खुली छूट है। मैं नहीं समझता कि सदन को इस की अनुमति दी जायेगी और दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम चीज मैं कहूंगा क्योंकि आप इतना रोक रहे हैं और आपका भी तो सम्मान करना है नहीं तो यह विषय बहुत बड़ा है अध्यक्ष महोदय सरकार ने एक प्राविधान किया है इस विधेयक के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात्...

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें। कह दिया अब।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

धारा में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा ऐसा क्यों अध्यक्ष जी, आज के दिन जो विवाद हो रहे हैं दिन प्रतिदिन नये तरीके से होते चले जा रहे हैं अगर हम यह प्राविधान कर रहे हैं कि दो साल के बाद हम यह आदेश भी नहीं दे पायेंगे तो दो साल के बाद अध्यक्ष जी आखिर उन संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही कैसे होगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

बहुत सारे बिन्दु हैं जिन पर मैं समय न होने के कारण बोल नहीं पा रहा हूं मैं इस पर अपनी गम्भीर आपत्ति करता हूं।

श्री राममूर्ति वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक कोई नया नहीं प्रस्तुत किया गया है पिछले वर्ष प्रस्तुत किया गया था और यह पारित भी हो चुका है। यह भारत सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां गया था। वहां से कुछ सुझाव दिए गए थे और भारत सरकार के लोगों ने इस पर सहमति प्राप्त की है इसका परीक्षण कर लिया है। रिजर्व बैंक और जो वित्तीय संस्थान हैं इससे सहमत हैं उत्तर प्रदेश में जो ऐसी एजेन्सियां हैं जो गरीबों को लालच देकर कि दो वर्ष में धन दुगुना कर देंगे तीन वर्ष में धन दुगुना कर देंगे, या तमाम बिल्डर्स हैं कि हम यहां बिल्डिंग बना देंगे उसमें पैसा लगा दीजिए फिर भाग जाते हैं इन सब को रोकने के लिए, गरीबों के धन का अपहरण न हो सके और उत्तर प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की कोई दिक्कत न पैदा हो इससे कानून–व्यवस्था भी प्रभावित होती है इसलिए इस विधेयक को लाया गया है और यह विधेयक मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाए और भारत सरकार ने भी अपने, अबकी बार जो बजट भाषण हुआ है वित्त मंत्री जी का, उन्होंने भी कहा है आने वाले समय में

अगले वित्तीय वर्ष में हम भी इस विधेयक को पूरे देश में लाने जा रहे हैं और 19 प्रदेशों में यह विधेयक लागू है। इसलिए इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए जिससे प्रदेश के हितों में लागू किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 18 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा–5 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से है;

(ख) ''अभिहित न्यायालय'' का तात्पर्य धारा–7 के अधीन गठित किसी अभिहित न्यायालय से है ;

(ग) ''जमा'' में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अथवा अन्यथा नकद या वस्तु के रूप में या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी प्रसुविधा के साथ या प्रसुविधा रहित वापसी के विचार से किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा इस

अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, पर या पश्चात् धन की प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु का प्रतिग्रहण, सम्मिलित है, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :–

(एक) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों और बनाये गये विनियमों के अधीन आच्छादित शेयर पूँजी या डिबेन्चर, बंधपत्र या किसी अन्य लिखतों के रूप में उगाही की गयी धनराशि;

(दो) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूँजी के रूप में अभिदानित कोई धनराशि;

(तीन) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंककारी कम्पनी से प्राप्त कोई धनराशि;

(चार) निम्नलिखित से प्राप्त कोई धनराशि,–

(1) किसी राज्य वित्तीय निगम;

(2) किसी अन्य संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा इसके निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट हो;

(पांच) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्रतिभूति जमा, व्यवहारी जमा अथवा माल या सेवाओं के आदेश के सापेक्ष अधिदाय या अग्रिम के रूप में प्राप्त कोई धनराशि;

(छः) राज्य में तत्समय प्रवृत्त साहूकारी से संबंधित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति या किसी फर्म या किसी व्यष्टि–संगम, जो निगमित निकाय न हो, से प्राप्त कोई धनराशि; और

(सात) किसी चिट के सम्बन्ध में अभिदान स्वरूप प्राप्त कोई धनराशि;

स्पष्टीकरण–एकदृ''चिट'' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 40, 1982) की धारा 2 के खण्ड (ख) में इसके लिए समानुदेशित हो।

स्पष्टीकरण–दोदृकिसी विक्रेता द्वारा किसी सम्पत्ति (चल या अचल) के विक्रय पर क्रेता को दिये गये किसी उधार को इस खण्ड के प्रयोजनार्थ कोई जमा नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–तीनदृउत्तर प्रदेश राज्य के भीतर भू–खण्ड या

फ्लैट या मकान के विक्रय या ऐसे किसी विन्यास के लिए, निर्माणकर्ताओं/ भू–सम्पदा कम्पनियों या किसी व्यक्ति द्वारा संकलित कोई धनराशि इस खण्ड के प्रयोजनार्थ जमा धनराशि समझी जायेगी।

(आठ) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय तीन एवं चार के उपबन्धों के अनुपालन में शेयर पूँजी या डिबेन्चर/बंधपत्र के माध्यम से गैर सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा एकत्रित की गयी धनराशि ;

(नौ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–73, 74, 75 और 76 के उपबन्धों के अनुपालन में कम्पनियों द्वारा एकत्रित की गयी जमा धनराशि ;

(घ) ''वित्तीय अधिष्ठान'' का तात्पर्य किसी योजना या व्यवस्था या किसी अन्य रूप में जमा स्वीकार करने वाले व्यक्ति से है और जिसमें निगमित अथवा अनिगमित कम्पनी या संगम या व्यष्टि–निकाय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित कोई निगम या सहकारी समिति अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय अधिष्ठान द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम

3–यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान परिपक्वता पर जमा का प्रतिसंदाय, ब्याज, बोनस लाभ के रूप में या यथा प्रतिज्ञात किसी अन्य रूप में प्रसुविधा सहित देने में व्यतिक्रम करता है, अथवा जमा के विरुद्ध यथा निर्धारित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के व्यवसाय या कार्य–कलापों के प्रबन्धन या संचालन के लिए उत्तरदायी सम्प्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति या कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति को दोषसिद्ध होने पर दस वर्ष तक के लिए कारावास या दस लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनार्थ यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान, ब्याज के रूप में प्रसुविधा के साथ किसी जमा और बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में दिये गये वचन के अनुरूप प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम करता है अथवा ऐसे जमा के सापेक्ष वचनबद्ध कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या किसी एक व्यक्ति को संदोष लाभ पहुंचाने एवं अन्य व्यक्ति को संदोष हानि पहुँचाने के आशय से ऐसी जमा के सापेक्ष सहमत कोई विनिर्दिष्ट सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहता है या जमा के प्रतिग्रहण के समय किये गये अव्यावहारिक या वाणिज्यिक रूप में अव्यावहारिक वचनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अक्षमता के कारण या जमा से अर्जित धनराशि या आस्तियों के इस रीति से अभिनियोजन से, जब उसकी आवश्यकता हो एवं उसकी वसूली में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त हो,

उत्पन्न होने वाली अपनी अक्षमता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करता हो तो उसे कपटपूर्ण व्यतिक्रम या विनिर्दिष्ट सेवा देने में कपटपूर्ण तरीके से विफल समझा जाएगा।

जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति की कुर्की

4–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां जमाकर्ताओं से या अन्यथा प्राप्त शिकायत पर सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निम्नलिखित को करने में विफल हो गया है :–

(एक) परिपक्वता के बाद या जमाकर्ताओं द्वारा मांग किये जाने पर जमा वापस करने; या

(दो) ब्याज या अन्य आश्वासित लाभ का भुगतान करने; या

(तीन) ऐसी जमा के सापेक्ष वचनबद्ध सेवा उपलब्ध कराने; या

(ख) जहां सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ताओं को धोखा देने के आशय से प्रकल्पित रीति से उनके हित के विरुद्ध हानिकर कार्य कर रहा है और यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा जमा के वापसी या ब्याज का भुगतान या अन्य आश्वासित प्रसुविधाओं का भुगतान अथवा जिनके लिए जमा प्राप्त किया गया हो, उन सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है तो राज्य सरकार कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद ऐसे धन या अन्य सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में विश्वास हो कि उस वित्तीय अधिष्ठान द्वारा या तो अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा संग्रहीत जमा से अर्जित किया है, को कुर्क करते हुए राजपत्र में प्रकाशित करते हुए एक आदेश जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश के प्रकाशित होने पर वित्तीय अधिष्ठान की समस्त सम्पत्तियों एवं आस्तियाँ तत्काल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जायेंगी। ये तब तक निहित रहेंगी जब तक कि अभिहित न्यायालय अन्यथा आदेश न दे दें।

(3) सम्बन्धित जिले का कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा और वह यथा सम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट सहित उक्त शिकायत को राज्य सरकार को प्रेषित कर देगा और वह सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भी जाँच हेतु एक प्रतिलिपि प्रेषित करेगा।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति

5–(1) राज्य सरकार धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते समय अपने किसी अधिकारी, जो परगना अधिकारी की श्रेणी से अन्यून हो, को धारा–4 के अधीन कुर्क की गयी धनराशि एवं सम्पत्तियों पर नियंत्रण रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी जैसी इस

अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(3) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उन आदेशों का उल्लेख करते हुए जिन पर सरकार ने धारा–4 में निर्दिष्ट आदेश निर्गत किया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में विश्वास किया गया है कि जमा से अर्जित की गयी है और उन व्यक्तियों का विवरण, यदि कोई हो, जिनके नाम पर उस सम्पत्ति का विनिधान किये जाने या अर्जित किये जाने का विश्वास हो अथवा धारा–4 के अधीन कुर्क की गयी किसी अन्य सम्पत्ति का विवरण अथवा ऐसे अग्रतर आदेश जो आवश्यक समझे जायें, के लिए एक या अधिक शपथ–पत्रों के साथ अभिहित न्यायालय में आवेदन करेगा।

वित्तीय अधिष्ठान द्वारा प्रतिवेदन एवं विवरणी

6–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान जो इस रूप में अपना कारबार करता है, महानिदेशक, संस्थागत वित्त को प्रतिवेदन देगा और यथाविहित विशिष्टियों के साथ उसकी एक प्रति जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा जिसमें ऐसा कारबार करने वाले अपने प्राधिकारी, राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के स्थान और अपने मुख्य शाखा कार्यालय के स्थान, यदि कोई हो, और राज्य में वित्तीय अधिष्ठान के कारबार या कार्य–कलापों के प्रबन्धन या संचालन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पता एवं साथ में यथाविहित विशिष्टियों का विस्तृत उल्लेख होगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन नये वित्तीय अधिष्ठानों द्वारा राज्य में अपने कारबार के प्रारम्भ होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर किया जायेगा और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस रूप में अपना कारबार करते रहे हैं, ऐसा प्रतिवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर करेंगे।

(3) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान किसी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर अपने कारबार एवं वित्तीय स्थिति, राज्य के भीतर या बाहर, उसके द्वारा किये गये अपने विनिधानों के क्षेत्र और धनराशियों के विनिधानों के स्थान, यदि कोई हो, के संबंध में त्रैमासिक विवरणी और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जैसी विहित की जायं, महानिदेशक, संस्थागत वित्त को उपलब्ध करायेगा।

(4) जो कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उपधारा (3) के अधीन विवरणी उपलब्ध कराने में विफल रहता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

(5) महानिदेशक, संस्थागत वित्त, कारबार एवं वित्तीय स्थिति,

विनिधान के विवरण और वित्तीय अधिष्ठान की अन्य विशिष्टियों के बारे में पूछताछ करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय अधिष्ठान का अप्रतिवेदित या छिपे हुए क्रिया–कलापों, जो प्रकाश में आये हों, के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय।

अभिहित न्यायालय

7–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में एक या एक से अधिक अभिहित न्यायालय का गठन कर सकती है।

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय, जिसमें प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन गठित न्यायालय सम्मिलित है, को ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होने हैं।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से अभिहित न्यायालय में अन्तरित हो जायेगा।

अभिहित न्यायालय की कुर्की से सम्बन्धित शक्तियाँ

8–(1) धारा–5 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, अभिहित न्यायालय, वित्तीय अधिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति धारा–4 के अधीन सरकार द्वारा कुर्क की गई हो और सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई हो, आवेदन और शपथ–पत्र और साक्ष्य, यदि कोई अभिलिखित हो, के साथ उक्त अधिष्ठान और उक्त व्यक्ति को नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व कारण बताने हेतु बुलाने के लिए एक नोटिस जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों न आत्यान्तिक कर दिया जाय।

(2) अभिहित न्यायालय, ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों, जो वित्तीय अधिष्ठान की सम्पत्ति में कोई हित या हकदारी रखते हों या संभावित दावेदार के रूप से प्रतिनिधित्व करते हों, या ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, को भी ऐसी नोटिस जारी करेगा जिसमें कि ऐसी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने और ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के संबंध में इस आधार पर कि ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग में उनका हित है, आपत्ति करने के लिये यदि वे चाहें, कहा जाएगा।

(3) कुर्क की गयी सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा

के अधीन कोई सूचना उसे तामील नहीं की गयी है, अभिहित न्यायालय में, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किये जाने के पूर्व, विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व किसी भी समय अभिहित न्यायालय को यथा उपर्युक्त रूप में आपत्ति कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन कोई कारण नहीं दर्शाया गया और कोई आपत्ति नहीं की गयी तो अभिहित न्यायालय कुर्की के आदेश को आत्यन्तिक करते हुए तत्काल एक आदेश पारित करेगा और कुर्क की गयी आस्तियों की वसूली तथा कुर्क की गयी सम्पत्ति से वसूले गये धन को जमाकर्ताओं के बीच साम्यपूर्ण वितरण हेतु, यथा आवश्यक, निर्देश जारी करेगा।

(5) यदि, पूर्वोक्त, रूप से कारण दर्शाया गया है या कोई आपत्ति की गयी हो तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही आरम्भ करेगा एवं ऐसा करते समय पक्षकारों के परीक्षण के संबंध में एवं अन्य सभी बातों में अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन आदेश–37 में यथा अनुध्यात संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा और उक्त संहिता के अधीन किसी बाद की सुनवाई में न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा आपत्ति करने वाले व्यक्ति से यह दर्शाने के लिए साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जायेगी कि कुर्की के दिनांक को कुर्क की गयी सम्पत्ति में उनका कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के पष्चात् अभिहित न्यायालय या तो धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन पारित कुर्की के आदेष को आत्यंतिक करते हुए या सम्पत्ति के किसी भाग को कुर्की से निर्मोचन द्वारा परिवर्तित करते हुए या कुर्की के आदेष को रद्द करते हुए एक आदेष पारित करेगा :

परन्तु यह कि अभिहित न्यायालय ऐसे किसी हित को, जिसमें उसका समाधान हो गया हो उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति का उस सम्पत्ति में हित है, तब तक कुर्की से विमुक्त नहीं करेगा जब तक इसका भी समाधान न हो जाये कि कुर्की के अधीन बाकी बचने वाली राषि या सम्पत्ति का मूल्य ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगी।

असद्भावी अन्तरिती की सम्पत्ति की कुर्की

9–(1) जहां धारा–4 में निर्दिष्ट किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति की आस्तियाँ कुर्की के लिए उपलब्ध उस राषि या मूल्य से कम पायी जाये जो वित्तीय स्थापना द्वारा जमाकर्ताओं को प्रतिसंदाय के लिए अपेक्षित हो और जहाँ शपथ–पत्र या अन्यथा द्वारा अभिहित

न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने प्रतिफल के लिए सद्भावना से अन्यथा किसी भी सम्पत्ति को अंतरित (चाहे इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद या पहले) कर दिया है तो अभिहित न्यायालय, नोटिस द्वारा, ऐसी सम्पत्ति के किसी अंतरिती से (चाहे उसने सम्पत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से प्रत्यक्षतः प्राप्त किया हो या नहीं) सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होकर कारण दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि अन्तरिती की सम्पत्ति की उतनी मात्रा जो अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, को क्यों न कुर्क कर लिया जाये।

(2) जहाँ, उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं हो और कारण नहीं दर्शाये या जहाँ धारा–8 की उपधारा (5) में उपबन्धित रीति से अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अंतरण सद्भावना और समुचित प्रतिफल के लिए नहीं किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति की, जो अभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित सम्पत्ति के उचित मूल्य के समतुल्य हो, कुर्की का आदेश पारित करेगा।

कुर्की के बदले प्रतिभूति

10–किसी वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी हो या कुर्क की जानी हो, किसी भी समय अभिहित न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकेगा और जहाँ प्रस्तुत की गयी एवं दी गयी प्रतिभूति, अभिहित न्यायालय की राय में संतोषप्रद एवं पर्याप्त हो तो वह यथास्थिति, कुर्की आदेश को रद्द कर सकता है या कुर्की आदेश को पारित करने से विरत हो सकता है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रशासन

11–अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति के हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त समझे :–

(क) ऐसी कुर्क की गयी एवं सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति, जिसमें आवेदक हित होने का दावा करता है, में से ऐसी राशि जो आवेदन एवं उनके परिवार के भरण पोषण और जहाँ अभिहित न्यायालय में धारा–3 के अधीन आवेदक के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संस्थित की गयी हो, वहाँ उसकी अपने बचाव से सम्बन्धित व्यय के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, उपबन्ध करने हेतु।

(ख) जहाँ तक व्यवहार्य हो, कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के

हितों की, और विशिष्टतः ऐसे कारबार के भागीदारों के हितों की रक्षा करने हेतु।

अपील

12—सक्षम प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति, जो यदि अभिहित न्यायालय के आदेश से व्यथित हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

विशेष लोक अभियोजक

13—राज्य सरकार अभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक अधिवक्ताओं को, जिनका व्यवसाय विशेष लोक अभियोजक के रूप में दस वर्षों से कम का नहीं हो, सम्बन्धित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से आदेश द्वारा नियुक्त कर सकती है।

अपराध के संबंध में अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ

14—(1) अभिहित न्यायालय, किसी आरोपी को विचारण हेतु उसे सुपुर्द किये बिना अपराध का संज्ञान ले सकती है, और अभिहित न्यायालय आरोपित व्यक्तियों का विचारण करते समय, वारंट मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध जहाँ तक हो सकेगा अभिहित न्यायालय के सक्षम कार्यवाहियों पर लागू होंगे, और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

(3) व्यतिक्रमी वित्तीय अधिष्ठान के प्रबंधन/संचालन हेतु उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत नहीं दी जायेगी।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव

15—इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त न कि उसके अल्पीकरण में, अध्यारोही प्रभाव होगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही की संरक्षा

16—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

नियम बनाने के शक्ति

17—इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार यथा अवसर उत्पन्न होने पर, आदेश द्वारा वह सब कुछ कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो

वर्ष के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–18 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राममूर्ति वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख11.54, उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–58 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेष हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय विधेयक, 2016

अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में षोध और विकास तथा उद्भवन पर संकेन्द्रित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय कानपुर के रूप में पुनर्गठित कर उसे एक अग्रणी आवासीय विष्वविद्यालय एवं उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने, उच्च षिक्षा के उदीयमान क्षेत्रों में अध्ययन, षोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत् षिक्षा कार्यक्रम तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से कौषल विकास को अग्रसर करने एवं उच्च षिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूँकि, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी द्वारा संचालित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेष सरकार की एक संस्था है, जो डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विष्वविद्यालय, उत्तर प्रदेष लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूंकि, उक्त संस्था को विष्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में, अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्धन विज्ञान, उच्चतर षिक्षा एवं अनुसंधान की आवष्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग, सुसंगत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज तथा राष्ट्र की सेवा करने हेतु बेहतर कार्यक्षेत्र तथा अवसर का लाभ उठाया जा सके।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेष हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(1) ''विद्या परिषद्'' और ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय की क्रमषः विद्या परिषद् और कार्यकारी परिषद् से है;

(2) ''अनुबद्ध आचार्य'', ''अनुबद्ध सह आचार्य'' तथा ''अनुबद्ध सहायक आचार्य'' का तात्पर्य षैक्षिक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र के किसी व्यक्ति से है, जो विष्वविद्यालय के साथ सहयोग या सहयोजन की अवधि के दौरान इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट हो;

(3) ''प्राधिकारी'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय के प्राधिकारी से है;

(4) ''परिषद्'' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1987) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् से है;

(5) ''बोर्ड'' का तात्पर्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड से है;

(6) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'', ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय के क्रमषः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति से है;

(7) ''सहयोग'' का तात्पर्य अन्य विष्वविद्यालयों, षैक्षिक संस्थाओं, षोध संस्थाओं (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय) और संगठनों (षोध, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि) के साथ विष्वविद्यालय के सहयोगपूर्ण षैक्षिक गतिविधि से है;

(8) ''सतत् षिक्षा कार्यक्रम केन्द्र'' का तात्पर्य कौषल विकास और ज्ञान उद्भवन को अग्रसर करने के लिए सतत् षिक्षा कार्यक्रम हेतु विष्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है;

(9) ''विभाग'' का तात्पर्य किसी विषिष्ट विषय या विषय समूह के अध्यापन हेतु विष्वविद्यालय के किसी विभाग से है;

(10) ''षुल्क'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय द्वारा छात्रों से प्रभारित और संग्रहीत की जाने वाली षुल्क, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय, से है;

(11) ''हाल'' एवं ''छात्रावास'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्यता प्राप्त छात्रों के निवास के किसी इकाई से है;

(12) ''भूतपूर्व संस्थान'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय के प्रारम्भ से पूर्व यथा विद्यमान समस्त आस्तियों, कर्मचारिवृन्द, कर्मचारियों सेवा नियमावली आदि के साथ वर्तमान हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसाइटी के अधीन हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से है;

(13) ''उद्भवन हब'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय में नवाचार और उद्भवन को प्रोन्नत करने के उद्देष्य से विष्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित नवाचार और उद्भवन से है;

(14) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(15) ''कुलसचिव'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(16) ''विद्यालयों, केन्द्रों और इकाइयों'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय द्वारा सुसंगत क्षेत्रों में अध्यापन, षोध नवाचार, उद्भवन और प्रषिक्षण में लगे ज्ञान संबंधी विद्यालयों, केन्द्रों और इकाइयों के रूप में अभिनियोजित षैक्षिक सत्ता से है;

(17) ''कौषल विकास केन्द्र'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय के कौषल विकास केन्द्र से है;

(18) ''परिनियम,'' ''अध्यादेष'' और ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विष्वविद्यालय के क्रमषः परिनियम, अध्यादेष, और विनियम से है;

(19) ''छात्र परिषद्'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित छात्र परिषद् से है;

(20) ''अध्यापक'' का तात्पर्य विष्वविद्यालय में कार्यरत आचार्य, सह आचार्य या सहायक आचार्य से है;

(21) ''विष्वविद्यालय'' का तात्पर्य हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय से है।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3—(1) विष्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् के सदस्य और इस रूप में पद धारण करने वाले अन्य व्यक्तियों को एतद्द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विष्वविद्यालय, कानपुर के नाम से गठित किया जाता है;

(2) विष्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा;

(3) किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर को किया गया कोई संदर्भ, विष्वविद्यालय को किये गये संदर्भ के रूप में बना रहेगा;

(4) हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर से संबंधित समस्त चल या अचल सम्पत्ति राज्य सरकार द्वारा सोसायटी से अधिग्रहीत कर ली जाएगी और विष्वविद्यालय को अन्तरित कर दी जायेगी;

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, निदेषक, उप निदेषक, कुल सचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुल सचिव को छोड़कर विष्वविद्यालय में अपने पद या सेवा को, उन्हीं निबन्धन एवं षर्तों पर, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और जब तक उनमें परिवर्तन न हो जाय, जिसके अन्तर्गत छुट्टी, पेंषन, उपादान, भविष्य निधि आदि और अन्य मामले भी हैं, धारण करेगा जैसा वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व धारण करता और वह इस प्रकार कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाय और उसने विष्वविद्यालय के नियोजन संबंधी निबन्धन एवं षर्तों के लिए विकल्प न दे दिया हो;

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के वर्तमान छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए हों, पूर्व व्यवस्था के अधीन षैक्षिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को जारी रखेंगे, जब तक कि उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित समिति की संस्तुति पर अध्यादेषों में अन्यथा कोई विषिष्ट उपबन्ध न किया गया हो;

(7) विष्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना विष्वविद्यालय की किसी चल या अचल सम्पत्ति को न पट्टे पर देगा, न उसका विक्रय करेगा या अन्यथा न उसका अन्तरण या निस्तारण करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4—विष्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देष्य होंगे :—

(क) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित वर्तमान आवष्यकताओं, प्रत्याषित परिवर्तनों और प्रक्षिप्त दीर्घकालिक षैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग और सामाजिक आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में षिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करना, युक्ति निकालना और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;

(ख) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ज्ञान की अभिवृद्धि करना; अध्ययन करना और अनुसंधान नवाचार तथा उद्भवन का संवर्धन करना, समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान का प्रसार करना और ऐसे क्षेत्रों में की गयी प्रगति द्वारा निरन्तर जनित उपकरणों और पद्धति के विषय में वृहद् रूप से जानकारी प्रदान करना;

(ग) एक तरफ षैक्षिक संस्थाओं और षोध समुदायों के मध्य और दूसरी तरफ उद्योग और विष्वविद्यालय के मध्य सहयोग एवं विचारों का आदान प्रदान करना और उद्यमिता का संप्रवर्तन करना;

(घ) विष्वविद्यालय के प्रषासन में सुधार हेतु बेहतर पारस्परिक क्रिया और समन्वय का संवर्धन करना और षिक्षा को सुकर बनाना;

(ङ) अनुषासन और बौद्धिक अन्वेषण की क्षमता का संप्रवर्तन करना और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सतत् रूप से प्रयासरत रहने के लिए एक निर्भय षैक्षिक समुदाय के रूप में स्वयं को समर्पित करना;

(च) अनुसंधान तथा ज्ञान उद्भवन के माध्यम से नवाचार का संप्रवर्तन करना;

(छ) समाज के लाभ के लिए कौषल विकास एवं मानवषक्ति प्रषिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ज) छात्रों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों में उभरते हुए उद्यमियों के लिए अनुसंधान और विकास तथा उद्भवन सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें विधिक, वित्तीय, विपणन और अन्य मामलों में सहायता प्रदान करना;

विष्वविद्यालय की षक्तियां और कृत्य

5—(1) विष्वविद्यालय की निम्नलिखित षक्तियां और कृत्य होंगे :—

(क) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऐसी षाखाओं, जिन्हें विष्वविद्यालय उपयुक्त

समझे, में अनुदेष, प्रषिक्षण, षोध और नवाचार की व्यवस्था करना और उक्त विषयों में षिक्षा प्राप्ति के सम्प्रवर्तन और ज्ञान के प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) परीक्षाओं का आयोजन करना और मानद उपाधियां, पोस्ट डॉक्टोरल उपाधियां (डीएससी, डी लिट) डॉक्टोरल उपाधियां, ड्यूअल उपाधियां, पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य षैक्षिक विषिष्टताएं ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करना :–

(एक) जिन्होंने पाठ्यक्रमानुसार विष्वविद्यालय या अंषतः विष्वविद्यालय में अंषतः किसी अन्य संस्था में परिनियमों और अध्यादेषों में निर्धारित षर्तों के अनुसार अध्ययन किया हो; अथवा

(दो) जो अध्यादेषों में यथा विहित या निर्धारित षर्तों के अधीन अन्य षैक्षणिक या षोध संस्थाओं में अध्यापक, षोधकर्ता या उद्यमकर्ता हों और परिनियमों और अध्यादेषों में निर्धारित षर्तों के अधीन विष्वविद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमा आदि प्रदान करने के लिए विष्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन करनाः

परन्तु यह कि मानद उपाधि प्रदान करने से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगा ;

(घ) अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, विष्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार या सहयोग करना जैसा विहित किया जाय :

परन्तु यह कि किसी विदेषी सहयोग के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ;

(ङ) राज्य सरकार के अनुमोदन से विष्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, षोध, वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी पद सृजित करना और परिनियमों और अध्यादेषों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(च) अध्यादेषों के उपबंधों के अनुसार सम्मेलन, परिसंवाद, कार्यषालाएं, प्रषिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्षनियां आदि आयोजित करना ;

(छ) अध्यादेषों द्वारा यथा निर्धारित षुल्क और प्रभार की मांग करना, उन्हें प्राप्त करना, रखे रहना और व्यय करना;

(ज) विष्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए परिसर में भवनों/फ्लैटों और हॉस्टलों/हॉलों को स्थापित करना और उनका प्रबन्धन तथा अनुरक्षण करना ;

(झ) हॉस्टलों/हॉलों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विष्वविद्यालयों के छात्रों के अनुषासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक एवं अन्य संबंधित पहलुओं

के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना ;

(ञ) विष्वविद्यालय के उद्देष्यों को पूरा करने हेतु विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों, इकाईयों, प्रेक्षागृहों, प्रयोगषालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अन्य आवष्यक सत्ताओं की स्थापना अनुरक्षण और उनका प्रबंधन करना;

(ट) विष्वविद्यालय के विभिन्न सत्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करना और उनकी गतिविधियों का अधीक्षण करना;

(ठ) राज्य और राष्ट्र की आवष्यकताओं की विशेषज्ञताओं, शिक्षा के स्तर और तकनीकी मानव शक्ति (अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही) का निर्धारण करने के लिए और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवष्यक कार्यक्रम का सूत्रपात प्रारम्भ करना;

(ड) अभियंत्रण प्रौद्योगिकी, बेसिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निहित प्रवित्तियों की गहन जानकारी पर आधारित उच्चतर अध्ययन और षोध संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे व्यवसायियों को तैयार करने की दृष्टि से करना जो न केवल आधुनिक हों बल्कि मार्ग–दर्षन प्रदान करने के लिए भी योग्य हों;

(ढ) षोध, नवाचार, अभिकल्प और विकास संबंधी ऐसी गतिविधियों जो राज्य और राष्ट्र के सामाजिक आवष्यकताओं और विकास कार्यक्रमों के सुसंगत हों, का सम्प्रवर्तन करना;

(ण) प्रषासकीय, लिपिकीय और विष्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य पदों का राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजन करना और परिनियमों और अध्यादेषों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(त) पूरक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों और सरकार के सहयोग को सूचीबद्ध करने हेतु उपाय करना;

(थ) पाठ्यपुस्तकों और अन्य षिक्षा सामग्री आदि की तैयारी के लिए और षोध पत्र एवं पत्रिकाओं को प्रकाषित करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(द) षैक्षणिक मापदण्ड में उद्देष्यों के सतत मूल्यांकन और पुनर्भिविन्यास के उत्तरोत्तर परिचय के लिए व्यवस्था करना;

(ध) विस्तारीकरण, विविधीकरण तथा ज्ञान कौषल का अद्यतनीकरण या अभिवर्धन के उद्देष्य से सतत् शिक्षा का अवसर प्रदान करना;

(न) अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, बेसिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबन्धन, वास्तुषास्त्र और अन्य

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी और सेवा की अपेक्षाओं और अवसरों के सम्बन्ध में जनमानस को षिक्षित करना ;

(प) तकनीकी षिक्षा, षोध और विकास, नवाचार और उद्भवन से संबंधित मामलों में सरकार के किसी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(फ) ऐसे कार्यों और चीजों को करना जो विष्वविद्यालय के उद्देष्यों के प्रोत्साहन के लिए आवष्यक हो;

(ब) भारत में अथवा विदेष के किसी अन्य विष्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार विष्वविद्यालय के अनुबद्ध आचार्य/वैज्ञानिक, अनुबद्ध सह आचार्य/वैज्ञानिक तथा अनुबद्ध सहायक आचार्य/वैज्ञानिक प्रतिष्ठित आचार्य/वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त करना तथा मान्यता प्रदान करना;

(भ) षिक्षकों/छात्रों को विष्वविद्यालय में तथा अन्य विष्वविद्यालय/विद्यालयों तथा उद्योगों में सीमित अवधि हेतु विष्वविद्यालय के हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसार षिक्षक की अनुमति से इधर–उधर जाने हेतु सुविधा देना, परन्तु यह कि विदेष मे परिदर्षन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की आवष्यकता होगी;

(म) विष्वविद्यालय, विद्यालय, केन्द्र और इकाई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु छात्रों के प्रवेष का पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा विनियमन करना;

(य) अधिमानतः अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद/ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी प्रत्यायन बोर्ड, जैसा लागू हो, द्वारा विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई में अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करना;

(कक) अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद्/ विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (एआईसीटीई/यूजीसी) के मापदण्ड के अनुसार विष्वविद्यालय में अध्यापक/ छात्र अनुपात और षैक्षणिक/षिक्षणेत्तर कर्मचारी अनुपात को बनाए रखना;

(कख) प्रत्येक विष्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई के षैक्षिक और षोध कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना;

(कग) निरीक्षण के प्रयोजनार्थ स्थापित उपयुक्त तंत्र के माध्यम से विष्वविद्यालय, विद्यालय, विभाग, केन्द्र और इकाई का, जहाँ आवष्यक हो, निरीक्षण करना और यह सुनिष्चित करने के लिए उपाय करना कि षिक्षण, अध्यापन और प्रषिक्षण के उचित मानक उनके द्वारा बनाए रखे जाएं और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगषाला, छात्रावास,

कार्यषाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(कघ) न्यासों, विन्यासों और संस्था का धारण और उनका प्रबन्ध करना और विष्वविद्यालयों के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए अध्यादेषों में यथा निर्धारित अध्येतावृति, विश्राम/अध्ययन छुट्टी, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, षोध, पदक और षोध पुरस्कार संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(कङ) अध्यादेषों द्वारा समय–समय पर यथा विनियमित षुल्क और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना, रखे रहना, वसूल करना, प्राप्त करना तथा व्यय करना;

(कच) विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों के आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण करना, उन पर नियन्त्रण रखना और उन्हें विनियमित करना;

(कछ) विष्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द और छात्रों के स्वस्थ वातावरण और कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(कज) परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विष्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और षिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कार्यों का निर्धारण करना;

(कझ) विष्वविद्यालय के परिसर में यथा विहित कार्यालय अवधि के दौरान और कार्यालय अवधि के बाद अध्यापकों, अधिकारियों और षिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की उपयुक्त हाजिरी और उपस्थिति को सुनिष्चित करना और अध्यापकों, अधिकारियों और षिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द को निजी ट्यूषन या निजी कोचिंग कक्षाएं या व्यवसाय आदि के चलाने या संचालित करने से प्रतिषिद्ध करना;

(कञ) परिनियम में दिये गये उपबन्धों के अनुसार विष्वविद्यालय में उद्योग, षिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करना, परिनियम के उपबंधों के अनुसार पारस्परिक लाभ के लिए और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए आपसी बातचीत और विचार–विमर्ष में तेजी लाना;

(कट) समस्त सुसंगत मामलों के लिए आचार संहिता विहित करना;

(कठ) जब भी आवष्यक हो, निम्नलिखित का अनुरक्षण, प्रबंधन और उनकी स्थापना करना :

(क) मुद्रण एवं प्रकाषन विभाग;

(ख) विष्वविद्यालय विस्तार बोर्ड;

(ग) सूचना ब्यूरो;

(घ) रोजगार मार्ग–दर्षन ब्यूरो; और

(ङ) ऐसे अन्य क्रिया–कलाप जो विष्वविद्यालय के उद्देष्यों को

पूरा करने के लिए आवष्यक और संभव हों;

(कड) निम्नलिखित में छात्रों की भागीदारी के लिए व्यवस्था करना :–

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(ग) राष्ट्रीय खेल संगठन;

(घ) षारीरिक एवं सैन्य प्रषिक्षण;

(ङ) वहिर्वर्ती अध्यापन और षोध;

(च) वयस्क तथा सतत् षिक्षा और विस्तार, यदि कोई हो, से सम्बन्धित कार्यक्रम;

(छ) आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की ओर केन्द्रित कोई अन्य कार्यक्रम, सेवा या क्रिया–कलाप जो विष्वविद्यालय के उद्देष्यों को पूरा करने के लिए आवष्यक और संभव हो;

(कढ) विष्वविद्यालय क्षेत्र में संचालित किसी ऐसी इकाई का विष्वविद्यालय के हित में, परिसमापन करना जहाँ विष्वविद्यालय द्वारा नियुक्त जांच समिति को प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी इकाई द्वारा अनियमितताएं या आपराधिक प्रकृति के कृत्य या अनाचरण किये गये हैं;

(कण) विदेष और देष के भीतर विष्वविद्यालयों, संस्थाओं, षोध प्रयोगषालाओं, उद्योग के साथ षैक्षिक सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ करना तथापि विदेषी विष्वविद्यालय के उपर्युक्त सहयोग की दषा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवष्यक होगा;

(कत) विदेषी अभिकरणों से सहयोग कार्यक्रमों के लिए निधि प्राप्त करना जो उस निमित्त केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा;

(कथ) विष्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और षिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द के उत्तरदायित्वों को सुनिष्चित करने के लिए किसी परिचालन स्कीम का सृजन करना;

(कद) विष्वविद्यालय में एक से अधिक विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विष्वविद्यालय के षोध प्रयोगषालाओं, विद्यालय उद्योगों एवं अन्य निकायों के भी मध्य एकल वेतनमान पर संयुक्त नियुक्ति करना;

(कध) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पद संरचना को अंगीकृत करते हुए विष्वविद्यालय के परिनियमों में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार विष्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापन और षिक्षणेत्तर कर्मचारिवृन्द की पदोन्नति प्रदान करना;

(कन) विष्वविद्यालय की उपर्युक्त षक्तियों उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किन्हीं निदेषों का अनुपालन तथा कार्यान्वयन करना;

(कप) प्रौद्योगिकी के लाभ को संबंधित क्षेत्र में अन्तरित करने के उद्देष्य से उद्योग और समाज को परीक्षण और परामर्ष सेवा प्रदान

करना;

(कफ) विष्वविद्यालय के उदीयमान उद्यमकर्ताओं, छात्रों और साथ में अन्य संस्थाओं के अध्यापकों तथा कुषल व्यक्तियों और उद्योगों को नवाचार और उद्‌भवन सहायता प्रदान करना;

(कब) नवाचार और षोध और विकास गतिविधियों का सम्प्रवर्तन करना;

(कभ) विष्वविद्यालय परिसर में पेटेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना ;

(कम) विष्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, उपकरण केन्द्र, कार्यषाला तथा स्टेडियम तथा क्रीड़ा–स्थल आदि हेतु सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(कय) कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त पीठों, संस्थाओं, भवनों के नाम पर व्यक्ति/व्यक्तियों से उपकृति, धर्मदान और उपहार और तत्समान अन्य वस्तुएं प्राप्त करना;

(खक) विद्यालय कार्यक्रमों की समाप्ति पर पूर्व स्नातक और परास्नातक दोनों स्तर पर छात्रों के लिए नियोज्यता, उद्यमिता और अन्तर वैयक्तिक कौषल के सुधार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

विष्वविद्यालय की निधि

6–विष्वविद्यालय की निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :–

(क) राज्य सरकार से अनुदान;

(ख) केन्द्र सरकार से अनुदान;

(ग) बचत, सावधि जमा तथा अन्य आस्तियों पर बैंक ब्याज से अर्जित आय;

(घ) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों, रायल्टी, पेटेंट, उद्‌भवन से अर्जित राजस्व;

(ङ) परीक्षण सेवा तथा उद्योगों को परामर्ष से अर्जित राजस्व;

(च) छात्रों का षुल्क;

(छ) अन्य षुल्क इत्यादि।

विष्वविद्यालय सभी वंष, मत, जातियों और वर्गों के लिए होगा

7–(1) विष्वविद्यालय प्रत्येक लिंग और किसी भी वंष, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विष्वविद्यालय के लिए यह विधि सम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विष्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने के लिए या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु हकदार करने के उद्‌देष्य से धार्मिक विष्वास या व्यवसाय

या राजनीतिक विचार की कोई परीक्षा जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

(2) इस धारा की कोई बात विष्वविद्यालय को महिलाओं, समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों और विषेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेष के लिए कोई विषेष उपबन्ध बनाने से नही रोकेगी।

अध्याय–3

सरकार द्वारा निरीक्षण, जाँच एवं निदेष

निरीक्षण एवं जांच

8–(1) सरकार के पास यह षक्ति होगी कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह उचित समझे, विष्वविद्यालय और उसके साथ उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोषालाओं, कार्यषालाओं और उपस्कर, परीक्षाओं, अध्यापन और विष्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य संबंधित कार्यों का निरीक्षण करा सके अथवा इसी प्रकार विद्यालय के षैक्षिक, प्रषासनिक और अन्य मामलों के सम्बन्ध में जांच करा सके;

(2) जहां राज्य सरकार धारा–8(1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिष्चय करे वहां वह कुलसचिव के माध्यम से निरीक्षण के बारे में विष्वविद्यालय को सूचित करेगी और कार्य परिषद् द्वारा नामित कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के समय विष्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रह सकेगा और उसे यह अधिकार होगा कि इस रूप में उसकी बात सुनी जाय रू

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण जांच के समय विष्वविद्यालय की तरफ से उपस्थित होने, अभिवाक् करने या कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा;

(3) धारा–8(1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय षपथ पत्र का साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कराने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की समस्त षक्तियां प्राप्त होंगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा–193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया समझी जायेगी;

(4) राज्य सरकार ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम को कुलपति को प्रेषित करेगी और कुलपति आवष्यक कार्यवाही करने के पष्चात् राज्य सरकार के विचारों को ऐसे परामर्ष के साथ जो राज्य

सरकार उस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रदान करे, कार्य परिषद को संसूचित करेगा;

(5) कुलपति राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर कार्य परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही की आख्या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(6) यदि विष्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पष्चात ऐसे निदेष जारी कर सकती है, जैसा वह उचित समझे, और विष्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देषों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे;

(7) राज्य सरकार धारा–8(1) के अधीन करायी गयी जांच या निरीक्षण और धारा–8(5) के अधीन कुलपति से प्राप्त संसूचना और धारा–8(6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देष की आख्या और ऐसे निर्देष के अनुपालन या अननुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक आख्या या सूचना की भी एक प्रति कुलाधिपति को प्रेषित करेगी;

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति प्राविधिक षिक्षा विभाग के परामर्ष से विष्वविद्यालय के किन्हीं कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेषों के अनुरूप न हों, लिखित रूप में निरस्त करने के लिए आदेष दे सकता है :

परन्तु यह कि ऐसा आदेष देने के पहले कुलाधिपति विष्वविद्यालय से यह कारण बताने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेष क्यों नहीं पारित किया जाय और वह बताये गये कारण, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर विचार करेगा;

(9) विष्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व एचबीटीआई कानपुर के षासकीय बोर्ड के समक्ष वर्तमान और लंबित जांच/निरीक्षण आमंत्रित करने वाले समस्त मामलों को हस्तगत कर लेगा और इसकी विभिन्न उप–समितियां इस अधिनियम के माध्यम से विष्वविद्यालय के सृजन के साथ विलीन हो जायेंगी। षासकीय बोर्ड और उसकी विभिन्न उप–समितियों के समक्ष ऐसे समस्त मामले विष्वविद्यालय के कार्य परिषद् द्वारा स्वतः अधिकार में ले लिए जाएंगे।

सरकार का नियंत्रण

9–(1) राज्य सरकार ऐसे नीतिगत मामलों पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, समय–समय पर ऐसे निर्देष जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे। विष्वविद्यालय द्वारा ऐसे निर्देषों का अनुपालन किया जायेगा;

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना विष्वविद्यालय

निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :–

(क) जिस प्रयोजन के लिए चिन्हित निधि प्राप्त की गयी हो उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसे परिवर्तित करना;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अन्तरण करना;

(ग) किसी ऐसे निर्णय को लेना जिससे विष्वविद्यालय या राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय दायित्व आये।

(3) राज्य सरकार विष्वविद्यालय के खातों की लेखा नमूना परीक्षा या पूर्ण लेखा परीक्षा, जैसा सरकार उचित समझे, करायेगी।

अध्याय–4

विष्वविद्यालय के अधिकारी

विष्वविद्यालय के अधिकारी

10–विष्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :–

(1) कुलाधिपति,

(2) कुलपति,

(3) प्रति कुलपति,

(4) कुलसचिव,

(5) वित्त नियंत्रक,

(6) डीन षैक्षिक क्रिया–कलाप,

(7) डीन सतत् षिक्षा तथा आंतरिक गुणवत्ता आष्वासन,

(8) डीन उद्भवन हब,

(9) डीन योजना तथा संसाधन उत्पादन,

(10) डीन षोध एवं विकास,

(11) डीन छात्र कल्याण,

(12) डीन विष्वविद्यालय विद्यालय,

(13) विष्वविद्यालय विभाग, विद्यालय, केन्द्र अथवा इकाई के अध्यक्ष,

(14) परीक्षा नियंत्रक,

(15) विष्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जाएं।

कुलाधिपति

11–(1) उत्तर प्रदेष के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद की हैसियत से विष्वविद्यालय के अध्यक्ष होंगे और जब वह उपस्थित हों, तो विष्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे;

(2) किसी मानद उपाधि प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा;

(3) कुलाधिपति, विष्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रषासन संबंधी कोई सूचना या अभिलेख मांग सकते हैं जिसका विष्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(4) कुलाधिपति विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के निकाय, समिति या अधिकारी के संकल्प, आदेष या कार्यवाही को निरस्त या उपान्तरित कर सकते हैं, जो उनकी राय में इस अधिनियम परिनियम, अध्यादेषों या उनके अधीन बनाए गये विनियम के उपबन्धों के अनुरूप न हो अथवा विष्वविद्यालय के हित में न हो और विष्वविद्यालय प्राधिकारी, निकाय, समिति और अधिकारी उसका अनुपालन करेंगे;

(5) कुलाधिपति के पास ऐसी षक्तियां होंगी जैसा परिनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाए।

कुलपति

12–(1) कुलपति अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा जिसके पास उच्चतर षिक्षा के स्नातक प्राविधिक उपाधि स्तर के संस्थान या विष्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;

(2) कुलपति विष्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति उपधारा (3) में यथा उपबंधित समिति की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा की जायेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) प्राविधिक षिक्षा विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव जो समिति का संयोजक भी होगा;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(4) समिति कुलपति के पद का कार्यकाल के समाप्त होने के कारण या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति के दिनांक के कम से कम 60 दिन पूर्व और जब भी आवष्यक हो और ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, कुलपति का पद धारण करने के लिए योग्य न्यूनतम तीन और अधिकतम पॉच नामों को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति नामों को प्रस्तुत करते समय कुलाधिपति के समक्ष एक संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेगी जिसमें इस प्रकार संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की षैक्षिक अर्हताएं और अन्य विषिष्टताएं

प्रदर्षित की गयी होंगी, परन्तु समिति उसमें अधिमानता क्रम को इंगित नहीं करेगी।

(5) यदि कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत एक या उससे अधिक व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा एक या एक से अधिक संस्तुत व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नही हैं और कुलाधिपति के पास चुनाव का विकल्प तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित है तो वह उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए समिति से अपेक्षा कर सकते हैं। इस समय कुलाधिपति के लिए उपधारा (4) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार विष्वविद्यालय के लिए कुलपति का चयन पूर्ण करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) (क) केवल ऐसे व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद को धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे;

(ग) 65 वर्ष की आयु न प्राप्त करने वाले कुलपति को इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति दो लगातार कार्यकालों से अधिक कार्यकाल के लिए कुलपति का पद धारण करने के लिए पात्र नही होगा :

परन्तु यह और कि कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और वह कुलाधिपति द्वारा ऐसे त्याग पत्र के मंजूर किये जाने के पष्चात अपने पद पर बना नहीं रहेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, कुलपति की सेवा की अन्य षर्तें ऐसी होगी जैसी उस निमित्त साधारण या विषेष आदेष द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय और उसकी नियुक्ति के पष्चात् उसके अलाभ के लिए उनमें परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(8) कुलपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यदि कुलाधिपति का समाधान हो जाय कि पदधारी –

(क) पागल हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;

(ख) नैतिक अधमता में संलिप्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया हो और किसी सक्षम

न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

(घ) दीर्घकालिक बीमारियों या षारीरिक निःषक्तता के कारण कृत्यों का निर्वहन करने में षारीरिक रूप से अनुपयुक्त और असमर्थ हो गया हो;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में चूक किया हो या कार्यान्वयन से इन्कार किया हो या उसमें निहित षक्तियों का दुरुपयोग किया हो;

(च) किसी ऐसे राजनीतिक दल या राजनीतिक संगठन का सदस्य हो, या अन्यथा सम्बद्ध हो, या वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में भाग ले रहा हो, या उसकी सहायता के लिए अभिदाय करता हो, या उसमें भाग लेता हो;

(9) यदि कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विष्वविद्यालय के हित में कुलपति का पद पर बने रहना हानिकारक है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पष्चात् जैसी वह उचित समझें, आदेष द्वारा कुलपति को हटा सकते है :

परन्तु यह कि कुलपति को अपने हटाये जाने के आदेष के जारी होने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

(10) कुलपति विष्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए विष्वविद्यालय द्वारा गठित कोई पेंषन, बीमा या भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विष्वविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कुलपति के रूप में की जाती है, तो उसे भविष्य निधि में अभिदाय के लिए बने रहने दिया जायेगा जिसके लिए वह अभिदाता हो और विष्वविद्यालय का अभिदाय उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।

13–(1) कुलपति विष्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और षैक्षणिक अधिकारी होगा और,–

(क) विष्वविद्यालय के कार्य–कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिष्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विष्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विष्वविद्यालय में अनुषासन बनाये रखने के लिए

उत्तरदायी होगा;

(2) वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेष के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिष्चित करे और कुलाधिपति की षक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसे ऐसी सभी षक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवष्यक हों।

(4) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति आदि के अधिवेषन बुलाने अथवा बुलवाने की षक्ति होगी।

(5) विष्वविद्यालय के षैक्षणिक या गैर–षैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति से भिन्न, जहाँ कोई ऐसा अत्यावष्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सषक्त विष्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट वह तत्काल कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकारिता रखने वालों की अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेष द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और कि विष्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिष्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य परिषद को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त

कार्य परिषद् कुलपति के आदेष को पुष्ट या निष्प्रभावी या उपान्तरित कर सकता है।

इस उपधारा की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सषक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(6) कुलपति ऐसी अन्य षक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी अध्यादेषों में निर्धारित या विहित की जाय;

(7) कुलपति को विष्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय, जैसा वह निदेषित करें, उसके भवनों, प्रयोगषालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यषालाओं और उपस्कर इत्यादि और विष्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त हॉल या छात्रावास और विष्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संचालित परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने और इसी प्रकार विष्वविद्यालय के प्रषासन या वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में या किसी विभाग का निरीक्षण कराने का अधिकार प्राप्त होगा;

प्रति–कुलपति

14–(1) यदि कुलपति, आवष्यक समझे तो कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से विष्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति–कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रति–कुलपति एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आचार्य का पद धारण किया हो।

(3) विष्वविद्यालय का प्रति–कुलपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ–साथ करेगा।

(4) प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(5) प्रति–कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय–समय पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विष्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी षक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति द्वारा उसे सौंपा जाय।

(6) प्रति–कुलपति को विष्वविद्यालय द्वारा यथा अवधारित मानदेय दिया जायेगा।

(7) प्रति–कुलपति का कार्यकाल कुलपति के पद का सहविस्तारी अथवा 60 वर्ष की आयु प्राप्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, होगा।

कुलसचिव

15–(1) कुलसचिव विष्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे

पदाधिकारियों में से, जो विषेष सचिव या समकक्ष श्रेणी से निम्न न हो ऐसे निबन्धन और षर्तों पर तीन वर्ष के लिए की जायेगी जैसे विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को विष्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की षक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विष्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कुलसचिव कार्य परिषद् का पदेन–सचिव होगा।

(5) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेषों द्वारा विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(6) कुलसचिव को विष्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक, जैसा विहित किया जायं, न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

वित्त नियंत्रक

16–(1) विष्वविद्यालय के लिए एक वित्त नियंत्रक होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर होगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विष्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति और कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखा विवरण तैयार करके प्रस्तुत करने तथा विष्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे वित्त से संबंधित कार्य परिषद् की कार्यवाहियों में बोलने तथा उसमें भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) वित्त नियंत्रक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिष्चित करें कि –

(क) विष्वविद्यालय द्वारा कोई व्यय या विनिधान, जो वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट में प्राधिकृत या उपगत न हो, नहीं किया जाय;

(ख) प्रस्तावित व्यय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार हो;

(ग) कोई वित्तीय अनियमितता न की जाय;

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्षित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए समय पर कार्यवाही की जाय;

(ङ) विष्वविद्यालय के विनिधानों का सम्यक् रूप से

परिरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(5) वित्त नियंत्रक की पहुंच विष्वविद्यालय के ऐसे वित्तीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसकी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवष्यक हो।

(6) वित्त नियंत्रक कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से विष्वविद्यालय की ओर से सभी वित्तीय संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त नियंत्रक की अन्य षक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

(8) वित्त नियंत्रक वित्त समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(9) वह समय–समय पर जारी सभी वित्तीय, वित्तीय नियम संग्रह और वित्तीय दिषा–निर्देषों के अनुरूप राज्य सरकार के अनुदेषों का पालन करेगा।

डीन, षैक्षिक क्रियाकलाप

17–(1) षैक्षिक क्रिया–कलाप का डीन, विष्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। उनकी परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाषर्तें, षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित किया जाय।

(2) डीन दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(3) वह विष्वविद्यालय की परीक्षाओं को छोड़कर, सभी षैक्षिक मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह विष्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र के समुचित प्रषासनिक कार्य–कलाप के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह विद्या परिषद् का सदस्य सचिव होगा।

डीन, सतत् षिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आष्वासन

18–(1) सतत् षिक्षा और आन्तरिक गुणवत्ता आष्वासन के डीन को कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के आचार्यों में से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। उसकी परिलब्धियां, सेवाषर्तें एवं निबन्धन, षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित किए जाएं। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह आन्तरिक गुणवत्ता आष्वासन और सतत् षिक्षा के

लिए उत्तरदायी होगा।

(4) वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से विष्वविद्यालय अस्पताल के समग्र प्रषासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह विभिन्न विभागों में विद्या परिषद् के लिए अध्ययन के पाठ्य विवरण में समीक्षा या परिवर्तन हेतु संबंधित क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त उद्योगों से अभ्युक्तियां प्राप्त करेगा।

(6) वह संकाय सदनों, कक्षाओं, प्रयोगषालाओं और अन्य इकाइयों का निरीक्षण करेगा और पायी गयी कमियों को हटाने के लिए विष्वविद्यालय की भवन और निर्माण समिति और अन्य का कुलपति को सूचित करते हुए लिखेगा।

उद्भवन हब का डीन

19–(1) उद्भवन हब का डीन कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के आचार्यों में से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवाषर्तें, षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित किये जाए। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

(क) उद्योग–विष्वविद्यालय पारस्परिक विचार–विमर्ष;

(ख) उद्भवन हब के प्रबन्धन;

(4) वह कार्य परिषद् के अनुमोदन से चयनित समाज से उभरते उद्यमियों, छात्रों, अध्यापकों और अभियन्ताओं और सक्षम तकनीकी व्यक्तियों के लिए स्थापित उद्भवन हब के साधारण प्रषासन के लिए भी उत्तरदायी होगा। विष्वविद्यालय घर में विकसित उत्पाद और प्रक्रिया पर आधारित एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए न्यायसंगत उद्यम पूंजी उत्पन्न करने हेतु उन्हें सहयोग भी प्रदान करेगा।

(5) वह संबंधित षाखा के छात्रों के ग्रीष्मकालीन प्रषिक्षण के साथ जुड़े हुए, ग्रीष्मकालीन अवकाष के दौरान 30 दिनों की अवधि के लिए तीन वर्ष में एक बार अभियंत्रण/ तकनीकी/प्रबंध विधाओं से सुसंगत उद्योग के अध्यापकों के संलग्नकों को कार्य परिषद् को संस्तुत करेगा।

डीन योजना तथा संसाधन जनन

20–(1) योजना तथा संसाधन जनन का डीन कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के आचार्यों में से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबन्धन और सेवाषर्तें और षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह लगातार कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह विष्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उद्योग के लिए परामर्ष और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के सम्प्रवर्तन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(4) वह विष्वविद्यालय के सेवानियोजन के लिए विष्वविद्यालय के सेवानियोजन प्रकोष्ठ के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(5) वह पूर्व छात्र प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में विष्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ विचार–विमर्ष करने के लिए उत्तरदायी होगा और विष्वविद्यालय के लिए संसाधन जनन के अभिदाय हेतु उनको प्रेरित करेगा।

(6) वह विष्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और उद्भवनकर्ताओं द्वारा जनित विष्वविद्यालय की ओर से एकस्व (पेटेंट) और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आई.पी.आर.) दायर करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

(7) सभी विभागाध्यक्षों, योजना तथा संसाधन जनन के डीन से मिलकर गठित औपचारिक समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :–

(क) विष्वविद्यालय के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देष्य से संसाधन जनन;

(ख) विष्वविद्यालय और इसके छात्रों के कल्याण के लिए नयी नीतियों और तंत्रों हेतु योजना और अन्य रणनीतियों की तैयारी।

डीन, षोध एवं विकास

21–(1) षोध एवं विकास का डीन कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के आचार्यों में से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, कार्यकाल और सेवा–षर्तें और षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित किये जांय। वह प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(3) वह विष्वविद्यालय षोध एवं विकास परिषद् का सदस्य–सचिव होगा।

(4) विष्वविद्यालय के उत्पादों, विधि विशेषज्ञताओं और कार्यप्रणाली इत्यादि के एकस्व (पेटेन्ट) प्रक्रिया के साथ–साथ षोध क्रिया–कलाप के संप्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

डीन, छात्र कल्याण

22–(1) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के आचार्यों में से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। परिलब्धियां, निबंधन और सेवा षर्तें और षक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित की जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(2) वह दो वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और लगातार एक कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :–

(क) विष्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि में से छात्रों से सम्बन्धित छात्रावास अथवा छात्र निवास जिनमें भोजनालय सुविधा, सफाई, विद्युत यांत्रिकी तथा नागरिक समस्याओं आदि के अनुरक्षण इत्यादि षामिल है, का समुचित क्रियान्वयन;

(ख) विष्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुषासन बनाये रखना।

(4) वह विष्वविद्यालय छात्र क्रिया–कलाप परिषद् का अध्यक्ष होगा तथा विष्वविद्यालय के प्राविधिक एवं सांस्कृतिक उत्सव के संचालन के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(5) वह छात्रों की नीचे उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखेगा :–

(क) राष्ट्रीय सेवायोजना उप परिषद्

(ख) फोटोग्राफी उप परिषद्

(ग) साहित्यिक उप परिषद्

(घ) अभिरुचि उप परिषद्

(ङ) क्रीड़ा उप परिषद्

(च) योग उप परिषद्

(छ) राष्ट्रीय कैडेट कोर उप परिषद्

(ज) सांस्कृतिक उप परिषद् आदि।

डीन, विश्वविद्यालय के विद्यालयों

23–(1) विष्वविद्यालय में विभिन्न चार विद्यालयों अर्थात अभियांत्रिकी विद्यालय, रासायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय, मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान

विद्यालय में से प्रत्येक के लिए चार डीन, विष्वविद्यालय के विद्यालय होंगे।

(2) डीन विद्यालय का नाम–निर्देषन कुलपति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विद्यालयों के अधीन विभागों के आचार्यों में से किया जाएगा। उसकी परिलब्धियाँ, निर्बन्धनों, सेवा षर्तें तथा अधिकार एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में निर्धारित किया जाय। वह कुलपति के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(3) उसका कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा और वह लगातार पुनः नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा।

(4) वह सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से विद्यालय के अधीन विभिन्न विभागों के समुचित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) वह उद्योग षिक्षा वार्तालाप की नयी क्रियाविधि सुझाने के अतिरिक्त, विभाग में परामर्ष, षोध एवं नवाचार कार्य के पर्यवेक्षण हेतु, उद्योग आदानों को षामिल करने के पष्चात् पाठ्यक्रम की नियमित समीक्षा तथा नये पाठ्यक्रम षुरू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) डीन, अभियांत्रिकी विभाग एवं इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा केन्द्रीय कार्यषाला अथवा कोई अन्य विभाग जैसा विष्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रषासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) डीन, रसायनिक प्रौद्योगिकी विद्यालय के डीन सुघट्य प्रौद्योगिकी, प्रलेप प्रौद्योगिकी, तैल प्रौद्योगिकी, जैव–रासायनिकी अभियांत्रिकी, चर्म प्रौद्योगिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी अथवा विष्वविद्यालय के अनुसार अन्य किसी विभाग के सामान्य प्रषासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) मौलिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यालय का डीन, भौतिकी, रसायन, गणित तथा संगणक अनुप्रयोग विभाग अथवा किसी अन्य विभाग, जैसा विष्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रषासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, विद्यालय का डीन अंग्रेजी, अर्थषास्त्र, प्रबंधन तथा भाषायें आदि अथवा किसी अन्य विभाग जैसा विष्वविद्यालय उचित समझे, के सामान्य प्रषासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, विभाग/केन्द्र इकाई

24–(1) विष्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग/केन्द्र/ इकाई एक अध्यक्ष के प्रभार में होगा, जिसका नाम–निर्देषन कुलपति द्वारा विष्वविद्यालय के विभाग/केन्द्र/इकाई के आचार्यों में से और आचार्य न होने की दषा में सह–आचार्यों में से किया जाएगा।

(2) सम्बन्धित विद्यालय के डीन के माध्यम से विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष कुलपति के सामान्य नियंत्रण में विभाग/केन्द्र/इकाई के समुचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों और कुलपति के निर्णयों का समुचित क्रियान्वयन सुनिष्चित कराना, विभाग/केन्द्र/इकाई के अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

(4) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष विभाग के पाठ्य बोर्ड जैसा लागू हो, का अध्यक्ष होगा।

(5) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को, प्रष्न पत्र सेंटर की नियुक्ति, षोध एवं लघुषोध प्रबंध के मूल्यांकन तथा मौखिक परीक्षा हेतु परीक्षक, जहां भी स्नातक, परास्नातक, डॉक्टरेट अथवा उच्च षिक्षा इत्यादि की उपाधि प्रदान करने हेतु लागू करना हो, की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों की अनुसंषा करेगा।

(6) विभाग/केन्द्र/इकाई का अध्यक्ष सतत् षिक्षा कार्यक्रम तथा अभिविन्यास एवं पुनष्चर्या पाठ्यक्रम के आयोजन हेतु सुझाव देगा।

परीक्षा नियंत्रक

25–(1)(क) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अथवा विष्वविद्यालय के षिक्षकों में से, जो आचार्य से निम्न श्रेणी का न होगा, की जाएगी।

(ख) परीक्षा नियंत्रक, विष्वविद्यालय के परीक्षा संचालन तथा उनके परिणामों की घोषणा के लिए मुख्य प्रधान प्रभारी अधिकारी होगा। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विद्या परिषद् के अधीक्षण, निर्देषन एवं नेतृत्व में करेगा। वह कुलपति के सीधे निर्देषन व नियंत्रण में दो वर्ष हेतु कार्यरत होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा मण्डल तथा परीक्षा मण्डल द्वारा नियुक्त उप समितियों का अध्यक्ष होगा।

(3) व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना परीक्षा नियंत्रक परीक्षा आयोजित करवाने तथा उनके परिणाम घोषित करवाने हेतु समस्त आवष्यक व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि–

(क) परीक्षा कैलेण्डर पहले से तैयार करके घोषित करे;

(ख) प्रष्न पत्रों के छपवाने का प्रबन्ध करे;

(ग) परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में किये गये प्रदर्षन का उचित मूल्यांकन करे, और परिणाम प्रक्रिया को पूरा करने की व्यवस्था करे;

(घ) परीक्षा तथा अन्य परीक्षणों के परिणामों का समयबद्ध प्रकाषन की व्यवस्था करे;

(ङ) कदाचार की स्थिति में अथवा परिस्थिति के अनुसार परीक्षाओं को आंषिक या पूर्ण रूप से स्थगित करना या निरस्त करना तथा कुलपति की स्वीकृति उपरान्त, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा कदाचार में आरोपित संस्था के विरुद्ध अनुषासनात्मक अथवा सिविल या दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ करे। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा किये गये कदाचार के जघन्य मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव द्वारा की जायेगी।

(च) परीक्षा सम्बन्धी कदाचार में दोषी पाये गये, परीक्षार्थियों, प्रष्न पत्र सेट करने वालों, परीक्षकों, परिअनुसीमकों अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करना।

(छ) समय–समय पर विष्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों का अवलोकन कर, षैक्षिक परिषद् के माध्यम से कार्यकारी परिषद् को विवरण अग्रसारित करना।

(4) परीक्षा नियंत्रक ऐसे सभी कार्य सम्पादित करेगा और सभी षक्तियों का प्रयोग करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे समय–समय पर सौंपा जाय।

विष्वविद्यालय के अन्य अधिकारी एवं प्राधिकारी

26–कुलाधिपति, कुलपति, वित्त नियंत्रक तथा कुलसचिव से भिन्न विष्वविद्यालय के अधिकारियों की षक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा अध्यादेषों में विहित और निर्धारित किये जायं।

विष्वविद्यालय के सभी वेतन भोगी अधिकारी, प्राधिकारी, समितियाँ अथवा निकाय अध्यापक और विष्वविद्यालय के अन्य कर्मचारिवृन्द/कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

अध्याय–पांच
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विष्वविद्यालय के प्राधिकारी

27–विष्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(1) कार्य परिषद्
(2) विद्या परिषद्
(3) वित्त समिति

(4) षोध एवं विकास परिषद्
(5) उद्भवन परिषद्
(6) विद्यालय/विभाग/केन्द्र/इकाइयाँ
(7) प्रवेष समिति
(8) अध्ययन बोर्ड
(9) परीक्षा बोर्ड
(10) षैक्षणिक समिति
(11) सतत् षिक्षा कार्यक्रम केन्द्र
(12) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विष्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जायं।

कार्य परिषद्

28–(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति; अध्यक्ष
(ख) प्रति–कुलपति; यदि कोई सदस्य
(ग) निदेषक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नाम–निर्देषिती; सदस्य
(घ) निदेषक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद या आचार्य की श्रेणी से अनिम्न उसका नाम–निर्देषिती; सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् या उसका नाम–निर्देषिती; सदस्य
(च) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम विष्वविद्यालय का कुलपति या कुलपति का नाम–निर्देषिती जो आचार्य की श्रेणी से अनिम्न होगा; सदस्य
(छ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो विख्यात उद्योगपति; सदस्य
(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो विख्यात प्रौद्योगिकीविद्;
(झ) प्राविधिक षिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव; सदस्य
(ञ) वित्त विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का नाम–निर्देषिती; सदस्य
(ट) उच्च षिक्षा विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का नाम–निर्देषिती; सदस्य
(ठ) कार्य परिषद् के पदेन सचिव के रूप में कुलसचिव। सदस्य

(2) धारा 28(1) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए

भी कोई व्यक्ति जब तक कि वह स्नातक न हो, कार्य परिषद् के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(4) कार्य परिषद् एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के छः सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) वित्त नियन्त्रक और परीक्षा नियन्त्रक, यदि आवष्यक हो, किसी बैठक के कार्य सूची में सम्मिलित अपने कार्य के मामलों के सम्बन्ध में मताधिकार के बिना अपने संबंधित क्षेत्र के मामलों में परिषद् के विषेष अतिथि हो सकेंगे।

(7) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् के रूप में चुने जाने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसके परिजन अवैध परितोषण में किसी कार्य के लिए विष्वविद्यालय या किसी संविदा के लिए सामानों की आपूर्ति के लिए, या विष्वविद्यालय के लिए किसी कार्य के निष्पादन हेतु लिप्त हों।

स्पष्टीकरण:– इस धारा में सम्बन्धी का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1951 की धारा 6 में परिभाषित सम्बन्धियों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी के (या पति के) भाई, पत्नी के (या पति के) पिता, पत्नी की या पति की बहन, भाई का बेटा और भाई की बेटी भी हैं।

कार्य परिषद् की शक्तियां एवं कृत्य

29–(1) कार्य परिषद् विष्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन इसकी निम्नलिखित षक्तियाँ एवं कार्य होंगे :–

(क) विभिन्न षैक्षिक विभागों, विद्यालयों तथा षोध केन्द्रों की कार्यषीलता की, समय–समय पर, यह सुनिष्चित करने के लिए समीक्षा करना कि वे विष्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देष्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा यदि आवष्यक हो तो उन्नयन हेतु उचित निर्देष देना;

(ख) विष्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण षैक्षिक निर्देष तथा षोध सुनिष्चित करने हेतु उचित कदम उठाना ताकि विष्वविद्यालय निर्धारित स्तर प्राप्त करे तथा विष्वविद्यालय के स्नातक लाभपूर्ण सेवायोजन अथवा उच्च षिक्षा हेतु अवसर प्राप्त करने में सक्षम हों तथा समय–समय पर इस हेतु उन्नति की समीक्षा करना;

(ग) निम्नलिखित पर विचार–विमर्ष तथा अनुमोदन देना :–

(एक) वार्षिक लेखा; तथा

(दो) विष्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट;

(घ) विष्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेष, सम्पत्ति, व्यापार तथा अन्य सभी प्रषासनिक मामलों का प्रबन्धन तथा विनियमन करना तथा इस उद्देष्य हेतु समितियों का गठन एवं विष्वविद्यालय की ऐसी समितियों को अथवा ऐसे अधिकारियों को यथोचित षक्तियाँ प्रदान करना;

(ङ) प्रदेष सरकार की पूर्वानुमति से विष्वविद्यालय की अनुप्रयुक्त आय सहित अन्य धन को भारत में अचल सम्पत्ति में क्रय हेतु प्रयोग करना;

(च) विष्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करना, बदलाव करना, चलाना तथा निरस्त करना तथा इस उद्देष्य हेतु यथोचित अधिकारी नियुक्त करना;

(छ) विष्वविद्यालय के कार्य करने हेतु भवन, परिसर, उपस्कर तथा उपकरण एवं अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(ज) विष्वविद्यालय के अधिकारियों, षिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की षिकायतों के निवारण हेतु उनकी सुनवाई तथा यथोचित निर्णय लेना;

(झ) सरकार के अनुमोदन से विष्वविद्यालय में षैक्षणिक तथा अन्य पदों का सृजन तथा नियुक्तियाँ करना;

(ञ) षैक्षिक परिषद् से परामर्ष से परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा आवष्यकतानुसार उनका निष्कासन एवं उनका षुल्क, परिलब्धियाँ तथा यात्रा व अन्य भत्ते निष्चित करना;

(ट) विष्वविद्यालय की सामान्य मुहर का चयन करना;

(ठ) ऐसी अन्य षक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कर्तव्य, जिन्हें अधिनियम के अधीन आवष्यक समझा जाय या इसके द्वारा अधिरोपित किया जाय, का निर्वहन करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, कार्य परिषद् अथवा विष्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी विष्वविद्यालय की किसी भी अचल सम्पत्ति (प्रबन्धन के सामान्य तौर पर मासिक आधार पर किराये पर दिये जाने के अतिरिक्त) किसी प्रकार के गिरवी, विक्रय, प्रतिदान, उपहार अथवा अन्य विधि आदि से नहीं दी जा सकेगी तथा राज्य सरकार की पूर्व संस्वीकृति के अतिरिक्त, इन सम्पत्तियों पर कोई धन

अग्रिम अथवा ऋण नहीं लिया जायेगा।

(3) कोई भी व्यय जिनमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवष्यक हो, राज्य सरकार की पूर्वानुमति बिना नहीं किया जायेगा।

(4) वित्त समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय सीमा में कार्य परिषद् वृद्धि नहीं करेगी।

(5) माननीय न्यायालयों द्वारा वर्णित भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था अनुसार कार्य परिषद्, विष्वविद्यालय के षिक्षकों तथा कर्मचारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(6) कार्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में निम्नलिखित कार्य करेगीः–

(क) वर्तमान षैक्षणिक कार्यक्रम तथा सहयोगात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करना;

(ख) उच्च षिक्षा में औद्योगिक अपेक्षाओं से संगत नये षैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु सुझाव देना;

(ग) नयी उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, वित्तीय षोध पुरस्कार तथा अन्य षैक्षणिक विषिष्टतायें इत्यादि स्थापन हेतु सुझाव देना;

(घ) षैक्षिक समिति की अनुषंसा पर मानद उपाधि अथवा अन्य षैक्षणिक विषिष्टियां प्रदान करना;

(ङ) उद्भवन हब में कार्यषील गतिविधियों की समीक्षा करना।

(7) कार्य परिषद् विष्वविद्यालय की वार्षिक वित्तीय आगणन (आय–व्ययक), वार्षिक षैक्षणिक आख्या, वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा आख्या इत्यादि को प्राप्त, विचारित तथा अनुमोदित करेगी।

(8) कार्य परिषद् विष्वविद्यालय की वृहद् नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी एवं उनमें गुणवत्ता तथा विकास हेतु सुझाव देगी।

(9) कार्य परिषद् के सभी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय के आधार पर होगें। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और मतों के समान होने की दषा में ही अध्यक्ष, कार्य परिषद् अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(10) यदि कार्य परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई करना आवष्यक हो तो कुलपति, परिषद् के सदस्यों में कागजातों के संचालन के द्वारा

कार्य सम्पन्न करा सकेगा। ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने की दषा में मान्य होगी। कृत कार्यवाही कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरंत सूचित की जायेगी परन्तु यह कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा यदि इसका वित्तीय प्रभाव हो।

विद्या परिषद्

(30)—(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रमुख सचिव, तकनीकी षिक्षा, उत्तर प्रदेष सरकार का नामित प्रतिनिधि;

(ग) विष्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, विद्या सम्बन्धी डीन सदस्य सचिव होंगे;

(घ) निदेषक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ (प्रत्येक से एक) का आचार्य से अनिम्न पंक्ति का प्रतिनिधि;

(च) डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विष्वविद्यालय, उत्तर प्रदेष, लखनऊ का एक प्रतिनिधि;

(छ) विष्वविद्यालय के सभी विभाग, केन्द्र तथा निकाय के अध्यक्ष;

(ज) विष्वविद्यालय के विभाग, केन्द्र तथा निकाय के आचार्य जहाँ विभागाध्यक्ष एसोसिएट आचार्य हो;

(झ) विष्वविद्यालय का मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(ञ) कार्य परिषद् द्वारा नामित षैक्षणिक श्रेष्ठता प्राप्त पांच व्यक्ति जो विष्वविद्यालय के कर्मचारी न हों।

(2) विद्या परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आहूत होगी।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(4) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(5) विद्या परिषद् विष्वविद्यालय की, वर्तमान तथा भविष्य के षैक्षणिक कार्यक्रमों पर षैक्षणिक प्रतिपुष्टि हेतु मुख्य षैक्षिक निकाय होगी। इस अधिनियम, परिनियम तथा विनियम के प्राविधानों के अनुसार परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) वह विष्वविद्यालय में अनुदेषों तथा षिक्षा के स्तर के वहन और अनुरक्षण, नियंत्रण तथा सामान्य नियमन के लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) वह कार्य परिषद् को पाठ्यक्रम समिति तथा विष्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में समन्वयन सम्बन्धी मामलों सहित अन्य सभी षैक्षणिक मामलों पर परामर्ष दे सकती है;

(ग) कार्य परिषद् को षैक्षणिक अनियमितताओं के उचित मामलों में प्रषासनिक कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगी;

(घ) वह कार्य परिषद् द्वारा सूचित मामलों पर विचार करेगी;

(ङ) उसकी ऐसी अन्य षक्तियां एवं कर्तव्य होंगे जैसे विहित किये जायं।

(6) पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् की निम्नलिखित षक्तियाँ व कर्तव्य होंगे :–

(क) तकनीकी षिक्षा को रोजगारपरक बनाने हेतु उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर, पाठ्यक्रम का नियमित पुनरीक्षण करना;

(ख) उपाधि, द्वि–उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य षैक्षणिक विषिष्टताओं के संस्थापन हेतु कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(ग) कार्य परिषद् को षैक्षणिक मामलों सम्बन्धी बिन्दुओं पर प्रावधानों को बनाने, सुधारने अथवा लोप करने हेतु संस्तुत करना;

(घ) नये विद्यालय, विभाग, केन्द्र, उच्च षिक्षा, षोध एवं विषिष्ट अध्ययन, षैक्षणिक सेवाओं की इकाइयों तथा पुस्तकालयों, प्रयोगषालाओं एवं संग्रहालयों इत्यादि की स्थापना हेतु प्रस्ताव बनाना;

(ङ) विष्वविद्यालय के आचार्य, सह.आचार्य, सहायक आचार्य तथा गैर व्यावसायिक षैक्षणिक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु नये प्रस्तावों पर विचार करना तथा संस्तुत करना;

(च) विष्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के षिक्षकों तथा गैर व्यवसायी षैक्षणिक कर्मचारियों एवं इन श्रेणियों में विषिष्ट पद हेतु, विष्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तुत योग्यताओं, अतिरिक्त योग्यताओं, यदि कोई है, को विहित कर राज्य सरकार अथवा अन्य को संस्तुत करना;

(छ) कार्य परिषद् को फैलोषिप, यात्रा फैलोषिप, छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार, षोध पुरस्कार, संकाय सदस्यों का उद्योग सम्बद्धीकरण, उद्योगों को परामर्ष इत्यादि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा विनियम बनाना;

(ज) परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध प्रष्न.पत्र सेटर, परीक्षक, मध्यस्थ तथा अन्य हेतु योग्यताएं तथा मानदण्ड प्रस्तावित करना;

(झ) परास्नातक उपाधि (डी0एससी0, डी0लिट0), डाक्टरेट उपाधि, स्नातक एवं परास्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि.पत्र, उपाधि.पत्र, प्रमाण.पत्र तथा अन्य षैक्षणिक विषेषताओं के सभी ग्रहणकर्ताओं की सूची को अनुमोदित करना;

(ञ) कुलाधिपति को कार्य परिषद् के माध्यम से मानद उपाधि प्रदान करने हेतु नामों को प्रस्तावित करना;

(ट) दीक्षांत समारोह की तिथि निष्चित करना तथा आयोजित करना;

(ठ) उद्योगों को परामर्ष उपलब्ध कराना।

वित्त समिति

31—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कुलपति दृ अध्यक्ष;

(ख) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेष सरकार का विषेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;

(ग) प्रमुख सचिव, तकनीकी षिक्षा विभाग, उ0 प्र0 सरकार का विषेष सचिव से अनिम्न पंक्ति का नामिति;

(घ) वित्त नियंत्रकदृ सदस्य सचिव;

(च) कुलसचिवदृ सदस्य।

(2) वित्त समिति की बैठक वर्ष में न्यूनतम चार बार होगी।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

(4) किसी बैठक में तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) वित्त समिति कार्य परिषद् को विष्वविद्यालय के सम्पत्ति के प्रषासन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देगी। यह, विष्वविद्यालय के आय तथा संसाधनों के मामले में आगामी वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा तय करेगा तथा विषेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान निष्चित व्यय सीमा को पुनरीक्षित करेगा तथा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी निष्चित सीमा सामान्यतः अनुसरित की जायेगी।

(6) वित्त समिति की निम्नलिखित षक्तियाँ होंगी :दृ

(क) विष्वविद्यालय के वार्षिक आय—व्ययक का परीक्षण तथा संवीक्षा करना एवं कार्य परिषद् को उचित संस्तुति करना;

(ख) विष्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले वित्तीय विषयों पर, कार्य परिषद् द्वारा पहल करने अथवा स्वयं द्वारा अपने विचार रखना

तथा कार्य परिषद् को उस पर संस्तुति करना;

(ग) विष्वविद्यालय के विकास हेतु संसाधनों के संवर्धन, आश्रयन हेतु संभावना खोजना;

(घ) कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विष्वविद्यालय के लेखा के परीक्षण हेतु आवष्यक कदम उठाना;

(ङ) विष्वविद्यालय के निधियों तथा सम्पत्ति के प्रषासन सम्बन्धी मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह देना;

(च) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेषों का उचित अनुपालन सुनिष्चित करना;

(छ) विष्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद् अथवा अन्य प्राधिकारी, निकाय अथवा समिति या अन्य अधिकारी को वित्तीय मामलों पर सलाह देना;

(ज) कुलपति को, वित्तीय मामलों पर हुई किसी कमी अथवा अनियमितता, जो संज्ञान में है, पर आख्या देना, जो मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत उचित तात्कालिक कदम उठायेगा अथवा कार्य परिषद् को अनुसंषित करेगा;

(झ) ऐसी अन्य षक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग करना जैसी विहित की जांय।

शोध एवं विकास परिषद्

32–(1) विष्वविद्यालय के षोध व सम्बन्धित गतिविधियों के लिए, षोध एवं विकास परिषद् उत्तरदायी होगा।

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) परास्नातक षिक्षा अथवा षोध संचालन करने वाला, कुलपति द्वारा नामित एवं अनुमोदित, एक षिक्षक, जो संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष विष्वविद्यालय संस्थान अथवा विभाग अथवा केन्द्र अथवा इकाई नहीं है;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय षोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विषेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष षोध एवं विकास जो सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम् दो बार बैठक करेगी।

(5) कार्य परिषद् के अनुमोदनोपरान्त, समिति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, उद्योगों, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संस्थाओं इत्यादि के साथ पारस्परिक सक्रिय सहयोग स्थापित करेगीः

परन्तु यह कि किसी विदेषी पारस्परिक सहयोग हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवष्यक होगी।

(6) समिति उत्तरदायी होगी :–

(क) अंतरविष्वविद्यालय तथा उद्योग, कृषि, बैंक, वाणिज्य तथा समुदाय इत्यादि से विष्वविद्यालय के पारस्परिक विचार–विमर्ष विकसित करने हेतु विषेष योजनाएं बनाना तथा सम्बन्ध स्थापन हेतु सुझाव देना;

(ख) अधिनियम के अनुसार विष्वविद्यालय के उद्देष्यों के दृष्टिगत, लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनायें राज्य तथा राष्ट्रीय षिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बनाना;

(ग) विष्वविद्यालय हेतु षोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों को कार्य परिषद् को संस्तुत करना;

(घ) सभी अनुमोदित षोध एवं विकास तथा पारस्परिक सहयोग कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना तथा वर्ष में एक बार, कुलाधिपति को प्रगति आख्या प्रस्तुत करना;

(ङ) विष्वविद्यालय द्वारा अनुदानित षोध एवं विकास निधि का मूल्यांकन तथा आंकलन करना एवं कार्य परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;

(च) विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी इत्यादि के नवीकरण तथा समकालीन षोध परिक्षेत्रों में प्रषिक्षित व्यक्तियों की आवष्यकता का आंकलन करना तथा षैक्षिक परिषद् को सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा सुदृढ़ करने हेतु आवष्यक अनुसंषा करना;

(छ) विष्वविद्यालय के विभिन्न षैक्षिक विभागों/केन्द्रों/इकाईयों द्वारा अनुसंषित पी0एच0डी0 हेतु षोध स्नातक समिति (आर0डी0सी) को अनुमोदित करना;

(ज) विष्वविद्यालय के लिए षोध एवं विकास परीक्षा कराना तथा उसकी आख्या तैयार करना एवं सत्र आधार पर परिनियम के प्रावधानों के अनुसार विष्वविद्यालय के षोध एवं विकास विवरण अनुरक्षण करना एवं षैक्षिक परिषद/ कार्य

परिषद् जैसा लागू हो,को उक्त के अनुपालन हेतु आवष्यक अनुसंषा करना;

(झ) नियमानुसार विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को प्रस्तुत होने वाली षोध परियोजनाओं के संस्थान तथा विकास हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का आंकलन करना तथा उनको राज्य सरकार अथवा उचित प्राधिकरण को, परिनियमानुसार संसाधित करना;

(ञ) विष्वविद्यालय में षोध संस्कृति के उन्नयन हेतु वित्तीय षोध पुरस्कार, उत्कृष्ट षोध हेतु प्रमाण–पत्र अनुसंषित करना;

(ट) विष्वविद्यालय के षिक्षकों तथा छात्रों से प्राप्त एकस्व एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संवीक्षा करना।

उद्भवन हब

33–(1) उद्भवन हब, विष्वविद्यालय के छात्रों तथा षिक्षकों व समाज के अन्य सिद्धहस्त व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों को, बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होगा;

(2) इसके निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(क) कुलपति जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा नामित एक संकायाध्यक्ष;

(ग) संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त, न्यूनतम आचार्य स्तर का विभाग/केन्द्र/ईकाई का अध्यक्ष, जो कि षैक्षिक परिषद् द्वारा दो वर्ष हेतु नामित होगा;

(घ) समिति द्वारा सहयोजित न्यूनतम आचार्य स्तर के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय षोध संस्थानों से कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित दो विषेषज्ञ;

(ङ) कार्य परिषद् द्वारा नामित तथा अनुमोदित, उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायिक निकायों के पाँच प्रतिनिधि;

(च) संकायाध्यक्ष उद्भवन हब सदस्य सचिव होगा।

(3) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(4) समिति वर्ष में न्यूनतम् चार बार बैठक करेगी।

(5) परिषद्, उद्भवन हब के उत्कर्ष हेतु रणनीतियों तथा तंत्र की योजनाएं बनाने के साथ, उद्भवन हब के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होगी।

(6) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से कार्य परिषद् के अनुमोदन के अधीन छात्रों,षिक्षकों तथा अभियंताओं एवं समाज के तकनीक सक्षम

व्यक्तियों में से नवोदित उद्यमियों हेतु संस्थापित उद्भवन हब के सामान्य प्रषासन हेतु उत्तरदायी होगी। विष्वविद्यालय उद्भवन हब में विकसित उत्पादों एवं विधियों पर आधारित नये उद्योग की स्थापना हेतु उद्यम पूंजी जुटाने के लिए उद्भवन हब को सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(7) यह संकायाध्यक्ष के माध्यम से विभिन्न विभागों में विद्या परिषद् को, पाठ्यक्रमों में पुनरीक्षण अथवा बदलाव हेतु सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित उद्योगों की आवष्यकतानुसार टिप्पणियाँ तथा अंतर्वस्तु अनुसंषित करेगा।

विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ईकाई

34–(1) विष्वविद्यालय में ऐसे विद्यालय/विभाग/केन्द्र/ईकाई होंगे जैसे विहित किये जांय।

(2) प्रत्येक विद्यालय/विभाग/केन्द्र/इकाई अथवा निकाय में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जैसे अध्यादेषों द्वारा उसे दिये जांय।

(3) (क) विष्वविद्यालय में प्रत्येक षिक्षण में विद्यालय/विभाग/ केन्द्र/ईकाई अथवा निकाय में एक संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी होगा जैसा प्रयोज्य हो। ऐसे संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रभारी की नियुक्ति ऐसे होगी जैसे विहित की जायं।

(ख) विभाग/केन्द्र/इकाई के अध्यक्ष के पद पर आचार्य में से नियुक्ति चक्रानुक्रम के आधार पर होगी। विभाग/केन्द्र/ईकाई में मात्र एक आचार्य होने की दषा में, अध्यक्ष पद का चक्रानुक्रम आचार्य तथा वरिष्ठतम सहयुक्त आचार्य के मध्य वरिष्ठता के आधार पर होगा :

परन्तु यह कि विभागों के मामले में,–

(एक) कोई आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद सहयुक्त आचार्य के मध्य तीन वर्षों की अवधि हेतु विहितानुसार चक्रानुक्रमित होगा।

(दो) कोई आचार्य तथा सहयुक्त आचार्य न होने पर, अध्यक्ष पद संबंधित विद्यालय के संकायाध्यक्ष को जायेगा। तथापि वरिष्ठतम सहायक आचार्य विभाग/केन्द्र/ ईकाई का प्रभारी अधिकारी होगा।

(4) अध्यक्ष/विभाग/केन्द्र/इकाई अपने विभाग/ केन्द्र/ईकाई में षिक्षा कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा तथा अध्यादेष द्वारा प्रदत्त सभी षक्तियाँ तथा कर्तव्य उसमें निहित होंगे। तथापि सामान्य प्रषासन हेतु वह सम्बन्धित संकायाध्यक्ष विद्यालय को सूचित करेगा।

(5) विभिन्न अध्ययन के विषयों के लिए, अध्यादेष के उपबन्धों के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन किया जायेगा तथा एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय दिये जा सकते हैं।

प्रवेष समिति

35—(1) विष्वविद्यालय की एक प्रवेष समिति होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसा अध्यादेष में दिया जाय।

(2) प्रवेष समिति का यह दायित्व होगा कि विष्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेष हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रवेष परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के प्रवेष के लिए ऐसी रीति से जैसे विहित की जाय, चयन करें।

(3) प्रवेष समिति को षक्तियाँ होंगी कि उतनी संख्या में उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

(4) विष्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेष हेतु नीतियों अथवा मानदण्डों का निर्धारण कार्य परिषद् के अधीक्षण के अधीन प्रवेष समिति करेगी।

(5) किसी भी छात्र को जिसे इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रवेष दिया गया हो, विष्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार उल्लंघन द्वारा किये गये किसी भी प्रवेष को रद्द कर दे।

अध्ययन बोर्ड

36—(1) विष्वविद्यालय में एक अध्ययन बोर्ड होगा। इसका गठन ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय। बोर्ड की निम्नलिखित षक्तियाँ और कर्तव्य होंगें :—

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक सहित, पुस्तकों, अनुपूरक पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और अन्य सामग्री की संस्तुति करना;

(ख) विद्या परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाये गये विनियमों के अनुसार पाठ्यक्रम समिति के परिक्षेत्र में, पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु लेखकों तथा अन्य सिद्धहस्तों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री के प्रकाषन अथवा संकलन अथवा लेखन, साथ ही विष्वविद्यालय के षिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सामग्री के विकास हेतु, विद्या परिषद् को अनुमोदन हेतु संस्तुति करना;

(ग) परीक्षाओं हेतु प्रष्न पत्र निर्धारकों, परीक्षकों तथा परिनियमकों की नियुक्ति के लिए उचित व्यक्तियों के नामों को सूची में सम्मिलित करने हेतु संस्तुति करना;

(घ) पाठ्यक्रम की समीक्षा करना तथा संबंधित क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त उद्योगों से प्राप्त आवश्यकतानुसार टिप्पणियों अथवा सामग्रियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना।

(2) कुल सदस्यों की आधी संख्या से गणपूर्ति होगी।

(3) पाठ्यक्रम समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक होगी।

परीक्षा बोर्ड

37–(1) विष्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड होगा। इसका गठन इस प्रकार होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) परीक्षा बोर्ड, परीक्षा प्रणाली के उन्नयन प्रष्न पत्र निर्धारकों, परीक्षकों, परिनियमकों की नियुक्ति तथा परीक्षा के दिनांक की अनुसूची तैयार करने, परीक्षा संचालन तथा इन परीक्षाओं के आयोजन एवं व्यवस्थापन हेतु, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त, परिणामों की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत होगा। विष्वविद्यालय में, परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी करेगा तथा संचालन की देखरेख भी करेगा। परीक्षा बोर्ड, विद्या परिषद् को षैक्षणिक दिनदर्षिका तैयार करने हेतु परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

(3) परीक्षा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेःदृ

(क) परीक्षा नियंत्रक – अध्यक्ष

(ख) कुलपति द्वारा नामित न्यूनतम सहयुक्त आचार्य स्तर का विष्वविद्यालय विभाग का एक अध्यक्ष

(ग) विष्वविद्यालय विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा नामित एक षिक्षक

(घ) उप परीक्षा नियंत्रक–सदस्य सचिव

(4) विद्या परिषद् के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा बोर्ड सामान्यतः विष्वविद्यालय के समस्त आंतरिक परीक्षाओं जिनमें परिनियमन, संवीक्षा और सारणीयन तथा निम्नलिखित अन्य कार्य षामिल हैं, का परिवीक्षण करेगा;

(क) कुलपति के अनुमोदन से परीक्षकों तथा परिनियमकों को हटाना ;

(ख) विष्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों की समय–समय पर समीक्षा तथा विद्या परिषद् को आख्या प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु विद्या परिषद् को संस्तुति करना;

(घ) प्रस्तावित परीक्षकों के नामों की सूची का संवीक्षण तथा अंतिम रूप देना;

(ङ) सक्षम समिति द्वारा (जिसमें समस्त डीन हैं) कुलपति को प्रस्तुत संस्तुतियों के आधार पर कुलपति के अनुमोदन से विष्वविद्यालय

की परीक्षाओं के परिणाम को घोषित करना और सक्षम समिति परीक्षा के सम्पूर्ण डाटा और अध्यादेष के अनुसार परिणाण घोषित करने की प्रक्रिया की जांच करेगी।

(5) परीक्षा बोर्ड उतनी उप समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और विषेष रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षकों अथवा परिनियमकों को नियुक्त करने की षक्ति तथा परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन प्रयोग करने सम्बन्धी मामलों को निपटाने तथा निर्णय करने की षक्तियाँ दे सकता है।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी परीक्षा बोर्ड या यथास्थिति किसी समिति या किसी व्यक्ति, जिसे विष्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की अपनी शक्ति बोर्ड ने प्रत्यायोजित की हो, के लिए ऐसा करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

(7) तात्कालिक कार्यवाही की आवष्यकता की आपातकालीन दषा में अध्यक्ष, परीक्षा बोर्ड अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अथवा व्यक्ति यथोचित कार्यवाही कर सकेगा तथा परीक्षा बोर्ड की अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, परीक्षा बोर्ड प्रष्न पत्र बनाने के लिए परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

(8) नकल करना, अभिमानी स्वभाव तथा कक्ष निरीक्षक अथवा किसी षिक्षक अथवा परीक्षा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होने की दषा में, परीक्षा नियंत्रक की अनुसंषा पर, कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेषन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) सम्बन्धित के विरुद्ध दाखिल करायी जायेगी तथा सम्बन्धित सत्र के सभी विषयों में षून्य अंक की प्रविष्टि होगी।

सतत् षिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र

38–(1) व्यापार, वाणिज्य, कृषि अथवा उद्योग या किसी अन्य तरह की सेवा से सम्बद्ध होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में पंजीकरण कराने में अक्षम व्यक्तियों को, प्रमाण–पत्र प्रदान करने के उद्देष्य से, विष्वविद्यालय एक सतत् षिक्षा कार्यक्रम हेतु केन्द्र विहितानुसार स्थापित कर सकता है।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम पृथक–पृथक रूप से संचालित होगा।

अन्य प्राधिकारी

39–विष्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, षक्ति एवं

कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय–छः

अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति तथा सेवा की षर्तें

विष्वविद्यालय के षैक्षणिक और गैर षैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निबन्धन और षर्तें एवं परिलब्धियॉ

40–विष्वविद्यालय के समस्त षैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समस्त कर्मचारियों के नियोजन के निबंधन और षर्तें, उनकी नियुक्ति की रीति और कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

कर्मचारियों की सेवा षर्तें

41–(1) विद्यमान कर्मचारियों से भिन्न प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नियमित आधार पर या अन्यथा नियुक्त किया गया हो, के साथ विष्वविद्यालय एक लिखित संविदा करेगा और संविदा के निबंधन और षर्तें इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेषों के उपबंधों के साथ असंगत नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विष्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी दी जायेगी।

अध्याय–सात

प्रवेष तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

42–(1) विष्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेष केन्द्रीय अभियांत्रिकी संस्थान से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा निकाय द्वारा संचालित उपयुक्त विख्यात प्रवेष परीक्षा के माध्यम से प्रवेष समिति द्वारा संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये परिनियमों या अध्यादेषों के अनुसार दिया जायेगा।

अध्याय–आठ

परिनियम, अध्यादेष तथा विनियम

परिनियम

43–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विष्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विषिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी षक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विष्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का चयन नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे अन्य सभी विषय

जिनके लिये उपबन्ध करना आवष्यक या वांछनीय हो;

(ग) विष्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों की षक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विष्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य षर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(ङ) विष्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य षर्तें (जिसमें अनिवार्य/स्वेच्छया सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विष्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द/कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंषन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाष यात्रा, सुविधा, दो बच्चों के षुल्क की प्रतिपूर्ति,, पारिवारिक पेंषन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते/परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य षैक्षिक विषिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ञ) विष्वविद्यालय के अवकाष और अन्य नियम, यदि यहाँ कथित न हों, वही होंगे जैसा उत्तर प्रदेष सरकार के नियम हैं;

(ट) विष्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ठ) षोध प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वजीफा, पदक पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ड) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ढ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकते हैं;

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

44–(1) विष्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जांय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे

वे निरसन, संषोधन या परिवर्धन, जो आवष्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्य परिषद् समय–समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या संषोधन कर सकती है या परिनियमों को निरस्त कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप का जिससे विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, षक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, तब तक नहीं प्रस्तावित करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी से परामर्ष न ले लिया गया हो।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संषोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस दिनांक से प्रभावी होगा जब से कुलाधिपति द्वारा उसे अनुमोदित किया जाय।

अध्यादेश

45–(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेषों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेषों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेषों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्रू–

(क) विष्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेष तथा उनका पंजीयन और इस प्रकार बने रहना;

(ख) विष्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विष्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विषिष्टताएं;

(ग) वे षर्तें जिनके अधीन छात्रों को विष्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, दोहरी उपाधियों, प्रमाण.पत्रों और डिप्लोमा में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ, दोहरी उपाधियाँ, प्रमाण.पत्र तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निर्धन–छात्रवृत्तियां, पदक, पारितोषिक, पुरस्कार आदि प्रदान करने की षर्तें;

(ङ) विष्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विष्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवास/छात्रावासों के प्रबन्ध की षर्तें;

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विष्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध;

(छ) विष्वविद्यालय के छात्रों में अनुषासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय;

(झ) किसी भी प्रयोजन हेतु अभिभावक–षिक्षक संघ का गठन;

(ञ) फीस, जो विष्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके;

(ट) वे षर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास/छात्रावासों में षिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय;

(ठ) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की षर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विष्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ण) कर्मचारियों के साधारण कल्याण से संबंधित विषय;

(त) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेषों द्वारा किये जायं।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

46–(1) विष्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेष कार्य परिषद् द्वारा बनाए जायेंगे और जब तक प्रथम अध्यादेष नहीं बनाये जाते हैं, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक संस्थान (कानपुर) सोसायटी के नियम ज्ञापन, अवकाष विनियम संचालन नियमावली और उप विधि, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त रहेंगे, छात्र नियमावली वही होगी जो प्रथम अध्यादेष के अभाव में अध्यादेष के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व षैक्षिक अधिवेषन के पूर्ववर्ती सूचना विवरणिका में उल्लिखित हो।

(2) कार्य परिषद् समय–समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेष बना सकती है या विद्यमान अध्यादेषों का संषोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेष नहीं बनाया जायेगादृ

(क) जिससे छात्रों के प्रवेष पर प्रभाव पड़े या जो विष्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएं अथवा विष्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेष के लिए विहित करे, जब

तक कि ऐसे अध्यादेष का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की षर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेष का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संषोधित करने की षक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संषोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद् सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेष ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेष दे और कुलाधिपति को यथाषक्य षीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति, किसी समय कार्य परिषद् को निर्दिष्ट अध्यादेषों से भिन्न अध्यादेषों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेष षून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेष दे सकेगा कि निर्दिष्ट अध्यादेष से भिन्न किसी अध्यादेष का प्रवर्तन तब तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी षक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेष ऐसे आदेष की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियम

47– विष्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेषों से संगत विनियम ऐसी रीति से बना सकते हैं जैसा कि अपने और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हो, के कारबार के संचालन के लिए विहित किया जाय, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेषों में उपबन्ध नहीं किया गया है।

अध्याय–नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

48–(1) विष्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा तैयार की जायेगी जिसके अन्तर्गत, अन्य विषयों के साथ ही, विष्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देष्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम

भी होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति के समक्ष षैक्षणिक वर्ष के पूर्ण होने के दिनांक से छः माह के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक लेखा

49–(1) विष्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देषों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेषक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेष या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

(2) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित, यदि कोई हो, कुलाधिपति और कार्य परिषद् को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कार्य परिषद् द्वारा किया गया कोई संप्रेक्षण कुलाधिपति के ध्यान में लाया जायेगा और ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

50–(1) जब कभी विष्वविद्यालय के धन या संपत्ति की हानि, अपषिष्ट या दुरुपयोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई षिकायत प्राप्त की जाती है या राज्य सरकार अपने आप यह सोचना उपयुक्त समझें तो विष्वविद्यालय के विषेष लेखा परीक्षा हेतु निदेषक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेष द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निदेषित कर सकता है।

(2) विषेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार विष्वविद्यालय के ऐसे अधिकारी जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा(1) में निर्दिष्ट हानि, अपव्यय या दुरूपयोजन हुआ है, को एक नोटिस जारी करेगी जिसके द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर देने के लिए उससे अपेक्षा करेगा।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अधिकारी के उत्तर पर विचार–विमर्ष के पष्चात इस निमित्त उपयुक्त विनिष्चय कर सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार की राय यह हो कि राज्य सरकार द्वारा

अवधारित अधिभार देने के लिए अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए तो अधिभार को बकाये के रूप में या राज्य सरकार द्वारा यथा निदेषित अन्य रीति से वसूला जायेगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

51—विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उप अवषिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना

52—विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :—

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम—निर्देषन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विष्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

53—कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है, जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विष्वविद्यालय के सदस्य के लिए अषोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विष्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देष

54—यदि कोई ऐसा प्रष्न उठे कि कोई व्यक्ति विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिष्चय (जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेष या विनियम जो कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेष न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रष्न भी है) इस अधिनियम या

उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेषों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिष्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देष–

(क) उस तारीख के जब कि प्रष्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पष्चात्,

(ख) विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

55–इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विष्वविद्यालय या इसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा सम्यक रूप से और सदभाव पूर्वक किये गये या पारित सभी अधिनियम और आदेष अंतिम होंगे और राज्य सरकार या विष्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेषों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित या आषयित किसी कार्य के अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विष्वविद्यालय से संबंधित सभी विवाद जिला कानपुर नगर की प्रादेषिक अधिकारिता के भीतर होंगे।

विष्वविद्यालय के अभिलेख साक्ष्य की रीति

56–(1) विष्वविद्यालय के कब्जे में विष्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति अथवा बोर्ड आदि की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेष, कार्यवाही, संकल्प आदि या अन्य दस्तावेज अथवा विष्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर के किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेष, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी।

(2) विष्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक, से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विष्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विष्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपबंधों के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध

करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विषेष कारण से आदेष न दे।

प्राधिकारी और कर्मचारी के उत्तरदायित्व

57— विष्वविद्यालय के सामान्य रूप से पदधारियों के हित में परिनियमों के अनुसार प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, यहाँ उल्लिखित हो अथवा न हो, अपने मूल कार्य, उत्तरदायित्वों, कार्यों और अपने वरिष्ठों द्वारा दिये गये अन्य अतिरिक्त कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंधों के अनुसार पूर्णरूप से सक्षम प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा।

कठिनाईयां दूर करने की षक्ति

58—राज्य सरकार किसी कठिनाई को विषिष्टतः इस अधिनियम के विद्यमान उपबंधों से संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा यह निदेष दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान जो आदेष में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन के रूप में हो, या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवष्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष पष्चात नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेष राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेष पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

परिनियमों और अध्यादेषों को सरकारी गजट में प्रकाषित किया जाना और विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना

59—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियमों और अध्यादेषों को गजट में प्रकाषित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियमों और अध्यादेषों को बनाये जाने के पष्चात् यथाषक्य षीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जबकि उसका सत्र कुल तीस दिन से अनधिक कालावधि का रहा हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा बातिलीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा

बातिलीकरणों तद्धीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–58 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री यासर शाह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख11.55, आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब विश्वविद्यालय बन रहा है इसको पास हो जाने दें। कहां कट मोशन रख रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे।

अध्यक्ष जी मैंने कितनी तेजी से पढ़ा मैं सिर्फ एक बिन्दु पर आ रहा हूं। बाकी कोई बात नहीं करनी है। विश्वविद्यालय खुलें इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। मेरी आपत्ति कहां है अध्यक्ष महोदय, इसको देख लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी चूंकि उच्चशिक्षा मंत्री हैं इसलिए उनको भी यह संज्ञान में लेना चाहिए। इसकी धारा 32 विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह सब पहले पास हुआ है और इस पर काफी चर्चा हुई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय इसको सुनिए कुलपति के आदेश के द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चिय अन्तिम होगा। कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किए गए मामले में कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा। यह कर्मचारियों के बारे में प्राविधान है। छात्रों के बारे में प्राविधान किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र जिसका नाम यथास्थिति विद्या परिषद् कुलाशासक बोर्ड, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा नामांकन सूची से हटा दिया गया और जिसको एक वर्ष से अधिक विश्वविद्यालय की परीक्षाा में वर्जित कर दिया गया इस संदर्भ में कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। मेरी आपत्ति सिर्फ इसी बात पर है। यह प्राविधान राजकीय विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। राजकीय विश्वविद्यालय का भी शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपने कुलपति के किसी भी आदेश के बारे में अगर उसके मन में कोई असंतोष है तो उसे न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है न्यायालय का अधिकार पाना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता होनी चाहिए लेकिन स्वायत्ता की सीमाएं होती हैं कि उन स्वायत्तताओं को परिभाषित करते समय किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से अपनी रेमेडी पाने का अधिकार होगा असीमित स्वायत्तता उत्श्रंखलता है और एक प्रकार की तानाशाही है इस विधेयक के माध्यम से हम राज्य के अन्दर एक ऐसा राज्य पैदा कर रहे हैं जिसके ऊपर इस सदन का भी कोई अधिकार नहीं हेागा। मेरी आपत्ति 32 और 33 की धारा से है और आग्रह करूंगा कि आज यह संख्याबल पर पास तो करा लेंगे लेकिन बेहतर हो कि इसकी सावधानी लें और इन दोनों धाराओं को जरूर डिलीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राधामोहन दास जी सदन तो इस विधेयक को ही रिपील कर सकता है। कैसे कहते हैं कि सदन को अधिकार नहीं रहेगा। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय सदस्य को इस बात के लिए मुतमईन भी होना चाहिए शैक्षिक संस्थाओं में अगर आप चांसलर को यह अधिकार नहीं देंगे इसी में नहीं औरों में भी तो यह अड्डे बन जाएंगे नारेबाजी के जिन्दाबाद, मुर्दाबाद के और विश्वविद्यालय नहीं चल पाएंगे आप यह उम्मीद करके चलिए कि चांसलर इंसाफ करेंगे नाइंसाफी नहीं करेंगे एक बार कम से कम हम इस प्रयोग को इस्तेमाल करके तो देखें आप हालात देख रहे हैं कि कहां चले गए हैं एक बार अपने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भरोसा तो करिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

सरकार यह निर्णय ले ले कि किसी भी राजकीय विश्वविद्यालय में कहीं भी किसी को भी न्यायालय जाने का अधिकार नहीं होगा हम मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–53 तक खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैं;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुल सचिव'', ''उप कुल सचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) ''सोसाइटी'' का तात्पर्य एसोसिएशन आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज, मेरठ से है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' सोसाइटी है;

(प) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

3–(1) सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश के नाम से एक

विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4—सोसाइटी, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:—

(क) रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व रखेगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रुपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें ख्उपरोक्त (ग) में उल्लिखित भवन को छोड़कर, तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनबद्ध होगी;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह. आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगी;

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रुपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय करेगी तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्ध होगी;

(छ) छात्रों के लिए पाठ्यसहगामी गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियां, वाद.विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल.कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्ध होगी;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करेगी;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और

अध्यादेश बनायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''पब्लिक डोमेन'' में रखेगी;

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायेगी;

(ढ) ऐसी अन्य शर्तें पूरी करेगी जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के आरम्भ के लिए सोसाइटी को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, सोसाइटी से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता का विकास।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, जिसका निर्वहन यू0जी0सी0 और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा.निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय.समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा

विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय.समय पर विद्यापरिषद् द्वारा यथा विनिश्चित इन.कैम्पस, आफ. कैम्पस, आफ.शोर कैम्पस व उपगृह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय.समय पर विनिश्चित किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण.पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण.पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं; शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद यू0जी0सी0 मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों

को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए यू जी सी मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार स्तर निर्धारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना; और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा.निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई शैक्षणिक विशेषज्ञों की एक समिति, जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य चार विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विशेषज्ञताओं में से एक में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ यूजीसी/राज्य सरकार को भेजी जायेगी और सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित भी की जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रतिकुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11–(1) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रतिकुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का

संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आचार्य के भी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी सोसाइटी द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड,

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) परामर्श के लिए उसको निर्दिष्ट किये गये किसी प्रकरण के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिषद्

23–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उच्च शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कार्यपरिषद का सदस्य होगा।

विद्या परिषद

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता

प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27—संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28—(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, जिनका समय.समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण.पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ,

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिर्पोट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्टे के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हो, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे पब्लिक डोमेन में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनॉक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34– विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई

कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य को रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42—(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :—

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ड) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एंव 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को ''पब्लिक डोमेन'' में रखा जायेगा।

माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47– (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय का दाायित्य ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियॉ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त

नहीं हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय कि सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50– (1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंधन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस

अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम–दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी; यदि विश्वविद्यालय की निधियॉ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरूद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन /मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियों/ उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52– अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व सोसाइटी से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाइयॉ दूर करने की शक्ति

53–राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि, में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रुप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–53 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख्12.00, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके हित में कह रहा हूं। अभी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरे हित में है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप जिस दिन हमारे हित में कहने लगेंगे, हम यहां बैठ ही नहीं पायेंगे।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अब मैं आपके हित पर आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही बिन्दु है, हमें केवल नगर विकास की चिन्ता है, और किसी की है ही नहीं। अब तक यह प्राविधान है कि कोई भी सम्पत्ति जब बिकती है और स्टाम्प दिया जाता है तो स्टाम्प का 2 प्रतिशत अवस्थापना निधि बनती है और वह अवस्थापना निधि नगर के विकास के लिये उपयोग की जाती है, सभी को पता है और आप भी जानते हैं। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, आपने अपने पैर स्वयं काट लिये हैं। मा0 मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि अवस्थापना निधि का प्राविधान इसमें बदला जा रहा है। अगर आप एक फ्रेट कॉरीडोर के लिये एक विधेयक ला रहे थे तो एक विशेष क्षेत्र विधेयक ले आते और उसके अन्तर्गत यह प्राविधान कर लेते, लेकिन इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन करके पूरे देश की इण्डस्ट्रियल अथॉरिटी को उसमें परिवर्तन कर दिया है और प्राविधान क्या कर दिया है कि उक्त वृद्धि से प्राप्त समस्त संग्रह अनुषांगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसा समय–समय पर राज्य सरकार के द्वारा यथा अवधारित किया जाये, को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा शीर्षक निधि में हस्तांतरित किया जायेगा और

विनियोजित किया जायेगा और इसके उद्देश्य को मा0 मंत्री जी अगर पढ़ें तो उद्देश्य यह कहता है कि अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख पर 2 प्रतिशत के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उपग्रहण करना प्रस्तावित है। स्टाम्प शुल्क के रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और अंत में नगरीय अवस्थापना के विकास के लिये। जितने भी नगरीय क्षेत्र के विधायक यहां बैठे हैं, इनके संज्ञान में यह विषय आना चाहिये कि इस विधेयक के माध्यम से नगरीय अवस्थापना निधि के ऊपर ताला बन्द किया जा रहा है। अब जब यह अवस्थापना का पैसा पहले क्योंकि इसी क्रम में होता है औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत खर्चे हो जायेंगे और नगर विकास की व्यवस्था की जायेगी। यह नगर के विकास के ऊपर एक अवरोध पैदा किया जा रहा है। औद्योगिक विकास आवश्यक है, लेकिन अवस्थापना पर पूरा अधिकार नगर के विकास के डिपार्टमेंट का होता है, आवास विकास का होता है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इनके इस प्राविधान पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये और अवस्थापना निधि का उपयोग सिर्फ और सिर्फ नगरीय क्षेत्र के विकास का प्राविधान जो पहले था वह रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–13 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (क) में–

(एक) शब्द ''मार्ग'' के स्थान पर शब्द ''मार्ग, पुल, उपरिगामी सेतु, भूमिगत पारपथ'' रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द ''टाउन रिफ्यूज'' के स्थान पर शब्द ''स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शिक्षा, परिवहन, आपदा प्रबंधन, ईंधन, पावर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्राड बैण्ड कनेक्टिविटी और गैस पाइप लाइन'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

''(ख–1) 'भवन' में कोई संरचना या निर्माण या उसका भाग सम्मिलित है जो किसी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाये जाने के योग्य है और उस पर कब्जा है या कब्जा किये जाने योग्य है'';

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

''(ग–1) 'कम्पनी' का तात्पर्य, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित किसी कम्पनी या इसके सांविधिक उपान्तरण से है जिसमें सम्पूर्ण दत्त अंशपूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा धृत है या अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा धृत है ;

(ग–2) 'विकास' का इसके व्याकरणिक भिन्नताओं सहित तात्पर्य है किसी भूमि या भवन पर किसी संगठित क्रियाकलाप को करना जिसमें कोई परिवर्तन भी है जो वित्तीय व्ययों के कारण हुआ है और जिससे दर योग्य मूल्यों में वृद्धि हो सकती है और इसमें पुनर्विकास भी है;

(ग–3) 'आर्थिक क्रियाकलाप' में औद्योगिक, विनिर्माण, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लाजिस्टिक, परिवहन, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, शोध और विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, सूचना और संचार, प्रबन्धन और परामर्श, सुविधाओं के विकास और अनुरक्षण से जुड़ी गतिविधियां और सेवायें और ऐसे अन्य आर्थिक क्रियाकलाप हैं जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे'';

(घ) खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थातः–

''(घ–1) 'औद्योगिक टाउनशिप' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट औद्योगिक टाउनशिप से है;

(घ–2) 'अवसंरचना परियोजना' का तात्पर्य किसी परियोजना से है जिसे ऐसी अवसंरचना, सुख.साधन, सुविधाओं या सेवाओं से है, जो विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सुगम और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपेक्षित हों, के विकास के लिए लिया गया है या लिया जाना है'';

(ङ) खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थातः–

''(ङ–1) 'स्थल' का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या दोनों के चिन्हित अंश से है;

(ङ–2) 'विशेष निवेश क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1.क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र से है;

(च) खण्ड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थातः–

''(च–1) 'इकाई' का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र या विशेष निवेश

क्षेत्र में किसी आर्थिक कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी इकाई या उपक्रम से है;

(च–2) 'उपभोक्ता प्रभार' का तात्पर्य प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा उद्ग्रहीत प्रभारों से है''।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी घोषित कर सकती है, जिसे '(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण' कहा जायेगा।

(1–क) राज्य सरकार किसी क्षेत्र को, उसकी भौगोलिक सीमाओं का अवधारण करते हुए, जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर या बाहर पड़ती हो या अंशतः भीतर या अंशतः बाहर पड़ती हो, अधिसूचना द्वारा विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है। विशेष निवेश क्षेत्र को ऐसे नाम से जाना जाएगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे;''

(ख) उपधारा (3) में शब्द ''सरकार के सचिव'' और शब्द ''संयुक्त सचिव'' जहां कहीं आये हों के स्थान पर शब्द ''सरकार के प्रमुख सचिव'' और शब्द ''विशेष सचिव'' क्रमशः प्रतिस्थापित किया जायेगा।

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (2) में खंड (ङ), (च), (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

''(ङ) नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अंतरण करना एवं मास्टर प्लान के अनुसार ऐसी अन्य भूमि का प्रयोग करना;

(छ) मास्टर प्लान के अनुसार भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना एवं भूमि के प्रयोग को विनियमित करना; और

(ज) मास्टर प्लान के अनुसार उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायेगा।''

(ख) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

''(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर सुनियोजित विकास करने के लिए या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या तो पूर्णतः स्वामित्व वाली या अंशतः प्राधिकरण द्वारा और अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली कोई कम्पनी या एक से अधिक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निगमित कर सकती है।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट कम्पनी की अंश पूंजी, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन ऐसे होंगे जैसे प्राधिकरण द्वारा समय.समय पर अनुमोदित किये जाय :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में जहां अंश पूंजी अंशतः राज्य सरकार द्वारा धारित की जाय वहां अंश पूंजी इस उपधारा के अधीन संगम ज्ञापन और अनुच्छेद ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन बनायी गयी कम्पनी ऐसे कृत्यों को करेगी जैसे इसे संगम ज्ञापन द्वारा सौंपे जाय।

(6) जहां प्राधिकरण की राय में विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की गयी किसी विकास योजना के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में किसी सम्पत्ति का मूल्य, जो विकास द्वारा लाभान्वित हुआ हो, बढ़ गया हो या बढ़ने की संभावना हो, वहां विकास के निष्पादन के परिणाम स्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंध में सम्पत्ति के स्वामी या इसमें हितलाभ रखने वाले किसी व्यक्ति पर सुधार प्रभार उद्ग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण हकदार होगाः

परन्तु यह कि सरकार द्वारा स्वामित्व वाली किसी भूमि के संबंध में कोई सुधार प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि जहां सरकार की कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टा पर या लाइसेंस के रूप में किसी व्यक्ति को दी गयी हो, चाहे उस पर कोई भवन स्थित हो या न हो, वहां वह इस उपधारा के अधीन सुधार प्रभार के अधीन होगी।''

धारा 9 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) में खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

''(ञ) ऐसी समय.सीमा जिसके भीतर कोई भवन बनाया जाना या विद्यमान भवन में मरम्मत, विस्तार या उपरान्तरण किया जाना अपेक्षित होगा, पूरा किया जायेगा और इसके पश्चात भवन के निर्माण या यथास्थिति, मरम्मत, विस्तार या उपान्तरण के पूरा होने की सूचना प्राधिकरण में दर्ज करायी जायेगी और उससे पूर्णता का प्रमाण.पत्र प्राप्त किया जायेगा।''

नई धारा 11.क तथा 11.ख का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ायी जायेंगी, अर्थात्:—

टोल आदि उदग्रहण करने की शक्ति —

''11.क औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर ऐसे लोकप्रिय विश्राम स्थलों (किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों सहित) के पहुंच मार्गों और अन्य सुख साधनों के उपयोग के लिए प्राधिकरण आगंतुकों से ऐसी दरों और ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, पथकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए हकदार होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा टोल के भुगतान से आगंतुकों के किसी भी वर्ग को छूट प्रदान कर सकती है और ऐसा कोई दिवस नियत कर सकती है जिस पर टोल नहीं लिया जायेगा।''

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण –

11.ख (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र अथवा विशेष निवेश क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा अधिरोपित स्टाम्प शुल्क में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे, उस प्रतिफल, जिसके सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क ऑगणित किया है, की धनराशि अथवा उसके मूल्य पर दो प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी।

(2) उक्त वृद्धि से प्राप्त समस्त संग्रह, आनुषंगिक व्ययों की कटौती के पश्चात, यदि कोई हो, और जैसा समय.समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित किया जाय, को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपयुक्त लेखा.शीर्षक या निधि में हस्तान्तरित किया जायेगा और विनियोजित किया जायेगा।

नई धारा 12ख का बढ़ाया जाना

7–मूल अधिनियम की धारा 12(क) के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''12 (ख)(1) राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, भारत का संविधान के अनुच्छेद–243–थ के अधीन विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र या इसके किसी भाग को एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विर्निदिष्ट कर सकते हैं।

(2) उत्तर प्रदेश अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन जहां कोई विशेष निवेश क्षेत्र या औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका कोई भाग औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विर्निदिष्ट है, वहां ऐसा औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसका भाग, नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो, अधिसूचना के दिनांक से ऐसे नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित हो जायेगा और ऐसे क्षेत्र के संबंध में समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः पद ''नगर पालिका'' का वही अर्थ होगा जो भारत का संविधान के भाग नौ या भाग नौ–क में इसके लिए समनुदेशित है।''

8–मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द''अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है'' के स्थान पर शब्द ''अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर की किसी धनराशि के भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है'' रख दिये जायेंगे।	धारा 13 का संशोधन
9–मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:– ''13क– धारा 13 के अधीन प्राधिकरण को देय कोई धनराशि सम्पत्ति पर प्रभार होगी और उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धाराओं 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513 और 514 के अधीन उपबंधित रीति से सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय करके वसूल किया जा सकेगा, और उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंध किसी प्राधिकरण के देयों की वसूली के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होने जैसे ये किसी नगर निगम को देय कर की वसूली में लागू होते हैं तथापि उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में ''नगर आयुक्त'' ''निगम अधिकारी और निगम'' को किये गये संदर्भ के अर्थ क्रमशः ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' और ''प्राधिकरण'' के संदर्भ में लगाये जायेंगे: परन्तुक यह कि वसूली के एक से अधिक तरीके एक साथ आरम्भ या जारी नही रखे जायेंगे।''	नई धारा 13क का बढ़ाया जाना
10–मूल अधिनियम की धारा 15 में शब्द ''पांच हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।	धारा 15 का संशोधन
11–मूल अधिनियम की धारा 16 में खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थातः– ''(ग–1) भूमि के मध्य परत में गड्ढा खोदना या बोरिंग करना; (ग–2) चाहारदीवारी बनाना या निर्माण की निर्दिष्ट रेखा बनाना; (ग–3) ऐसी सतह, चाहारदीवारी और चिन्ह बनाकर और खांई काटकर रेखा बनाना; (ग–4) यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी भूमि को नक्शा के अनुसार और अनुमति में वर्णित निबन्धनों और शर्तों के अनुसार विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है।''	धारा 16 का संशोधन

(7) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत प्रयोक्ता प्रभार किश्तों की ऐसी संख्या में देय होगा, जैसा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली में नियत किया जाय।

(8) प्रयोक्ता प्रभार का कोई भी बकाया भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा और ऐसी सम्पत्ति पर प्रभार के रूप में होगा।

अध्यारोही प्रभाव

13–इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

धारा 2 (क) ''सुविधा'' के अन्तर्गत सड़क, जल–सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा–करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

धारा 3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकारी का गठन कर सकती है, जिसे ''(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकारी'' कहा जायगा।

धारा 6–(2) प्राधिकारी के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगाः–

xxx xxx xxx

(ड.) सुविधा की व्यवस्था करना ;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिये प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार के आवंटन और अन्तरण करना ;

(छ) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ;

(ज) उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना, जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायेगा।

धारा 13–जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल–धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के संबंध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त,

उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूल की जायेगी।

धारा 15—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये अधिनियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध.दोष होने पर जुर्माना से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, और सतत् अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के लिए सिद्ध.दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रूपये तक हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—13 तक, खण्ड—1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख12.06, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—2 से खण्ड—11 तक, खण्ड—1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016

लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25—06—1975 से दिनांक 21—03—1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध रहे हों, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क

चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मेंः–

(क) "लोकतंत्र सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासियों से है, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात दिनांक 25–06–1975 से दिनांक 21–03–1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय पर निरूद्ध रहे हों;

(ख) "निःशुल्क चिकित्सा सुविधा" का तात्पर्य लोकतन्त्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से है जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है;

(ग) "निःशुल्क परिवहन सुविधा" का तात्पर्य लोकतन्त्र सेनानी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा से है;

(घ) "सम्मान राशि" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली ऐसी सम्मान राशि से है, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

यह अधिनियम कतिपय व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

3–इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगेः–

(1) राजनैतिक आधार से भिन्न आधार पर कारागार में निरुद्ध व्यक्ति।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिये असत्य विवरण या सूचना या प्रमाण

पत्र प्रस्तुत किया हो।

सम्मान राशि स्वीकृत करने का अधिकार

4–(1) इस अधिनियम के अधीन कोई सम्मान राशि परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधे कर दिया जायेगा।

(3) **(एक)** लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन निरूद्ध रहा हो। उसके लिये इस रूप में प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी;

(दो) जिन लोकतंत्र सेनानियों के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा नष्ट हो गये हैं, उनके प्रकरणों पर विचार करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सत्यापन के उपरान्त अन्य उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों से अपना यह समाधान कर लेंगे कि आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक, में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आपातकाल के विरोध में मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन सम्बन्धित धाराओं में आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो एवं उसकी गिरफ़्तारी/निरुद्धि की पुष्टि होती हो;

(तीन) जिन लोकतंत्र सेनानियों के विरुद्ध मीसा/डी0आई0आर0 के अतिरिक्त अन्य दांडिक धारायें भी लगी हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से यह समाधान कर लेंगे कि ऐसी अन्य धारायें आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करते समय आपातकाल के विरोध में लगी हों तथा गिरफ़्तारी/ निरुद्धि राजनैतिक कारणों से इतर न रही हो;

(चार) जिन मामलों में आवेदनकर्ता एक से अधिक जिलों से सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित जिलाधिकारी उनसे इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा केवल एक ही जिले से आवेदन किया गया है तथा इसकी पुष्टि भी संबंधित जिलाधिकारी दूसरे जिलाधिकारी से कर लेंगे;

(पाँच) जो लोग वर्ष 2006–2007 में लोकतंत्र सेनानी घोषित हैं और उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि नियमावली, 2012 दिनांक 14.09.2012 के निर्गत होने के पश्चात्

और दिनांक 30.12.2013 अर्थात संशोधित नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें दिनांक 01.04.2012 से सम्मान राशि स्वीकृत की जाएगी तथा जो लोग ऊपर उल्लिखित संशोधित नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक के बाद नये लोकतंत्र सेनानी घोषित किये गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र के स्वीकृति के दिनांक से लोकतंत्र सेनानी मानते हुए सम्मान राशि दी जाए।

(4) यदि किसी लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु दिनांक 01–04–2012 के पश्चात् और इस योजना के लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो ऐसे मामले में उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितनी अवधि तक लोकतन्त्र सेनानी दिनांक 01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

(5) लोकतन्त्र सेनानी को एक परिचर सहित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।

(6) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा, जिसमें समस्त प्रकार की निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित हैं और चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।

(7) सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता किसी बैंक की उस शाखा में, जहाँ वह रहता है, खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और बैंकवार धनराशि का विवरण संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात् इन विवरणों के अनुसार ही सम्बन्धित कोषागार, सम्मान राशि पाने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता में सीधे सम्मान राशि जमा करेगा। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेगें तथा सुसंगत नियमों के अनुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा।

सम्मान राशि निरस्त करना

5—इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती हैः—

(एक) नैतिक अधमता के अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण;

(दो) राजनैतिक दण्ड को छोड़कर किसी अन्य अपराध में दण्डित होने के कारण;

(तीन) धारा—3 की उप धारा (1) और (2) के अधीन उल्लिखित अपात्रता के बावजूद सम्मान राशि प्राप्त करने के कारण;

(चार) असत्य सूचना और असत्य शपथ.पत्र प्रस्तुत करने के कारण।

लोकतन्त्र सेनानियों की मृत्यु की दशा में

6—(1) लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा।

(2) किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उसकी अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ की जायेगी।

सम्मान राशि हेतु आवेदन करने की रीति

7—(1) इस अधिनियम के अधीन सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन—पत्र संलग्नक—क में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा कारागार में निरुद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन—पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, जाँच करा सकती है।

सम्मान राशि की वसूली

8—(1) धारा—5 के अधीन किसी आवेदक की सम्मान राशि के निरस्त किये जाने की दशा में सम्मान राशि की वसूली उससे भू—राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

(2) सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी सम्मान राशि की स्वीकृति में हुई किसी अनियमितता के लिये उत्तरदायी होगा।

नियम बनाने का अधिकार

9—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाईयों को दूर करने के शक्ति

10—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश

में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक व समीचीन समझें, प्रभावी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

विखण्डन और विधिमान्यकरण

11–(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 800(1)जेड/6–एस0ए0–1–2012– 55जी/90, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 में जारी उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि सम्बन्धी नियमावली, 2012 एवं संशोधित नियमावली दिनांक 30–12–2013 एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान् समय प्रवृत्त था।

परिशिष्ट 'क'

धारा–4(1) देखिये

देश में आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से प्रारम्भ होकर दिनांक 21.03.1977 को समाप्त होने वाली अवधि, के दौरान प्रदेश के निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों द्वारा सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

फोटो

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम .....
3. पूरा पता : स्थायी पता .....
   .....
   स्थानीय पता .....
   .....
4. क्या आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी है? .....
5. जेल में निरुद्ध रहने की अवधि .....(निरुद्ध होने तथा मुक्त होने की तिथि)
6. निरुद्ध रहने का स्थान तथा जिले ..... का नाम जहाँ यह स्थित है.....
7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें .....
   वह निरुद्ध किया गया .....
   (यह प्रमाण पत्र जेल, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
8. धाराएं जिनके अधीन जिले में निरुद्ध किया गया.....
9. निरुद्ध किये जाने से सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ .....
10. ऊपर मद संख्या–7 में दिये गये विवरण का साक्ष्य .....

(यह प्रमाण–पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों/दो ऐसे लोकतन्त्र सेनानी जिनको लोकतन्त्र सम्मान राशि स्वीकृत हो चुकी है और जो आवेदक के साथ सहबंदी (कोप्रिजनर) रहे हों, द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आपातकालीन अवधि के दौरान राजनैतिक कारणों से भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो)

एतद्द्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर मद संख्या–7 में दिये गये विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी और सूचना के अनुसार सही हैं।

प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर,

पद तथा पूरा पता।

(1) .....

.....

(2) .....

.....

आवेदक द्वारा श शपथ–पत्र

एतद्द्वारा मैं सत्य–निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही हैं। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी सम्मान राशि निरस्त कर दे और, उसे भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक..... **आवेदक के हस्ताक्षर**

.....

प्रमाण–पत्र

संख्या..... दिनांक.....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये विवरणों की जाँच कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

जिलाधिकारी

मुहर

नोट : (1)
(2)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख्12.08, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे, पास होने दीजिए, बाद में देखा जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

नहीं, मान्यवर, इसमें बहुत कुछ है, प्लीज।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, संशोधन का प्रस्ताव रख दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 1993 के बाद यह विनियमितीकरण हो रहा है और सरकार ने इसे बहुत बड़े मुद्दे के रूप में बनाया है। ऐसा लगा कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में जितने शिक्षक काम कर रहे हैं, अब उनकी जिन्दगी में खुशहाली आ जायेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक आया तो सब की भावनाओं पर तुषाराघात हो गया। कैसे हो गया? सरकार ने उन शिक्षकों में तीन संवर्ग बना दिये, एक– वह जो 30 दिसम्बर, 2000 बाद के शिक्षक हैं और बड़ी संख्या में है, सबसे अधिक शिक्षक यही हैं, सरकार ने उनको गायब कर दिया, उनका विनियमितीकरण नहीं होगा। दूसरा–सरकार ने यह प्राविधान कर दिया कि ऐसे सदस्य शिक्षक जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कठिनाइयों के निवारण आदेश और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम की धारा–18 के अनुसार नियमित नहीं किए गए हैं, अन्यथा केवल न्यायालय के अन्तरिम आदेश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कौन हैं यह शिक्षक? 07 अगस्त, 1995 को डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा ने एक आदेश निकाला और कठिनाई निवारण आदेश और इनके दोनों के रहते हुए यह कह दिया कि कोई नियुक्ति नहीं होगी। प्रबन्ध समिति ने इस आदेश को नहीं माना और नियुक्तियां कीं। यह सारे लोग न्यायालय चले गए। न्यायालय ने यह कहा कि जब कठिनाई निवारण आदेश और यह लागू है तो एक अधिकारी के आदेश से इस अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया जा सकता। आप निरस्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक विधेयक लाइये और इन प्रावधानों को निरस्त करिए। एक गवर्नमेंट के आर्डर से एक अधिनियम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और उन्होंने आदेश दिया कि इन सबको वेतन दिया जाय, तो यह सब वेतन पा रहे है। सिर्फ एक सरकारी अधिकारी ने यह आदेश दे दिया कि नहीं होंगे तो मान लिया जाय नहीं होंगे और अध्यक्ष महोदय ब्यूरोक्रेसी क्या है, 07 जून, 1995 से लेकर 25 जनवरी 1999 और 30 दिसम्बर, 2000 के बीच के यह जितने अध्यापक हैं सरकार उनको भी विनियमित नहीं करने जा रही है। तो करने किसको जा रही है, गिने–चुने दो हजार लोगों को। दो हजार लोग नियमित होंगे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस विनियमितीकरण में भी सरकार ईमानदार नहीं है। कैसे नहीं है

अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ दूं आपके लिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय एक ओर तो यह ब्लैंकेट व्यवस्था कर दी गयी कि 25 जनवरी, 1999 के पहले और 30 दिसम्बर, 2000 के पहले जितने शिक्षक होंगे उनका विनियमितीकरण कर दिया जायेगा और नीचे यह प्राविधान कर दिया गया कि तदर्थ और अल्पकालिक रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त अध्यापकों के विनियमितीकरण में आरक्षण आदेश का पालन किया जायेगा। अब अध्यक्ष महोदय, यह दो परस्पर विरोधी चीजे हैं। एक ओर इसकी धारा एक यह कह रही है कि आप सबको विनियमित कर देंगे और दूसरी धारा सात यह कह रही है कि विनियमित करते समय आरक्षण के प्राविधानों का ध्यान रखेंगे। अब यह जो दो हजार टीचर हैं इनमें किसी में भी कहीं भी आरक्षण का प्राविधान लागू नहीं हो पायेगा। क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रबन्ध समितियों के द्वारा नियुक्त लोग हैं। वह कौन हैं, मैं कहना नहीं चाहता आप भी समझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जब इनकी नियुक्ति का मसला आयेगा तो आरक्षण के प्राविधान जोड़े जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार एक ओर से राजनीतिक रूप से विधेयक ला रही है और दूसरी ओर से वह विधेयक लागू न होने पाये इसलिए उसमें आरक्षण का प्राविधान जोड़ रही है। तो फिर इस विधेयक को लाने का अर्थ क्या हुआ, यह समझ से परे है। सरकार को यह बताना चाहिए कि 25 जनवरी, 1999 और 30 दिसम्बर 2000 के पहले के अध्यापकों को इन आरक्षण के प्राविधानों के साथ वह कैसे विनियमित करने जा रही है। सरकार बताये।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं समझता था कि सम्पूर्ण सदन इस विधेयक पर धन्यवाद देगा, माननीय मुख्य मंत्री जी को, कई वर्षों से जो तदर्थ और अल्पकालिक अध्यापक नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके संघर्ष को देखकर, उनकी आवश्यकताओं को देखकर, अधिनियम लाकर उनको नियमित किया जा रहा है। नियमित करते समय कुछ नियम बनाने ही पड़ेंगे। यह आज के नहीं हैं यह बहुत पुराने हैं इनकी तनख्वाह मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन नियमित नहीं हो पाये थे, क्योंकि अल्पकालिक एवं तदर्थ नियुक्त किये गये थे। तो मान्यवर, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने दिनों से शिक्षकों की लम्बित मांगों को उन्होंने पूरा करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5, सन् 1982 की धारा–16 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक ''धारा–12, 18, 21–ख, 21–ग, 21–घ, 21–ङ, 21–च, 21–छ, 33, 33–क, 33–ख, 33–ग, 33–घ और 33–च'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा–12, 18, 21–ख, 21–ग, 21–घ, 21–ङ, 21–च, 21–छ, 33, 33–क, 33–ख, 33–ग, 33–घ, 33–च और 33–छ'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा–33–छ का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा–33–च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''33–छ (1) प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से भिन्न ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धक द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी जो,–

(क) समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा–2 के अनुसार और नियुक्तियों का विनियमितीकरण अल्पकालिक रिक्तियों सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) के सापेक्ष कतिपय अल्पकालिक रिक्ति के सापेक्ष प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 07 अगस्त, 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 25

जनवरी, 1999 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था ;

(ख) प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में, धारा–18 के अनुसार मौलिक रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा 07 अगस्त, 1993 को या उसके पश्चात् किन्तु 30 दिसम्बर, 2000 के पश्चात् नहीं, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था ;

(ग) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हताएं रखता हो या उनके अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट प्राप्त हो;

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य कर रहा हो;

(ङ) उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्रक्रियानुसार धारा–33–ग की उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की संस्तुति उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा अवधारित ज्येष्ठता क्रम में की जायेगी;

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में ज्येष्ठ अध्यापक की संस्तुति पहले की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उक्त उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिये पात्र न हो, ऐसे दिनांक को, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार है, यदि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुयी थी या ऐसी रिक्ति के लिए चयन इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही कर लिया गया

है।

(6) तदर्थ अध्यापकों और अल्पकालिक रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त अध्यापकों की सेवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक से विनियमित की जायेगी।

(7) तदर्थ एवं अल्पकालिक रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त अध्यापकों के विनियमितीकरण में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

(8) ऐसे तदर्थ शिक्षक, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अनुसार या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा–18 के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं और अन्यथा जो केवल मा0 न्यायालय के अन्तरिम/अन्तिम आदेश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विनियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 के पारण पर असहमति

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दल की सहमति आपके उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 को पारित करने की नही है।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)–

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह पीठ का अपमान है, पूरे सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसीलिए मा0 माथुर साहब बार–बार आपसे कहा था, लेकिन आप नहीं माने कहा हां ठीक है, अब आपकी सहमति मानी जायेगी, जाइये।

ख्12.15, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षित नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–16 सन् 1980 की धारा–31–ग का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा–31–ग में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को, जो–

(क) 3 जनवरी, 1984 के पश्चात् किन्तु 22 नवम्बर, 1991 तक किसी ऐसे पर,–

(एक) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात् पहले कभी नहीं भरा गया था; या

(दो) जो अपने सम्यक् सृजन के पश्चात् पहले भरा गया था और इसके रिक्त होने पर, उसे भरने की अनुमति निदेशक से प्राप्त की गई थी; या

(तीन) जो महाविद्यालय को स्वीकृत नवीन सम्बद्धता या मान्यता के निबन्धनों के अनुसरण में सृजित हुआ था और उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से मौलिक रिक्ति के उपलब्ध होने तक महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था;

(ख) धारा–16 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा उसके निकाले जाने के पूर्व थी, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, चाहे रिक्ति आयोग द्वारा अधिसूचित की गयी हो अथवा न की गयी हो;

(ग) नियमित नियुक्ति के लिए ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को ऐसी अर्हताएं रखता था जो ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन उस पद के लिये अपेक्षित थी (या उसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्रदान की गयी थी);

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो'';

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है, यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विगत सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित एवं श्री राज्यपाल के यहां हस्ताक्षरण लम्बित नगर निकायों सम्बन्धी विधेयकों का प्रकरण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपसे बात हुई थी इस सिलसिले में जो मैं रखने जा रहा हूं और मेरी नेता भारतीय जनता पार्टी से भी बात हुई थी, हमारा एक बिल है जो पास होकर सदन से चला गया है महामहिम राज्यपाल के पास है नगर विकास का, जिसमें हमने सबको बराबर से इन्साफ मिले, हमारे नगर निगम गिने–चुने हैं, बाकी हमारी बहुत बड़ी तादात में नगर निकाय हैं, उनके लिए कानून यह है कि अगर वह बेइमानी करते हैं और कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, अगर

वह किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ गाली–गलौज करते हैं, मार–पीट करते हैं तो बर्खास्त तक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इतनी लम्बी आजादी के बाद भी कानून खामोश था मेयर्स के बारे में, महापौरों के बारे में, महापौर भी जाहिर है उनको यह अधिकार नहीं रहेगा कि जनता की गाढ़ी कमाई का मिसयूज करें और अगर वह ऐसा करें और उनसे कानून न पूछ सके ऐसा कोई प्राविधान नहीं था, वह किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ कोई भी व्यवहार करें गाली दें, थप्पड़ मारें, जूता–लात करें कोई सजा का प्राविधान नहीं था, यह बिल्कुल न्याय से परे की स्थिति थी, मात्र इतना संशोधन किया गया है कि जो नियम सारे नगर निकायों के लिए हैं, वही मेयर्स पर भी, महापौरों पर भी लागू होंगे। मेरे ख्याल से जब देश के बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह गबन कर ले, मैं नहीं समझता कि ख ग ग ग , डेढ़ बरस हो गया है एक ऐसे बिल को महामहिम के यहां से वापस न आना राजभवन से वापस न आना, यह सीधा दर्शाता है ख ग ग ग , मान्यवर, हम चाहते हैं कि महामहिम के बारे में, महामहिम किसी नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किस दल से आये हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि राजभवन का एक अलग सम्मान होता है, हमारे लिये राजभवन, राज्यपाल एक संविधान पद पर बैठे हुए बहुत बड़े व्यक्ति का नाम है, इस तरह की चर्चा, इस तरह का भाव अगर पैदा हो कि ख ग ग ग , और हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे विभाग को चलाएं। हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं और इस विधेयक में अगर कोई भी कमी है, तो हमने कई बार कहा कि आप हमें तलब कर लीजिए, हमारे अधिकारियों को तलब कर लीजिए, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के ज़ेहन में यह बात थी कि हम किसी मेयर को प्रताड़ित करना चाहते हैं। मान्यवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने यह कहा, कि अगर आपने इसमें सजा का प्राविधान रखा है कि अगर कोई नहीं है, अगर कोई मेयर अपने कार्यालय में कर्मचारियों को मारेगा, गाली देगा तो क्या कानून उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा ? आज तक यह प्राविधान है। क्योंकि ऐसे वाकयात हुए हैं। लिहाजा उन्हें रोकने के लिए और बड़ी–बड़ी हड़तालें होती हैं, पूरे–पूरे शहर सड़ जाते हैं। क्या आप मेयर्स को इस बात की इजाजत देंगे कि वह अपने कार्यालय में गाली–गुफ्तारी करें, मारपीट करें, बेईमानी करें, सिर्फ मात्र इतना ही है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ख ग ग ग , मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि इस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए। ख ग ग ग , और यह कोई विवादित बिल नहीं है, कोई धार्मिक बिल नहीं है और मैं कहता हूं कि यह मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का भी बिल नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यह कह कर आपने दो–दो बार मेरा नाम लिया है और इस सदन की परम्परा रही है कि राजभवन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। माननीय राज्यपाल महोदय के किसी भी ऐक्शन के बारे में यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, जो भी आरोप लगाए हैं, जो एक तरह का आक्षेप है, वह उसको वापस लें। उसको उन्हें वापस लेना चाहिए और हम किसी भी तरह से, इस बात को, इस सदन को एलाऊ नहीं करना चाहिए कि राजभवन के ऊपर कोई भी टिप्पणी की जाये। हम इससे घोर असहमति व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दिया जाये कि वह इसे वापस लें। मान्यवर, यह एक प्रकार का आक्षेप है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ह ग ग ग , लेकिन मान्यवर, क्या यह पूरे प्रदेश की पीड़ा नहीं है, क्या यह सदन की पीड़ा नहीं है, कि राजभवन में हमारे कितने बिल पेण्डिंग पड़े हुए हैं। मान्यवर, इसमें कोई अवमानना नहीं है, हमारा कोई आक्षेप नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से, आप तक यह बात पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है कि ह ग ग ग ,

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बात की जाती है, तो उसका यहां कोई मतलब नहीं है। राजभवन को प्रभावित करने का पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, यह एक टिप्पणी है, इसको इस पीठ से निर्देश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह संवैधानिक व्यवस्था है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के अपने आसन से खड़े होकर अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप रुकिए न, आप बैठिए। अब हमें कुछ कहने भी तो दें। एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसके अन्तर्गत राज्यपाल जी को बिल रोकने का अधिकार है। लेकिन यह भी है कि जनहित के बिलों पर उन्हें गम्भीरता से सोचना भी चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल जी को पहुंचा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम देख लेंगे, अगर कुछ असंवैधानिक है, तो निकाल देंगे।

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह एक प्रकार का आक्षेप है और यह संवैधानिक प्राविधानों के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम देख लेंगे, उसमें जो असंवैधानिक होगा, उसको निकाल देंगे। अब आप बैठिए।

ख12.17, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक पर अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)– मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 58,74,29,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)– मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,84,71,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)– मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,15,71,82,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 58,74,29,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,84,71,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,15,71,82,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,29,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर किसी माननीय सदस्य का कटौती का प्रस्ताव है ?

(किसी भी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,99,29,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र मंत्री) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,21,40,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,21,40,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख12.28, अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,17,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसी में मद संख्या–30(7) का प्रस्ताव भी कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी, मैं तो कल यही कह रहा था।

श्री अध्यक्ष–

तो इसको अलग से पास करा दें सामान्य प्रशासन को उसके बाद मुख्य मंत्री जी का गृह विभाग का रखेंगे।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसको हम पास करा लें, फिर उसके बाद गृह पर बोलिएगा, आप लोग।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग दोनों एक ही साथ रखे जाते हैं, एक ही साथ कटौती प्रस्ताव आता है और एक ही साथ चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, गृह विभाग पर भी संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव आप रख दें।

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,50,26,09,37,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें कटमोशन मौर्य जी, आप रखेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, जैसा आपका आदेश हो। माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग....

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बहुत जरूरी कार्यक्रम लगे हैं माननीय नेता सदन के। अगर बहुत लम्बा भाषण हो तो आप आकर सुन लेंगे और अगर जैसे आपकी तबीयत वैसे नासाज चल रही है (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इंगित करते हुए) तो आज आप जितना अच्छा बोले हैं, अल्ला करे तबीयत साज रहे और आप इतना ही अच्छा बोलते रहें तो अगर उतना ही अच्छा बोलने का इरादा हो तो नेता सदन बैठे हैं। इसलिए मैं इशारों में कह रहा हूं, मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में सब अपनी बात रख दें, मुख्य मंत्री जी जवाब दे दें, फिर बन्द कर दें। फिर मान लीजिए मुख्य मंत्री जी जायें और फिर आयें तो दिक्कत होगी ना, तो संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

ये आप माननीय मुख्य मंत्री जी की जल्दबाजी की व्यवस्था कर रहे हैं या अड़ंगेबाजी डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं में कोई व्यवस्था नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

न,न, वे सब के साथ हैं।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जहां से शुरुआत की थी। इन्होंने महिला दिवस की बधाई दी थी, उसी कार्यक्रम में मैं जाना चाहता हूं। आप तो बधाई दे रहे थे, शुरुआत आपने बधाई से की थी। अब बात आपको तय करनी है कि आप कितना महत्व देना चाहते हो उनको।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार अपनी असफलताओं का खुलासा न हो, इसके विषय में पहले ही बहाने से निवेदन कर लिया गया कि कम बात रखी जाये। अगर सरकार सामूहिक रूप से इस बात को मान ले कि हम सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल हुए, हमारी असफलतायें आज सिर पर चढ़ कर बोल रही हैं और हम कुछ भी पटरी पर लाने में कामयाब नहीं हो पाये हैं तो शायद मैं चर्चा करने से मना कर दूं लेकिन यहां तो हालात दूसरे हैं। एक ओर पूरा प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। यह हमारे साथी भी जानते हैं, अभी कल ही गोण्डा में एक समाजवादी पार्टी की ही पदाधिकारी थी, की हत्या समाजवादी के द्वारा ही किया गया। अब उन लोगों का आपस में क्या सम्बन्ध है, हम उस पर नही जाना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सही मायने में हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं के सम्मान में एक दिन नहीं पूरा का पूरा सत्र उनके लिए समर्पित किया जा सकता है लेकिन इस नाम पर सरकर अपनी जवाबदेही से बचकर भागने की कोशिश करती है तो कहीं न कहीं यह सरकार कि साजिश है। माननीय मुख्य मंत्री जी को महिला दिवस पर जाना है, और उस महिला दिवस में माननीय मुख्य मंत्री जी को जाने के पहले यह भी मालूम है कि उन्हीं के निर्देश पर आज की तारीख तय हुई थी सामान्य प्रशासन विभाग आज प्रस्तुत किया जायेगा और कार्यक्रम माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ही तय करते हैं, बिना इनके निर्देश से इनके स्टाफ के लोग न किसी को कार्यक्रम देते हैं और न उसमें कम ज्यादा 19–20 समय का अन्तर बताते हैं तो यह जान–बूझ कर उसी समय पर यह बजट क्यों ? आप पहले कार्यक्रम पर आये होते, अब तक कार्यक्रम कर आये होते इत्मिनान से यहां शाम तक के लिए बैठते। इसलिए यह चालाकी हर जगह सरकार को भारी पड़ती जा रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज विशेष रूप से सामान्य प्रशासन और कानून–व्यवस्था आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। कोई हो अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, हरवाहा, चरवाहा, रिक्शावाला या बड़े व्यवसाई, सभी अपने खून पसीने की मेहनत से दो जून की रोटी को खाने का प्रयास करते हैं लेकिन हालात यह है व्यापारी दिन भर कमाया उसका बटुआ छिन गया, रिक्शावाला दिन भर खून पसीना मेहनत, हड्डी तोड़ मेहनत कर रिक्शा चलाया रात में सरहन लोगों ने उसकी जेब से पैसा निकाल लिया बोला तो चाकू मार दूंगा। किसान गर्मी, ठन्डी, बरसात, सर्दी और लू सबमें कड़ी मेहनत करके अपनी फसल तैयार करता है मौका आया उस शहर के कुछ शेरेपुस्त गिरोह किस्म के लोग मनचाहा उसकी फसल को उठवा लेंगे और यही नहीं अब तो अधिकारियों के, दो जून ठीक से खाने पीने वालें लोगों

के बच्चों के अपहरण का भी एक धन्धा बना लिया गया है। ऐसी हालात में आम लोगों की अमनचैन और रोटी छिन रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सामान्य प्रशासन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ करने की सोची थी थाना दिवस और तहसील दिवस में। अभी 4 दिन पहले तहसील दिवस में अधिकारी सोते नजर आये, फरियादी मिलने गये कोई मिलने वाला नहीं है। आपकी जनहित की चलाई गयी योजनाओं पर ग्रहण क्यों लग गया इसलिए कि हमको मुख्य मंत्री जी, आपकी सरकार को शासन और प्रशासन की न हनक का डर है न इकबाल का।

सरकार की हनक इकबाल दोनों गायब। आज इस प्रदेश में किसी का हनक इकबाल है तो अपराधियों का, गुण्डे, माफिया, अपराधियों का अराजकतत्वों का है, जब जहां चाहा बुल्डोजर चला दिया, किसी का घर कब्जा कर लिया, जमीन कब्जा कर लिया किसी को उठवा लिया, अपहरण करवा लिया, मनचाही रकम फिरौती मांगने के लिए मजबूर कर दिया अन्यथा गोली मार दिया। आज इस प्रकार से फायरिंग करना, (टोकाटाकी होने पर) माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे ही लोग माननीय मुख्य मंत्री जी की आंख में धूल झोंकने का भी काम करते हैं। सही बात की जानकारी लेने से अपने मुख्य मंत्री और नेता को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से मुख्य मंत्री जब अंधेरे में रहता है तो तीर कहां चलायेगा और आज हालात यह हो गये जिस तरीके से शासन प्रशासन पंगु हो गया है और अभी देखा बजट इतना लम्बा चौड़ा, बजट का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन उस बजट का सदुपयोग होता दिखाई पड़े इतना बड़ा बजट और जिसके लिए बजट वह शासन प्रशासन पंगु, हालात हो गये ''लंगड़ी घोड़ी लाल लगाम'' ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, देखिये, बुरा मान जायेंगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप खुश हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भई अगर घोड़ी हैं तो खुश हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लंगड़ी घोड़ी भी आपकी, लगाम भी आपकी, यही कारण है कि आज आप सभी लोग हर कदम पर गिरते नजर आ रहे हो। कहीं भी आपको खड़ा होने के लिए आपके लोगों ने जगह नहीं दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जुल्म, ज्यादती, अत्याचार की बाढ़ आई हुई है वह दिल दहला देने वाला है। अभी कल ही सुल्तानपुर में सरोज की हत्या हुई, अमेठी में एक किसान की हत्या हुई, उरई में एक नौजवान की हत्या हुई। उसकी केवल हत्या हुई, सब सामान था उसका उसे लूटा नहीं हत्या हुई। यानी हत्या आज बच्चों का घरौंदे वाला खेल हो गया है। जिस तरीके से बच्चे जब चाहते हैं मिट्टी इकट्ठा किया, घर बनाया और जब खेल खत्म

तो मारी लात और चल दिये। इसी प्रकार से आज अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता को घास और कूड़े की तरह काटते हैं, मनमाना आतंक फैलाते हैं, लूटते हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

ख ग ग ग , की कोई पराकाष्ठा भी होती है नेता विरोधी दल।

(सत्तापक्ष एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे, आप लोग शांत रहिये न, नेता विरोधी दल को अपना भाषण करने दीजिये। माननीय नेता विरोधी दल, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जाते–जाते आप लोग माहौल क्यों खराब करना चाहते हो।

श्री विशम्भर सिंह–

माहौल तो आपके लोग खराब कर रहे हैं। आप इन्हें समझाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप कड़वा सच सुनो।

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)–

आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमेठी में हत्या हुई है। आप बताईये कि अमेठी में कहां पर हत्या हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया आप शांत रहें। नेता विरोधी दल को भाषण करने दीजिये। आप लोग टोकाटोकी मत करिये, इनकी जल्दी बात आ जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं, उससे कोई भी अछूता नहीं है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की कार्यवाही हुई है, तो वह उत्तर प्रदेश में हुई है। वर्ष 2014 में 8066 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज हुये, जबकि बिहार में 7874, राजस्थान में 6734 और मध्य प्रदेश में 3294 मुकदमें दर्ज हुये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये आंकड़े आपकी कलई खोलते हैं। किसी भी आंकड़े को सुनने के बाद तिलमिलाने से बात बनने वाली नहीं है। सही मायने में यदि दर्द है तो शासन और प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करो। इस तरह की हरकतों पर अंकुश लगे, जब अपराध पर अंकुश लगेगा तो लोग आपकी जय–जयकार अपने आप करेंगे, आपको चीखने चिल्लाने की आवश्यकता

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

नहीं, बल्कि आप कार्य इतने अच्छे करिये कि लोग खुद आपका स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से अभी सरकार का यह फैशन बनता जा रहा है कि कानून–व्यवस्था दुरुस्त है । हम तो चाहते हैं कि दुरुस्त रहे, सबकी चाहत है कि दुरुस्त रहे और जब कानून–व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो शायद हम भी उसका स्वागत करते। आपके आंकड़े खुद सरकार के आंकड़े आपको कठघरे में खड़ा करते हैं । वह आकंड़े हम नहीं तैयार करते, विपक्ष नहीं तैयार करता बल्कि उसे सरकारें तैयार करती हैं और अपने भी आकंड़ों पर आपको पलीता लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अभी पुलिस पर हमलों की बात आई थी, और इसी विधान सभा में सत्र के दौरान ही हम लोग प्रायः प्रश्न उठाया करते थे कि आज बड़े पैमाने पर पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर पुलिस गोली का शिकार हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज यह पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है, मैंने यह लाल लगाम और लंगड़ी घोड़ी क्यों कहा, इसीलिये कि हमारे प्रतापगढ़ में मानिकपुर थाना है वहां पर महादेव प्रसाद मिश्र, होमगार्ड कांस्टेबिल पहरेदारी पर खड़ा था, एस0ओ0 अन्दर बठे थे, कुछ अपराधियों का एस0ओ0 को टेलीफोन आया कि फलां व्यक्ति को, जिसको तुम पकड़कर ले गये हो, उसको छोड़ दो, नहीं हम आ रहे हैं अभी सबक सिखायेंगे। एस0ओ0 से बात करने के बाद यह अपराधियों के बुलन्द हौसले कि एस0ओ0 को सीधे टेलीफोन करता है कि फलां अपराधी को छोड़ दो, जिसे लालगोपालगंज से पकड़ कर लाये हो, अन्यथा मैं आता हूं और तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूं और 5–6 लड़के पहुंचे और एस0ओ0 अपना अन्दर आफिस में बैठे थे, दर्जनों ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, न कोई एस0ओ0 निकला, न कोई कांस्टेबिल निकला, केवल होमगार्ड पुलिस ने उन अराजकतत्वों को रोकने की पूरी कोशिश की और उन अराजकतत्वों ने उस होमगार्ड पुलिस को गोली का शिकार बना दिया और वह मर गया। यह चुस्त–दुरुस्त पुलिस है अरे थाने के बाहर बात हुयी होती, बात समझ में आती, वह भी टेलीफोन करके आ रहा है उतनी देर में आप अगल–बगल की पुलिस बुला सकते थे, दूसरे थानेदारों को बुला सकते थे। एस0ओ0 अंदर मौजूद, दर्जनों बार गोलियां चलती रहीं लेकिन वह बंदा बाहर नहीं आया तो नहीं आया। क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता कि अपराधियों से उस एस0ओ0 की सांठ–गांठ थी। अगर सांठ–गांठ नहीं थी तो उनको सबक सिखाने के लिए बाहर क्यों नहीं आया। वह छोटी सी मजदूर की हैसियत रखने वाला होमगार्ड, जिसने अपनी जान पर खेल करके अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का काम किया, मा0 मुख्य मंत्री जी, हमें खुशी होती कि उस दिन एस0ओ0 सहित जितने भी पुलिसकर्मी थे एक तरफ से सबके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई किये होते। ससपेंड कौन हुआ एक एडिश्नल एस0पी0, ऐसे मौके पर एस0ओ0 को टर्मिनेट हो जाना चाहिए था और कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, बात इसकी नहीं है बात इससे भी बढ़ करके है, यह घटना एक नहीं है, इस तरह की रोज घटनाएं होती रहती हैं। आजकल जब देखो तब रोज आता रहता है कि पशु तस्कर ने फलॉ दारोगा पर गाड़ी चढ़ा दी, फलां कान्स्टेबिल पर गाड़ी चढ़ा दी और अगर गाड़ियां चढ़ गईं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसके सरकारी मुलाजिम मारे जा रहे हैं। अभी

बरेली में दो–तीन महीने पहले एक दारोगा इसी प्रकार से बलि की बेदी पर चढ़ गया अभी दो–तीन घटनाएं पश्चिम में फिर हो गईं, गाड़ी चढ़ा दिया बाद में एक्सीडेंट दिखा दिया और प्रशासन भी खुश और पशु तस्कर का माल अपना कट रहा है क्या ऐसे ही चलेगा। मान्यवर, आप पैसा जितने दिये हैं उसके दो गुना दे दीजिए लेकिन पुलिस का गायब इकबाल वापस ला करके उनके हाथों में दे दीजिए। ऐसे अराजकतत्व जो खाकी वर्दी देख करके भागा करते थे आज उनको शिकार बना रहे हैं। आज उनकी इतनी हिम्मत कि जब जहां चाहते हैं कॉलर में हाथ लगा देते हैं, जब जहां चाहते हैं चाटा मार देते हैं, जब जहां चाहते हैं गोली मार देते हैं, क्या यही इकबाल है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो भी अपराधिक घटनाएं आज चरम पर हैं लगातार चलती रहेंगी इसीलिए इसको रोकने के लिए हम।

श्री अध्यक्ष–

क्यों रुक गये, आगे बढ़िये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पीलीभीत में एक दारोगा मारा गया था और आज हालात ये हैं कि प्रतापगढ़ में हर तीसरे, चौथे, पांचवे महीने एक ब्यूरोक्रेट की हत्या और हर तीसरे, चौथे महीने एक पुलिस वाले की हत्या, यह शौक बनता जा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी, कितनी भी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं आप चला लें, आपकी सोच भी कितनी अच्छी क्यों न हो, लोग आपको कितना भी पसन्द क्यों न करते हों लेकिन एक ही यह माइनस प्वाइन्ट आपके सारे किये–कराये पर जहर बनकर घुल जाता है इसलिए आपके सारे कार्य तब तक नहीं सराहे जायेंगे जब तक सभी लोगों को आप इस बात का एहसास न करा दें कि कानून–व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहेगी, गुण्डों की खैर नहीं होगी, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा सीधे जेल में दिखाई पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी, सामान्य प्रशासन के बजट पर भी कुछ कहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम बहुत संक्षेप में सब कुछ कह देंगे अगर हमारे सदस्यगण चुप रहें तो बहुत जल्दी हो जायेगा। इस समय चुप हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, कभी–कभी, किसी चीज को ले करके इस चीज का उद्धरण देते हैं कि विपक्ष हम पर गलत आरोप लगाता है। विपक्ष गलत आरोप क्यों लगायेगा ? अगर आरोप कहीं बनता ही नहीं तो गलत आरोप लगेगा कैसे ? कुछ समय पहले की घटना थी बदायूं की और मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत वाहवाही लूटी कि सी.बी.आई. ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसमें सी0बी0आई0 जांच फिर से ओपेन हो गयी है, चल रही है। उस समय सारे तथ्यों को गायब करके दिया गया, सी0बी0आई0 को कुछ मिला ही नहीं, जल्दी–जल्दी उसको रफा–दफा कर दिया था। लेकिन पीड़ितों ने जब फिर से अपील दायर किया और कहा कि इन–इन चीजों के आधार पर कहीं विचार ही नहीं किया गया, तो वह पुनः जांच शुरू हो गयी। कुण्डा के सी0ओ0 जियाउल हक की भी इसी प्रकार से सी0बी0आई0 जांच डिस्पोज ऑफ हो गयी थी, वह फिर चल रही है। दूसरी चीज, चल रही हो या न चल रही हो ये दृष्टांत नहीं होते, दृष्टांत होते हैं कि हम अपनी जवाबदेही पर जनता की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं या नहीं ? हम उस काम को करें और आज जिस तरीके से पेड़ों पर मार करके लाश टांग देना, छोटी–छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करना, आज दिन–प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाओं की जो बाढ़ आती जा रही है इसके लिए हम सभी जवाबदेह हैं, जो यहां पर बैठे हुए हैं। केवल यह नहीं कि सामाजिक दोष है, सारा समाज जिम्मेदार है, ठीक है, समाज इसके लिए जवाबदेह है, सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन पूरे प्रदेश की समाज की तमाम जिम्मेदारियां लोगों ने आपके हाथ में दे रखी हैं, कमान आपके हाथ में

दे रखी है आप मुख्य मंत्री हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। एक पार्टी के नेता नही हैं, मुख्य मंत्री की हैसियत से पूरे प्रदेश के आप नेता हैं, मुखिया हैं, परिवार के अगुवा हैं ऐसी हालत में सबकी अपेक्षायें आपसे रहेंगी इसीलिए कहीं पर भी जब तक पार्टी, जाति, पॉलीटिक्स और धर्म चारों से ऊपर पहुंचकर कानून के प्रति मजबूत संकल्प के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे बात बनने वाली नहीं है क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ चुका है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि उसी प्रतापगढ़ में सी0ओ0 जियाउल हक मारा गया था।

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो बहुत बहस हो चुकी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

6 महीने में एक वकील मारा जाता है इन्द्रमणि, राजदत्त एडवोकेट, प्रभाशंकर एडवोकेट मारे गये।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नीतिगत सुझाव दीजिए। नेता विरोधी दल की हैसियत से बजट पर कुछ सुझाव भी दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जब कभी कोई अच्छा अधिकारी चला गया तो मा0 मुख्य मंत्री जी वह मुश्किल से एक महीना या दो महीना, इससे ज्यादा नहीं रह पाया। ऐसा नहीं कि अच्छे अधिकारी नहीं गये, अच्छे अधिकारी भी गये। एक बार कोई अधिकारी गया था जिसने लाखों लीटर अवैध शराब पकड़ी थी। आपके संज्ञान में आया भी था। अच्छा काम करने वाले को बस उसी के 10 दिन बाद बोरिया बिस्तर बांध दिया गया। तो इस तरीके से ऐसी चीजों पर आपको प्रभावी अंकुश लगाने के लिये कार्य करने पड़ेंगे। रही बात अभी थानों पर कितनी घटनाएं हुईं यह तो सूचना आप पहले दे चुके हम इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट है इलाहाबाद जोन की, और आई0जी0 की रिपोर्ट है यह। जिसमें 2015–2016 में सबसे ज्यादा पुलिस पर हमले इलाहाबाद जोन में हुए। 27 हमले इलाहाबाद में, कौशाम्बी में 2 हमले, फतेहपुर में 12 हमले, प्रतापगढ़ में 7 हमले, बांदा में 3 हमले, हमीरपुर में 5 हमले, चित्रकूट में 5 हमले इस तरह से 61 हमले यानि जो रेशियो यह आया है इस रेशियो को अगर प्रदेश के स्तर पर विचार किया जाय तो हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश का जो आपने पहले आंकड़ा दिया था वह दो गुना तीन गुना हो जायेगा। इस तरीके से आपने ही बताया था कि 1044 पुलिस वाले पिटे तो हमारा कहने का मतलब है कि जब इस तरीके से पुलिस की पिटाई होगी तो न कानून का डर रहेगा और न ही कानून के रखवाले काम कर पायेंगे क्योंकि उनका मनोबल खुद पहले से इतना गिरा हुआ है कि वह अपने को काम करने से बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन हो, गृह विभाग हो सदैव माननीय

मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग होता है और सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में लोग इसी से प्रभावित होते हैं। यद्यपि इसके द्वारा कोई बहुत कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई जाती न जनता को इससे कुछ पाने की उम्मीदें होती हैं लेकिन इतना जरूर होता है कि वह चाहते हैं कि कानून हमारी रक्षा करे, हम जब थाने पर जायं तो थाने के लोग हमको तत्काल न्याय दिलायें लेकिन वह तो सरकार में सब कुछ बिक रहा है और जबसे सब कुछ बिकने की परिपाटी चल गई तब से यह मामला और कमजोर होता गया क्योंकि उनके हौसले और मनोबल लगातार गिरते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी एक रिपोर्ट आई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। पूरे देश में 64,945 बच्चे लापता हुए और जिसमें मान्यवर उत्तर प्रदेश में जनवरी, 2012–2016 के बीच 26,008 बच्चे लापता हुए। 14,646 बच्चे ढूंढे गये और 11,362 बच्चे अभी भी नहीं प्राप्त हुए। यानि इस तरीके से जो अपने बच्चों के गायब होने की सूचना लोग थानों में लिखाने जाते हैं या साथ ही साथ इस उम्मीद से कि हमारी सूचना ली जायेगी, एफ0आई0आर0 लिखी जायेगी, बच्चे की हमारी खोज की जायेगी। इस आंकड़े से पता लगता है कि हम इसके प्रति कितने उदासीन हैं। सबसे बड़ी चीज आज जिस तरीके से सारी की सारी व्यवस्थायें लड़खड़ाईं हैं हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम मुफ्त इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज की घोषणा मुख्य मंत्री जी करते हैं लेकिन हालत यह है कि स्टाफ ही नहीं है। हम पूरे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगे तो बहुत समय लगेगा इसलिए हम केवल एक जिले का एक छोटा सा आंकड़ा दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी कुशीनगर में पैथोलाजिस्ट और रेडियोलाजिस्ट दोनों नहीं हैं। 33 डाक्टर में से मात्र 14 डाक्टर हैं 19 डाक्टर हैं ही नहीं। 36 नर्स के पद हैं उसमें मात्र 14 नर्स हैं 22 पद रिक्त हैं। अर्दली पियून 18 पद हैं एक भी भर्ती नहीं है वार्ड ब्याय के 35 पद हैं केवल आठ पद पर भर्ती हैं और कुक, कहार, धोबी, ओटी, बी0आर0ए0 लैब असिस्टेंट इनके कुल 67 पद हैं और इन 67 पदों में मात्र आठ पद की भर्ती है माननीय अध्यक्ष महोदय जी जब आपके यहां डाक्टर नहीं नर्स नहीं स्टाफ नहीं तो आप निःशुल्क चिकित्सा देने की जो बात करते हैं वह अपने आप में बेमानी हो जाती है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना लम्बा चौड़ा बजट जो लाया गया है जिस तरीके से जमीनी हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं रह गया है इतने बड़े बजट का मतलब जनता पर एक अतिरिक्त भार देना है ऐसी हालात में मैं कटौती प्रस्ताव लाया हूं क्योंकि आज ऐसी हालात में जब पूरा प्रदेश आन्तरिक समस्याओं से जूझ रहा हो और दूसरी तरफ वहीं साम्प्रदायिक घटनायें और आतंकवादी गतिविधियां भी बीच में होती हों तो ऐसी हालात में हमें और चुस्त–दुरुस्त रहने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सहाय आयोग जी की रिपोर्ट आई, चर्चा तो आपने अभी उस पर कराया नहीं, और चर्चा कराने की शायद आपकी मंशा भी नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार को बचाने का जो घिनौना खेल सहाय आयोग ने किया है हम समझते हैं कि पूरा प्रदेश उससे आहत हुआ है आज जिस तरीके से सरकार को क्लीन चिट दिया एक ओर वहीं इंगित करते हैं कि तत्कालीन प्रमुख सचिव, गृह, तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन एल0आई0यू0 के इंस्पेक्टर दोषी थे

यह तो सब सरकार के पार्ट हैं अगर यह दोषी थे तो सरकार पाक–साफ कैसे ? लेकिन इनको कटघरे में खड़ा करने के बजाय दाएं–बाएं चलने का काम कर दिया। मान्यवर, वहां पर 62 लोगों की जानें गईं। उसके बाद भी छिटपुट हत्याएं होती रहीं। 40 हजार लोग बेघर सालों साल घुमन्तू जीवन जीते रहे आज भी तमाम लोग बेघरवार हैं। ऐसे हालात में श्री सहाय जी की रिपोर्ट सरकार को खुश करने के लिए हो सकती है लेकिन जिन पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया था वह मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है आज जिस तरीके से अपराधियों को बचाने का भड़काऊ भाषण देने वालों को बचाने का सरकारी मशीनरी का बचाव करने का काम सहाय आयोग की रिपोर्ट ने किया है। हम समझते हैं कि यह प्रदेश की जनता के साथ धोखा है मुजफ्फरनगर, शामली के उन तमाम पीड़ितों के साथ घोर अन्याय है इसलिए मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि जब जांच आयोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचा ही नहीं तो उत्तर प्रदेश के खजाने का दुरुपयोग क्यों हुआ। सात बार कार्यकाल बढ़ाया गया दो–दो साल का कार्यकाल मिला सारी सुख सुविधाएं लीं सारा का सारा स्टाफ रहा लेकिन वही ढाक के तीन पात किसी निष्कर्ष पर पहुंचता नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम समझते हैं कि सहाय आयोग की जो रिपोर्ट है वह केवल समाजवादी पार्टी पर लगे दाग को धोने के लिए बनाई गई थी किसी अभियुक्त और दाषी को सजा दिलाने के लिए नहीं साम्प्रदायिक रंग घोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए नहीं बल्कि किस तरीके से इस मामले को रफा दफा किया जाय और जो लम्बे अरसे तक एक मिलीभगत के फलस्वरूप यहां पर हिन्दू, मुस्लिम सौहाद्र तार–तार किया जाता रहा है आज भी उसकी गहरी जड़ें जमी हुई हैं इस रिपोर्ट से उसको और ताकत मिलेगी इसलिए अध्यक्ष महोदय जी चूंकि यह भी गृह विभाग से सम्बन्धित है सामान्य प्रशासन भी इससे प्रभावित होगा इसलिए इस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से यह अपेक्षा किया हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का केवल हवा हवाई दुरुपयोग कर खाना पूरी न की जाए बल्कि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग को बहुत ही मजबूत सशक्त और खुले दिल दिमाग यानी बुलन्द हौसले के साथ काम करने की छूट मिले जिससे कि चरमराई कानून–व्यवस्था तथा प्रशासन से जो जनसामान्य का ध्यान हटा है वह फिर से इसकी ओर आकर्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग पर मा0 नेता विरोधी दल ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मा0 अध्यक्ष जी, दुष्यन्त कुमार का एक शेर है कि 'सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है।' जब पूरा शरीर और पूरा जिस्म दर्द करता हो

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

तो यह कहां बताएं कि कमी कहां–कहां है। इस सरकार को आए 4 वर्ष हो गये हैं और इन 4 वर्षों में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस सरकार ने यह वायदा किया था कि हम पारदर्शी सरकार देंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस वेबसाइट पर यहां का क्राईम रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। मैंने वर्ष 2014 और 2015 का क्राईम रिकार्ड आर0टी0आई0 के माध्यम से हासिल किया है। आंकड़ों के माध्यम से वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आंकड़ों पर बहुत ज्यादा बेस नहीं करना चाहता। आज की तारीख में पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक परसेप्शन यह है कि अगर आदमी घर से बाहर निकलता है, बच्चा स्कूल जाने के लिये घर से बाहर निकलता है, एक महिला घर से बाहर निकलती है तो घर वालों के दिल धुक–धुक करते हैं कि पता नहीं हमारे परिवार का बच्चा, महिला या पुरुष सही–सलामत वापस आयेगा कि नहीं आयेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूं। महिला उत्पीड़न की बात यह सरकार बराबर करती है कि 1090 के माध्यम से हमनें इतने चेक किये, इतने चेक किये। पिछले 06 महीनों में 01 जुलाई, 2015 से 15–01–2016 तक मैंने आर0टी0आई0 के माध्यम से जो सूचना प्राप्त की है, उसके अनुसार महिला उत्पीड़न के 5550 मामले हैं, वाहन चोरी के 16568 मामले हैं, अपहरण के 5910 मामले हैं, फिरौती के लिये 32 अपहरण किये गये, लूट के 1846 मामले हैं, चोरी के 26918 मामले हैं, बलात्कार के 1451 मामले हैं, डकैती के 131 मामले हैं और 2430 हत्याएं हुयी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे आगे हैं और पूरा जोन इससे प्रभावित है कि जो पिछले 6 महीनों में पूरे जोन में 123 घटनाएं ऐसी हुईं हैं जिनका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है और बड़े–बड़े अपराध हुये हैं। केवल लखनऊ में ही 96 केसेज ऐसे हैं जिनका खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। जब राजधानी का यह हाल है कि जहां पर पुलिस संजीदा नहीं है, जहां पर इतने सारे आई0ए0एस0 से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, पूरा पुलिस, पुलिस प्रशासन मुख्यालय यहां से गवर्न होता है, वहां पर यदि घटनाएं होती हैं और उनका खुलासा नहीं हो पाता है तो हम पूरे प्रदेश के लिये क्या कहें ? दूसरी बात जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा बल देना चाहता हूं वह यह है कि आजकल पुलिस का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण हो रहा है। पुलिस को कार्रवाई करने की छूट नहीं है, उसको अपने स्तर से न्याय करने की छूट नहीं है और यहां तक कि एफ0आई0आर0 दर्ज करने की छूट नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता या सत्तापक्ष का कोई प्रभावशाली व्यक्ति जब चाहे जहां चाहे एफ0आई0आर0 को रुकवा सकता है, विवेचना को रुकवा सकता है, मुल्जिम को थाने से जबरदस्ती छुड़वा सकता है और हर तरीके से न्याय को प्रभावित कर सकता है। मान्यवर, अफसोस तो तब होता है जब कोई पुलिस का सिपाही और दरोगा यह कह देता है कि मैं इटावा से आया हूं या मैनपुरी से आया हूं या कन्नौज से आया हूं तो उसकी बात व्यवहारिक रूप से इतनी प्रभावी है कि कप्तान और डी0आई0जी0 की कुर्सी भी उससे हिलती है कि पता नहीं कब यह मेरा स्थानान्तरण यहां से करवा दें और कब मेरा बोरिया–बिस्तर यहां से बंध जाये। ऐसी परिस्थिति में जब

पुलिस का इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया। जब हर चीज सत्ता पक्ष के माध्यम से प्रभावित होती चली जा रही है तो आम आदमी इस बात की उम्मीद कैसे कर सकता है कि उसको न्याय मिलेगा। मान्यवर, पुलिस के सुधार में एक बात विशेष रूप से कहीं गई थी कि विवेचना को अलग कर देंगे और पुलिस कप्तान विवेचना से अलग करके देखा जायेगा। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लगातार उसके ऊपर इस बात को सरकार की ओर से कहा जाता रहा कि हम इस पर प्रयास करेंगे लेकिन आज तक मान्यवर, वह व्यावहारिक नहीं हो पाया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, गुजरात के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था। उसमें खास तौर से इस बात को कोड किया गया था कि अगर किसी मुल्जिम का एक्विटल हुआ है, कोई दोषमुक्त हुआ है तो उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक और पब्लिक प्रॉसीक्यूटर इस बात को देखें कि किस स्तर पर इसमें लेकुना रह गया ? क्या गवाही के स्तर पर रहा, विवेचना के स्तर पर रहा या प्रॉसीक्यूटर के स्तर पर रहा ? हर चीज को अलग–अलग क्रिस्टल क्लियर करके देखा जाना चाहिए कि किस स्तर से इसमें खामी रही तो जो एक्विटल हो गया या मुल्जिम कोई दोष मुक्त हो गया। लेकिन मान्यवर, इतना ज्यादा गवाहों को प्रभावित करने वाला माहौल है कि कभी न्यायालय से भी गवाही होने के बाद उसमें यह नहीं देखा जाता, उसकी स्क्रूटनी नहीं होती कि आखिरकार इसको दोष मुक्त किस आधार पर किया गया ? लेकिन जब हम यहां पर कोई सवाल उठाते हैं, उधर से घिसा–पिटा जवाब आ जाता है और जिस प्रकार से कानून–व्यवस्था चल रही है, वह दिन–प्रतिदिन मान्यवर, गिरती जा रही है। पहले गुण्डे, माफिया और अपराधी पुलिस प्रशासन से डरते थे। आज की स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा गुण्डे, माफिया और जो अपराधी हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरा प्रशासन गवर्न होता है। अगर स्थानीय कोई बहुत बड़ा बदमाश है, कोई बहुत बड़ा गुण्डा है तो दरोगा तो उससे दोस्ती कर लेता है और एस0पी0 भी खामोश हो जाता है और सोचता है कि हम इनसे पंगा लेंगे तो पता नहीं हम कितने दिनों तक यहां पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान्यवर, 04 साल में 1044 स्थानों पर पुलिस की पिटाई हुई। दैनिक जागरण ने एक लेख छपवाया कि हर तीसवें घण्टे पर किसी न किसी रूप में, पुलिस के संग हाथापाई हुई, पुलिस की गिरेबान पकड़ा गया, पुलिस को मारा–पीटा गया, थाने के अन्दर मार–पीट हुआ और नहीं मानें तो गोली मार दी। ऐसी कई घटनाएं मान्यवर, हुई हैं। मान्यवर, आज सबसे ज्यादा चिन्ता इसी बात की है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हम करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा बल देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, सत्तापक्ष के लोग यह चाहते हैं कि दरोगा हमारा है, सिपाही हमारा काम करे, एस0पी0 हमारा काम करे, सी0ओ0 हमारा काम करे और मान्यवर, यही हुआ कि उनके इशारे पर यह पूरा का पूरा प्रशासन नाचता है और जो काम उनको करना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को, वह अपना काम छोड़कर, मान्यवर, उनका काम तो पुलिस कर रही है और वह पुलिस को मारने–पीटने का काम कर रहे हैं। जहां कहीं उनकी बात नहीं मानी जाती, जहां कहीं उनकी मर्जी से काम नहीं होता, तो उसके बाद पुलिस पर हमले होते हैं। आखिरकार यह कब तक

चलेगा ? पिछली सरकार में 2007 से लेकर 2012 तक यह घटनाएं मान्यवर, आधी थीं और 04 वर्ष में यह घटनाएं दूनी हो गयीं, पुलिस के ऊपर हमले की। अभी 4–5 तारीख को बरेली से एक पशु तस्करों का ट्रक दौड़ाया गया, तीन थानों की पुलिस लगी और थानों की पुलिस की गाड़ी के ऊपर उन्होंने ट्रक चढ़ा दिया। फतेहगंज पश्चिमी से लेकर मिलक तक और आखिर में दरोगा जी मार खाकर चुप होकर बैठ गए। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था कि सरकार ने इस बात को कहा है कि जहां–जहां पुलिस के साथ मार–पीट होगी, कोई हाथापाई करेगा तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उसका चालान होगा। मुझे नहीं मालूम कि बरेली से लेकर रामपुर तक की जो घटना 04 तारीख को घटित हुई उसमें कितने एनएसए लगाये गए लेकिन मैंने समाचार पत्रों में कहीं पढ़ा नहीं, न ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में सुना। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि तीन–तीन थानों के थानेदारों की गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, अभी 04 मार्च की बात है, आज चार दिन पहले की बात है और अखबार के पहले पन्ने पर इसे प्रमुखता से छापा गया लेकिन उसके ऊपर कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई ? हम हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि अगर सरकार यह चाहती है कि कानून–व्यवस्था सुधरे तो उसको मैसेज देने वाली कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैसेज देने वाली कार्यवाही नहीं करती है तो रूटीन की कार्यवाही से इस प्रकार के अपराध रुकने वाले नहीं हैं। मान्यवर, एक बहुत बड़ी विसंगति है, इस सरकार में एक मंत्री जी हैं, बैठे हैं, श्री रामूवालिया जी। रामूवालिया जी जब मंत्री बन कर आए। रामूवालिया जी, जब सरकार में मंत्री बनकर आये, तो इन्होंने मुख्य मंत्री जी को एक तलवार भेंट की। मान्यवर, नियमों में यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति तलवार रखेगा, चाहे देने वाला चाहे पाने वाला तो पहले वह उस शस्त्र को रखने की अनुमति प्राप्त करेगा। उसकी अनुमति जिलाधिकारी से ली जाती है। लेकिन हमने पता किया कि किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गयी है और अनधिकृत रूप से किसी के पास कोई तलवार रखी मिल जाय, तो वह 4/25 का मुल्जिम बन जाता है। सरदार जी को तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सरदार जी को एक विशेष रूप से रेमेडी मिली हुई है।

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

सिक्ख धर्म में सरकार और समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी निशानी है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

माननीय अध्यक्ष जी, तलवार की जो बात आदरणीय खन्ना जी ने की है, तो बात तो ठीक है कि नियमों में है। सिक्ख में क्या नियम है वह बतायेगें। लेकिन देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी तलवार भेंट की गई है तो उस प्रसंग को भी जोड़कर पढ़ा जाय, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

सर एक मिनट सुन लीजिए। देखिए ऐसा न करें। यहां तिलक भी लगाये जाते हैं। यहां माला पहनाई जाती है और अमेरिका में भी सिक्ख फौजी को कृपाण रखने की इजाजत मिली हुई है। इसको सिक्खों के पांच सौ वर्ष के इतिहास पर चर्चा का विषय न बनायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि सिक्खों को कृपाण रखने की छूट है, उनको तलवार रखने की छूट है, जिसको वह तलवार भेंट करते हैं उसके पास उसका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और 4/25 की जहां तक बात है मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सरकार के पास अधिकार है कि सरकार उसमें स्टेट एमेण्डमेण्ट लाकर उसमें सुधार कर सकती है। इस प्रकार की पावर सरकार के पास है मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन बिना किसी अधिकार के क्योंकि वह कानून सब पर लागू होता है, कि एक सामान्य व्यक्ति जो सिक्ख नहीं है अगर वह तलवार प्राप्त करते हैं तो उनका कर्तव्य है कि वह पहले वैलिड लाइसेंस हासिल करें उसके बाद ही वह तलवार रख सकते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

खन्ना जी आप बार–बार जिस 4/25 का जिक्र कर रहे हैं और यह बात आप मुख्य मंत्री के लिए इंगित कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को तलवार भेंट की गयी तो क्या उन्होंने इसके लिए वैलिड लाइसेंस ले रखा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जो सरौपा भेंट करने की परम्परा है उसको अगर मान्यता प्रदान की जाती है तो साथ ही साथ इस प्रकार की छूट प्रदान की जाय ताकि कोई भी व्यक्ति तलवार लेकर चलने वाला 4/25 इण्डियन आर्म्स एक्ट का मुल्जिम न बन सके। मान्यवर, इस सरकार ने 216 करोड़ रुपये पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए रखा है जो कि बहुत कम है। वैसे इतना लम्बा–चौड़ा बजट है, 150 खरब का बजट है। और उसमें मात्र 216 करोड़ रुपये पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम है। मान्यवर, आज थानों में स्टाफ की इतनी कमी है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर आखिरकार थानों में 25 परसेण्ट तक सब इन्स्पेक्टर, 40 परसेण्ट तक सिपाहियों की कमी है, सरकार को उस तरफ देकर और जितना आधुनिकीकरण उसका कर सके, क्योंकि साइबर क्राईम भी बढ़ रहा है और हर प्रकार से पुलिस को इस बात के लिए सुसज्जित करना चाहिए कि हर प्रकार के अपराध से वह उसका मुकाबला कर सके। मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को स्थानीय स्तर पर सर्किल रेट घोषित करने का अधिकार है, इसमें जन प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है मान्यवर, जब जहां जैसा चाहा सर्किल रेट उन्होंने अपनी मर्जी से घोषित कर दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती,

इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती और इसमें बहुत बड़ा उत्पीड़न होता है, स्थानीय स्तर पर किसी जमीन का दस हजार रुपये अगर रेट है तो उसका चालीस हजार रुपया उन्होंने रेट निर्धारित कर दिया, उससे जनता का बहुत बड़ा उत्पीड़न होता है, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनवाई करने के बाद ही इसको घोषित किया जाय। लैण्ड एक्वीजीशन में वर्षों तक एवार्ड घोषित नहीं किया जाता, लैण्ड एक्वायर हो गई और उसके बाद लगातार तारीखें पड़ती रहती हैं और सर्किल रेट जो नियमानुसार है उसके अनुसार मान्यवर एवार्ड घोषित नहीं किया जाता, इसमें भी बहुत बड़ा उत्पीड़न होता है, लोगों की जमीनें चली जाती हैं और उनको वर्षों तक मुआवजा नहीं मिलता है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया नेशनल हाई–वे के चौड़ीकरण के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए दिया गया मान्यवर इस सरकार के पास है उत्तर प्रदेश सरकार के पास और एवार्ड न घोषित होने की वजह से स्थानीय स्तर के ऊपर मुकदमों के फाईनल न होने की वजह से जो कि जिलाधिकारियों को करना है, वह रुपया भी पड़ा है और छः–छः साल आठ–आठ साल से वह सड़क भी रुकी हुई है, बरेली और सीतापुर के बीच का जो मार्ग है, वह इसी का शिकार है, अल्टीमेटली 700 करोड़ रुपया अभी सरकार को बजट के उसका स्टीमेट को रिवाईज करने में और ज्यादा लगा, 2000 करोड़ रुपये का स्टीमेट था पहले अब 2700 करोड़ रुपये का स्टीमेट करना पड़ा, चूंकि जिलाधिकारियों के माध्यम से मान्यवर उसका एवार्ड घोषित नहीं किया गया जो लैण्ड एक्वीजीशन हुआ। मान्यवर, सी0ए0जी0 रिपोर्ट जो है वह हमारे लिए एक प्रकार का आइना है और हमको इसका संज्ञान लेकर जो भी आवश्यक कदम हैं मान्यवर जरूर उठाने चाहिए। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के आधार पर दो बातें जरूर कोड करना चाहता हूं एक आगरा का मान्यवर और एक आजमगढ़ का। आजमगढ़ में 2005 में एक अस्पताल स्वीकृत हुआ और 2005 में 12 करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से वह अस्पताल बना और आज तक स्टाफ न होने की वजह से वह आज तक सुपुर्द नहीं हो पाया, आज तक चालू नहीं हो पाया और इसी प्रकार से आगरा का ट्रामा सेण्टर वर्ष 2008–09 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उस ट्रामा सेण्टर में जो एक्यूपमेण्ट हैं वह अपनी जगह पड़े हुए हैं और वह ट्रामा सेण्टर मान्यवर आज भी चालू नहीं हो पाया है, सरकार को इन बातों का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। मान्यवर, अभी मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में सहाय कमीशन की एक रिपोर्ट आई और सहाय कमीशन ने सतर्कता विभाग को इण्टेलिजेन्स को पूरी तरीके से उसमें दोषी पाया, प्रशासनिक फेल्योवर पाया गया मान्यवर, प्रशासनिक फेल्योवर अधिकारी स्तर पर उन्होंने इंगित किया मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं जब अधिकारी स्तर पर हम किसी को दोषी मानते हैं तो किसी भी सरकार को जिसको अधीन काम कर रहे हैं अधिकारी उसको क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है, कितना बड़ा विरोधाभास है मान्यवर कि हम पूरी तरीके से अधिकारियों की जो जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं और सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है कि किसी भी तरह से ऐसी सरकार को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि जिसके अण्डर में इतने बड़े अधिकारियों को दोषी पाया जाय। वैसे तो अपने आप में यह

रिपोर्ट बहुत ज्यादा विवादित है, लेकिन मान्यवर और उसमें खासतौर से जो दोषी लोग थे मान्यवर, उन लोगों को बचाया भी गया, सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए थी। यह तो बताया गया कि सी0ओ0 ने थानेदार से कहकर वहां पर आठ मुल्जिम, जिन लोगों का नाम नहीं था, उन लोगों को छुड़वाया, लेकिन उस सी0ओ0 को किसने फोन किया, उस सी0ओ0 को किसने निर्देशित किया, किसके इशारे पर उसने यह फोन किया? उसके ऊपर पूरी तरह से रिपोर्ट मौन है। मैं कुल मिलाकर इस बात पर बल देना चाहता हूॅ कि वह एकपक्षीय रिपोर्ट है। इस पर और भी गहनता से छानबीन की जाती और गहराई तक उसमें जाया जाता तो सही मायने में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था लेकिन जो सहाय आयोग के माध्यम से नहीं हुआ। मान्यवर, एक बात अंत में कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूॅ। हम कितने भी संसाधन बढ़ाएं और कितना भी स्टॉक बढ़ाएं, जो परिस्थिति आज चल रही है कि हर ऑफिस में इतनी भीड़ है, हर स्थान पर इतनी भीड़ है। हम सामान्य प्रशासन के तहत एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने चार साल के अपने कार्यकाल में जनसंख्या के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। आज सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए जो बढ़ती हुई जनसंख्या की दर है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर, जो नेता विरोधी दल ने रखा है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की कटौती के प्रस्ताव पर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। पहले मैं सामान्य प्रशासन के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम बराबर कहते आए हैं।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के टोका–टाकी करने पर)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो हमारे पड़ोसी हैं, वह हर मामले में दखल देते हैं। आज सुबह भी इन्हीं की वजह से गलती हुई है। इसी तरह की जो इनकी यह पूरी लाइन है, वह बड़ी खतरनाक है।

श्री अध्यक्ष–

आप उनको नजरअंदाज कर दीजिए। डॉ0 साहब, आप पहले उनको डिस्टर्ब करते हैं, बाद में उनकी कही हुई बातों को लेकर वेल में आ जाते हैं। उनको बोलने दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि यदि आप सामान्य प्रशासन की बात करें, तो हालात बद् से बद्तर होते जा रहे हैं। सरकार सम्भालने की चाहे कितनी कोशिश कर ले परन्तु हालात लालफीताशाही की इस कदर बढ़ चुकी है कि व्यवस्थित प्रशासन चल ही नहीं रहा है। यदि आप इस विधान सभा की बात करें, तो सत्तापक्ष की बात तो आप छोड़ दीजिए, इस तरफ की बात करें, यदि हम लोग किसी अधिकारी को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाते हैं। यदि प्रमुख सचिव से बात करने की कोशिश करते हैं, तो वह कहते हैं कि नोट करा दीजिए। उनका फोन कॉल बैक नहीं आता। हालात यह है कि मंत्रियों से तो बात हो जाती है परन्तु अधिकारियों से बात होना असम्भव है। यदि कोई काम की बात आप नोट भी करांए, तो वह काम नहीं होता है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी एक बार को चाहते हैं कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए विधायकों का काम हो, वह आदेशित भी करते हैं, परन्तु उनके आदेशों को या तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि यदि वह आदेश दें तो उनका उल्टा लिखा जाये पर वह सीधा नहीं लिखा जाता। यदि मुख्य मंत्री कहते हैं कि इस कार्य को कराईये तो उस पर आख्या मांग ली जाती है। यदि यह कहा जाता है कि इस काम को कर के बता दीजिए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पत्रावली तलब कर ली जाती है। मान्यवर, एक बात बताईये कि हम तो इतने समय से विभिन्न सरकारों में मुख्य मंत्री देखते आए हैं, मुख्य मंत्री की निकली हुई आवाज को आदेश माना जाता है परन्तु इस सरकार में वह होता नजर नहीं आ रहा है। जिसका कारण यह होता है कि सभी विधायक खुशी–खुशी तो मुख्य मंत्री जी से मिलते हैं और वह महसूस करते हैं कि सारे काम हो रहे हैं। मुख्य मंत्री ने यह–यह आदेश कर दिया परन्तु जब वह विधायक प्रकोष्ठ में जा कर देखते हैं, तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। यह हालत होती है और यह प्रैक्टिकल बात है, यह सभी के साथ बीतती है। आप विधायक प्रकोष्ठ का हाल देख लीजिए। आज दिया हुआ लेटर डेढ़–डेढ़ महीने तक विभागों में नहीं जाता। आप क्या उम्मीद करेंगे कि वह राहत उस क्षेत्र के व्यक्ति को, जिसके लिए हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से आदेश कराया है, जब वह डेढ़ महीने तक सम्बन्धित विभाग तक नहीं पहुंचेगा तो क्या राहत मिलेगी ? यदि किसी ने कोई जांच बदलवायी है, तो वह जांच कैसे बदली हुई मानी जायेगी ? हालात बहुत सुधरे नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी युवा हैं और काम करने की सोच सकते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि यह मशीनरी ही मुख्य मंत्री जी को इन चार सालों से फेल करने में लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से आप यदि देखें तो आपको यह सब कार्यप्रणाली बदलने के सामान्य प्रशासन में बहुत सारी तब्दीलियां करनी होंगी और एक सिस्टम ऐसा क्रीयेट करना होगा।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जियाउद्दीन रिजवी पीठासीन हुए)

कि मुख्य मंत्री का निकला हुआ आदेश बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह अनुपालित हो और उनका काम हो। इसके अलावा, आप और तमाम व्यवस्थाएं देख लीजिए। चाहे स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे जो अभी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आई है उसमें देखिए कि तमाम फर्क है इंगित किए गए विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली में। दिया

गया पैसा प्रॉपरली खर्च नहीं होता, समयबद्ध तरीके से वह व्यवस्थाएं बन नहीं पातीं, बिल्डिंग्स बन नहीं पातीं। एक उदाहरण नहीं सैकड़ों उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं कि जब शुरुआती दौर में सरकार शुरू हुई थी जो कार्य–कलाप होना था तो आज तक वे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, काम अधूरे पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर केन्द्र पोषित योजनाओं की बात करें चाहे वह यू0पी0ए0 की सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, इस प्रदेश सरकार में डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) जिसकी आवश्यकता होती है जिसको प्रेषित करने के बाद धन आवंटित होता है डी0पी0आर0 बनाने के लिए कोई टेक्निकल नोडल एजेंसी नहीं है। आप बाहर के कन्सलटेण्ट हायर करते हैं, वे जैसी भी डी0पी0आर0 बना के ले जाएं, उस डी0पी0आर0 को समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। जिसके आधार पर बजट एलोकेट होते हैं जिसके आधार पर सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार से आता है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन स्कीम में उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से पैसा इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि प्रदेश सरकार से प्रॉपर डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सम्बन्धित योजनाओं की केन्द्र सरकार को भेजी ही नहीं गईं। यदि भेजी भी गईं तो उनको तथ्यात्मक डी0पी0आर0 नहीं दी गईं जिसके कारण वह पैसा नहीं आ पाया और एक–एक शरह की जो बड़ी–बड़ी योजनाएं थीं वह योजनाएं अधूरी रह गईं और जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन का जो सपना हमारी यू0पी0ए0 सरकार ने देखा था वह उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो गया। इसी तरह से वर्तमान सरकार जो केन्द्र की है उनकी तमाम स्कीम्स हैं तो उनकी स्कीम्स की अगर यहां से डी0पी0आर0 बनकर नहीं गईं, चाहे वह नगर विकास विभाग की हों, चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 की हों, चाहे अन्य विभागों की हों, यदि वे डी0पी0आर0 बनाकर नहीं भेजी गईं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इनके, सबके आदरणीय प्रधानमंत्री कहते रहें कि हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, पर जब तक उत्तर प्रदेश सरकार से डी0पी0आर0 बनकर नहीं जाएंगी, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं होगा तब तक केन्द्र सरकार से कोई पैसा नहीं आने वाला। चाहे आप इनके ऊपर तोहमत लगाएं, चाहे ये आपके ऊपर तोहमत लगाएं। बेसिक टेक्निकल प्रॉब्लम वही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर यदि आप दक्षिण भारतीय प्रदेशों में जाएं तो वहां पर बिल्कुल टेक्निकल व्यवस्था है। वहां के जो डिपार्टमेण्ट्स हैं वे एडवांस में ही ये देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि केन्द्र सरकार की अभिरुचि किस तरह की योजनाओं में है और उसकी डी0पी0आर0 को बनाकर भेजते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग, दक्षिण भारतीय प्रदेश केन्द्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा पैसा ले आते हैं। ये सारी की सारी सामान्य प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही का मामला है। जो आपकी अफसरशाही, सामान्य प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं तो यदि आप देखें कि वह प्रोटोकॉल भी आपके जिलास्तरीय अधिकारी नहीं मानते हैं, न ही देखते हैं। आप बोलते रहिए, कहते रहिए, आप कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए वहां कोई सुनवाई नहीं है। हम विधान सभा में कितना ही बोलकर चले जाएं, वहां तक तो पहुंचती ही नहीं है जबकि आपकी जो इकाई है, वह जिला इकाई है और फिर हम लोगों के विधान सभा क्षेत्र हैं। हम लोग यहां पर

कितना ही बोलें, कितना ही जोर लगाएं, कितने ही भाषण दें, कितना भी विरोध करें, कितनी ही बार वेल में जाएं, मुख्य मंत्री जी समर्थन भी करेंगे, सम्बन्धित मंत्री जी समर्थन भी करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी वही ढाक के तीन पात और क्षेत्रों में कोई काम नहीं होते। ये जो सारी की सारी कमजोरी है, सामान्य प्रशासन की कमजोरी है, ये सामान्य प्रशासन की ढील है यदि यहां से लगाम कसी जाएगी तब वे काम ठीक से हो पाएंगे और तब ही सुचारु रूप से व्यवस्थाएं चल पाएंगी। मा0 अधिष्ठाता जी, बोलने को तो सामान्य प्रशासन पर बहुत है पर समय की प्रतिबन्धता है। अब मैं कानून–व्यवस्था के बारे में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, लोक दल के लोग और हम सब लोग बहुत बोल चुके हैं। कानून–व्यवस्था का पुरसा हाल है और आप हालात देखें कि पुलिस राज चल रहा है प्रदेश में, जिसे दरोगा राज कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि सरकार की खूबियों की बात की जाए तो एक लम्बी फेहरिस्त खूबियों की है, परन्तु उन खूबियों का बन्टाधार दरोगा राज कर रहा है। आज स्थिति यह है कि कानून–व्यवस्था ग्रासरूट लेवल पर इतनी छिन्न–भिन्न है कि आम आदमी को कोई भी राहत नहीं है। आम आदमी डरा रहता है आम आदमी को अपने घर से निकलना मुश्किल है, व्यापारी को दुकान तक पहुंचना मुश्किल है और यहॉ तक की बैंक और ए0टी0एम0 भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। आज महिला दिवस है और महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, 1090 हेल्पलाइन की बात करते हैं। आप यदि पूरी फेहरिस्त उठाकर देखें कि प्रदेश में कितने बलात्कार हुए, कितनी महिलाओं की और बच्चियों की आबरू लूटी गईं और कितने पूरे प्रदेश में इस देश के आंकड़ों में यदि हम अव्वल नंबर पर आते हैं तो इस मामले में प्रदेश अव्वल नंबर पर आता हैं और इन सब को करने के बावजूद उस कुर्सी पर बैठे मुख्य मंत्री जी जो मेहनत करते हैं और जो सपना संजोते हैं, वह सब बराबर हो जाता है। लोग कहते हैं कि सरकार वापिस आ रही है। आप मैदान में जाकर देखिए ना यह कानून–व्यवस्था ही माइनस प्वाइंट बनेगा और कोई माइनस प्वाइंट बनने वाला नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं सरकार की कारगुजारियों में कोई कमी नहीं बता रहा हूं, कानून–व्यवस्था की कमी बता रहा हूं कि यदि कानून–व्यवस्था आपने सही कर ली तो आप सोच सकते हैं लेकिन जब चार साल निकल गए तो पॉचवें साल में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। दरोगाओं की स्थिति यह है, एस0ओज् की स्थिति यह है कि वह अपने एस0एस0पी0 का कहना नहीं मानते, वह डी0आई0जी0 का कहना नहीं मानते, वह डी0जी0पी0 का कहना नहीं मानते। वह सब दरोगा, सब एस0ओज् एक सेन्टर प्वाइंट से बंधे हुए हैं, जिसे कहते हैं कि हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं और हस्तिनापुर के अलग–अलग पॉवर सेन्टर हैं और स्थिति यह है कि जब कभी आप उस दरोगा को हटाने की बात करेंगे, ऊपर से फोन आ जायेगा, डी0जी0पी0 की हिम्मत नहीं है। प्रमुख सचिव गृह की हिम्मत नहीं है कि उसे हटा दें।

(सत्तापक्ष से गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि आवाजें आईं)

श्री प्रदीप माथुर–

सही बोल रहे हैं आपका मामला ठीक है, इधर की बात चल रही है। हालात यह हो गए है कि थाने में इंस्पेक्शन हो रहा है और सिपाही मंजन कर रहा है। एस0ओ0 कह रहा है कि अरे भाई डी0आई0जी0 साहब का इंस्पेक्शन है भाई, क्या कर रहे हो तुम धोती पहने थाने के अंदर घूम रहे हो और मंजन कर रहे हो। 'अरे भाई, इस डी0आई0जी0 को हमीं ने बनाया है, आने दो क्या इंस्पेक्शन करेगा वो।' हालात इतने खराब हो गए है। हालात इतने खराब हैं कि सिपाही, एस0ओ0 को कुछ नहीं समझ रहा है, डी0आई0जी0 को कुछ नहीं समझ रहा है तो आप क्या उम्मीद करते हैं, कानून–व्यवस्था ठीक होगी। एक लंबी लिस्ट है आंकड़ों की यदि उस पर जाएं तो आप देखेंगे कि गुण्डे निर्भय होकर अपराध कर रहे हैं। आज जनपदों में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों में आज एक ही पार्टी का वर्चस्व है और उन्हीं का कहना माना जाता है और किसी का कहना नहीं माना जाता है। एफ0आई0आर0 के लिए हम अपने जनपद की तो बात कर सकते हैं। एफ0आई0आर0 लॉज कराने के लिए पैसा दीजिए, नाम निकलवाने के लिए पैसा दीजिए, तफ्तीश बदलवाने के लिए पैसा दीजिए, सब कुछ खुले आम पैसा–ही–पैसा एक व्यवस्था बन गई है। हालात यह हो गई है फिर मौका मिले न मिले आपके संरक्षण में पुलिस काम कर ही है तो ''पैसा लूट सके तो लूट अंत काल पछतायेगा जब प्राण जाएंगें छूट'' तो स्थिति इतनी गंभीर है। हम लोग खुद चिन्तित हैं कि प्रदेश कानून–व्यवस्था के मामले में किधर जा रहा है। आपने देखा पंचायतीराज चुनाव में किस तरह गुण्डागर्दी हुई, किस तरह से दबंगों और गुण्डों का राज रहा। माफियाओं का बोलबाला रहा, इसी तरह आप देखिए डकैतियां पड़ती हैं, चोरियां होती हैं, रिटायर्ड बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके सिर कुचल दिये जाते हैं, उनकी हत्यायें कर दी जाती हैं। यदि राजधानी की बात लें आप तो राजधानी में जो कि सरकार की नाक के नीचे की बात है, तो वहीं पर कितने अपहरण, कितने बलात्कार, कितनी नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी हुई है। लखनऊ में ही वर्ष 2015–16 में डकैती की लगभग 26 घटनाएं, हत्या की 175 घटनायें, लूट की 115 घटनाएं, वाहन चोरी की 2565 घटनाएं और घरों में चोरी की 3792 घटनाएं, रेप की 153 घटनाएं हुई हैं जो कि 2013 के मुकाबले दोगुनी बढ़ी हैं और इसी तरह महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए 1090 नंबर भी फेल हो गया है। आप देखिए सचिवालय में ही एक महिला ने आत्महत्या कर ली, 1090 नंबर का इस्तेमाल नहीं हो पाया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, जहां 1090 फेल हो रहा है। इसी तरह 100 नंबर की बात की जाती है, 100 नंबर पर भी पुलिस नहीं पहुंचती। अभी कल ही वृन्दावन में 100 पर मिलाते रहे, गुण्डे महिलाओं के साथ छेड़खानी करते रहे और एक धर्मशाला पर कब्जे का मामला था उस धर्मशाले पर गुण्डे–बद्माशों ने कब्जा कर लिया और पुलिस नही आई इसका मतलब यह है कि पुलिस मिली हुई है। पुलिस का कानून–व्यवस्था पर नियंत्रण नही रह गया है। चाहे एस0एस0पी0 हो, चाहे सी0ओ0 हो, चाहे थानेदार हो सब लूटने मे लगे हुए हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनप्रतिनिधियों की आवाज को भी नही सुना जाता ऐसे ईधर से उधर कर देते हैं सत्ता पक्ष की बात कुछ भी हो सकती है और सरकार के इशारे पर पुलिस भी एकपक्षीय कार्रवाई कर रही है और सब की बातें नही

सुनी जा रही हैं। यदि आप देखें कि हमारे सन्त प्रतिकार यात्रा में हमारे एम0एल0ए0 अजय राय को बन्द कर दिया जाता है और दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन देखिये कि किस तरह सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। रमाशंकर कथेरिया ऐसे अनर्गल ब्यानबाजी करता है और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नही होती और हमारे विधायक अजय राय को प्रतिकार यात्रा मे पीछे चल रहे होते, उनको बन्द कर दिया जाता है। हम लोगों ने कितनी बार कहा उनके ऊपर से रासुका नही हटाया जाता है केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय एक लम्बी फहरिश्त है कानून–व्यवस्था के बारे में हम क्या बोले और इतना बड़ा बजट है आप उसकी बात करते हैं, रिफार्म्स की बात करते हैं कि हम हाईटैक कैमरा लगा रहे हैं, आप हाईटैक सिस्टम महिलाओं को बचाने के लिए कर रहे हैं आप पुलिस कन्ट्रोल के लिए व्यवस्थायें कर रहे हैं और आप नई–नई टैक्नालाजी ला रहे हैं। वो नई टेक्नोलाजी कब काम आयेंगी। कैसे काम आयेंगी कैसे उनकी व्यवस्था होगी। जब तक आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, महिला को, उद्यमि को, उद्योगपति को और राजनीतिज्ञों से भी दुश्मनी निकाली जाती है तो इन सबकी व्यवस्थाओं का, हाई टैक्नालाजी का फायदा हम सबको नही होगा, समाज को नही होगा तो कानून व्यवस्था कन्ट्रोल मे नही आने वाली है और अभी भी 6–7 महीने बचे हैं। यदि इसमे भी चाबुक स्ट्रांग कर ले और व्यवस्था को ठीक करने की बात करे पर वह लगता है कि इतना आसान नही हैं क्योकि मामला हाथ से निकल चुका है, व्यवस्थायें बेकाबू हो चुकीं हैं। इसलिए कानून व्यवस्था के मामले मे इतना भारी भरकम बजट मैं समझता हूं कि वह भी इसी तरह लुट जायेगा और किसी को राहत मिलने वाली नही है। मै नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखे हुए कटमोशन प्रस्ताव पर बल देता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि चुनाव का समय निकट आ रहा है और उत्तर प्रदेश मे आपने देखा कि जब पार्लियामेन्ट के इलेक्शन थे तो इस तरह का माहौल बनाया गया था प्रदेश में कि दंगे हो जायें और दंगे हुए तो इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश मे भाजपा के 73 सांसद आ गये।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डे)–

आपने तो गुमराह कर दिया।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय अब फिर वही माहौल बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और भाजपा और उसके जितने भी संगठन हैं, उसी तरह दंगे का माहौल बना रहे हैं और सरकार को सजग रहना पड़ेगा ये फिर दंगा करायेंगें और फिर ध्रुवीकरण की बात करेंगे। इसलिए सरकार को बहुत आवश्यकता है कि सरकार सजग रहे और इनके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कड़ी नजर रखे जिससे कि सारी की सारी व्यवस्थायें चौकस रहे और उत्तर प्रदेश दंगे की चपेट से बच सके यह तभी सम्भव होगा जब प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त होगी और प्रदेश सरकार सख्ती से साम्प्रदायिक तत्वों से, अराजक तत्वों से और दंगाई लोगों से निपटेगी।

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैने सदन मे कोई भी बात जरा सी भी कड़वी नही की जिन्दगी मे न ही दिल्ली मे। अनजाने मे उन्होंने कह दिया कि तलवार भेंट की गयी और तलवार के लिए लाइसेन्स नहीं, मै बाहर गया क्यूंकि मैं नही चाहता कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और इतना महत्वपूर्ण सदन, इसमे कही बात अमरीका तक सिक्खों मे ईधर–उधर चर्चा मे आ जाये। आपने (बी0जे0पी0 नेता) अनजाने मे कही, मैंने लान्छन नही लगाया। मैंने अभी अमृतसर फोन किया अमृतसर से पूछा क्या है तो कहा यह जो हमने मुख्य मंत्री जी को तलवार या कृपाण भेंट की साथ सरोपा भेंट किया अकेली नहीं। वह सरोपा है वह कभी अडवानी जी को, कभी वाजपेयी जी को कभी देवगौड़ा जी को सभी को दिया। यह निशानी सत्कार, इज्जत, सम्मान इसलिए है कि जिस व्यक्ति को हम यह सम्मान दे रहे हैं पूरे सिक्ख कौम को, गुरू घर को उन पर इतना भरोसा है कि वह संस्कृति, समाज की सुरक्षा और सिक्ख धर्म का मान–सम्मान, उसको बढ़ायेंगे उनके हाथों में सुरक्षित है। (मेजों की थपथपाहट)

यह नीरी मीरी मैं बी0जे0पी0 के साथियों को कहता हं जब 3600 लड़कियों को लेकर गजनी जा रहा था तो नीरी पीरी के नाम पर हमला किया गया 3600 बेटियों को बचाकर वापस सोमनाथ भेजा गया, यह वही है। अब आखिर में मुख्य मंत्री जी ने तो कमाल कर दिया हमने सरोपा दिया उसके कुछ दिन बाद ही बरियाम सिंह नाम का एक बन्दी सरदार जी 26 वर्ष से जेल में निर्दोष बन्द था और तीन दफा यूएनए के आगे सिक्खों ने प्रदर्शन किया, 5 दफा कनाडा की एम्बेसी के आगे प्रदर्शन किया कि छोड़ो, दिल्ली असेम्बली के सामने प्रदर्शन किया आज मुख्य मंत्री जी ने 26 साल के बाद 5 मिनट में बरियाम सिंह को छोड़ा, दुनिया भर में सिख लोग वन्दना गा रहे हैं और अखिलेश जिन्दाबाद अखिलेश जिन्दाबाद हो रही है। यही मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने यह शब्द अनजाने में कहे हैं यह मैंने स्पष्ट किया है। धन्यवाद।

(श्री दलवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

'श्री मनोज कुमार–

मान्यवर, ऐसे तमाम लोगों को सम्मानस्वरूप सरोपा भेंट किया गया कहीं कहीं कृपाण भी दिया गया लेकिन आज माननीय नेता भाजपा ने सिख समाज के जिस सम्मान पर ऊंगली उठाई है हम समझते हैं कि पूरे देश का सिख समाज कहीं न कहीं आज इससे आहत हुआ है। कहीं न कहीं पूरे देश का सिख समाज इससे आहत हुआ है और पूरे देश के सिख समाज से नेता भाजपा को आज माफी मांगनी चाहिए। यह बात केवल माननीय मुख्य मंत्री जी को सरोपा भेंट करने की नहीं हैं पूरे देश में यह परम्पराएं रही हैं। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सरोपा भेंट किया गया कृपाण भेंट किया गया, मनमोहन सिंह जी को भेंट किया गया, यह सरोपा राजीव गांधी जी को भेंट किया गया। देश के अभी गृह मंत्री को यह सरोपा भेंट किया गया, देश के प्रधानमंत्री को भी भेंट किया गया और आज एक घटना को माननीय मुख्य मंत्री जी से जोड़कर करके

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जिस तरीके से देश के पूरे सिख समाज की भावनाओं का उनके आदर और देश की संस्कृति और सभ्यता पर चोट की गयी है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपनी यह बात वापस लेनी चाहिए। इससे कहीं न कहीं पूरे देश के सिख समाज के लोग आहत होंगे और पूरे देश में नहीं जैसा कि हमारे माननीय कारागार मंत्री जी ने कहा इसका संदेश देश के बाहर के मुल्कों में अमेरिका जैसे देशों में जायेगा जहां बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग रहते हैं इसलिए मैं सदन से, अधिष्ठाता महोदय आपसे यह आग्रह करूंगा कि नेता भाजपा अपने इस शब्द को वापस लेने का काम करें और सिख समाज से माफी मांगने का काम करें।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

श्री दलबीर सिंह–

आपने श्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं नेता प्रतिपक्ष के कटौती के सवाल पर मैं उनका माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अभी हाऊस में था नहीं, मेरे पीछे एक बात कही गई। मैं सिख समाज का पूर्ण आदर करता हूं और हमारे पूर्वज और हम जिस समाज से आते हैं, वह कहीं न कहीं एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसलिये कोई अपमान का सवाल नहीं पैदा होता है। पूरा आदर है सिख समाज का, पूरा आदर है इस पीठ का है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा विरोध करने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग बैठ जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता, भाजपा से आग्रह करूंगा क्योंकि यह पूरा मामला पूरे देश के सिख समाज से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं इससे पूरे देश के सिख समाज की भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचेगी। नेता, भाजपा ने सिख समाज के सम्मान एवं स्वाभिमान पर उंगली उठाई है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह सवाल इसलिये उठाया, क्योंकि अभी तक जो सरोपा प्राप्त करते हैं उनके लिए नियमावली नहीं है। मैंने इसलिये उठाया ताकि कानून में सुधार हो जाये। किसी का अपमान करने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने कहा न कि मैं सिख समाज का पूरा सम्मान करता हूं और जो कानून में खामी है, जो कानून में कमी है वह दूर होनी चाहिये और कानून में संशोधन होना चाहिये।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्मान समारोह में सरोपा सिख समाज द्वारा सबको दिया जाता है, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसे यह न दिया गया हो। नेता, भारतीय जनता पार्टी ने सिख समाज का अपमान करने का काम किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस देश में त्रिशूल भेंट किये जाते हैं। क्या त्रिशूल भेंट करते समय लाइसेन्स दिये गये और लाइसेन्स लिये गये और अगर नहीं लिये गये तो आज केवल अकेले सिख समाज पर यह मामला उठाना पूरे देश के सिख समाज का अपमान है। देश के सिख समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जब त्रिशूल पर यह मामला नहीं उठा और पूरे देश में त्रिशूल बांटे गये, तो यह क्या पूरा देश नहीं जानता है कि कौन लोगों ने त्रिशूल दिये हैं, किन लोगों ने त्रिशूल भेंट किये हैं। उस पर जब उंगली नहीं उठी है, तो फिर सिख समाज पर क्यों ? जो चीजें केवल सम्मान के रूप में दी जाती हैं और जिनसे समाज को कोई नुकसान नहीं होता है, उस पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिये। यह मामला गंभीर है, देश में रहने वाली बहादुर कौम जिसने देश के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, उस पर प्रहार है। जिसने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस समाज के लोगों को आज देश में अपमानित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि नेता भारतीय जनता पार्टी अपने शब्द वापस लें।

(शोर के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात की यहां पर गलत व्याख्या की जा रही है। मैंने कहा न कि सिख समाज के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, फिर इस तरह की बात करके यह सत्तापक्ष के लोग स्वयं ही सिख समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा फिर से अनुरोध है कि कानून में सुधार होना चाहिये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन में इस पर चर्चा हो। यह देश के सिख समाज के लोगों का कहीं न कहीं अपमान है, उनके सम्मान की खिल्ली उड़ाई गई है। यह ठीक नहीं है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सदन को अभी इस पर निन्दा प्रस्ताव पारित करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

श्री शंखलाल मांझी जी, पहाड़िया जी, खन्ना जी आप लोग अब बैठ जाये। माननीय सदस्यगण, कृपया शान्त रहें। माननीय दलवीर सिंह जी, अब आप बोलिये।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आपको नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा तथा नेता कांग्रेस के विचारों के साथ सम्बद्ध करते हुए दो–चार बातें कानून व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, बड़े विस्तार से नेता, कांग्रेस माथुर साहब और नेता, भाजपा श्री खन्ना साहब ने पूरे प्रदेश की गंभीर घटनाओं पर प्रकाश डाला है, क्योंकि नेतागण सारी बातें कह चुके हैं, इसलिये मैं उन पर पुनः नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश की कानून व्यवस्था तब तक ठीक नहीं की जा सकती, जब तक इस प्रदेश के चार भाग नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सरकार प्रस्ताव करे। इस प्रदेश के जब तक चार भाग नहीं होंगे, तब तक यहां की कानून–व्यवस्था सहीं नहीं की जा सकती है। चोरी, डकैती, बलात्कार के आंकड़े हमारे साथियों ने विस्तार से दिये हैं और इस प्रदेश में एक नया अपराध इजाद हुआ है। पहले मवेशियों की चोरी हुआ करती थी नकाब लगाकर, दीवार काट करके, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसकी चोरी नहीं, डकैती होती है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कानून–व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है वह मवेशियों की चोरी नहीं, डकैती हो रही है। पुलिस कतई विफल है दरोगा और सिपाहियों के ऊपर मवेशी चोर ट्रक तक चढ़ा देते हैं, मुकदमें कायम नहीं हो पाते हैं और मवेशी चुराने के लिये किसानों को गोली तक मार दी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह हाल है। कानून–व्यवस्था के संबंध में अलीगढ़ के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान से गाय, बैल, भैंस इनकी इतनी बड़ी तस्करी हो रही है, सीमा से रिश्वत लेकर चाहे हमारे यहां की पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान की पुलिस हो, दोनों मिलकर मवेशियों का प्रवेश कराते हैं और उन सबका रास्ता अलीगढ़ से होकर जाता है। जब अलीगढ़ से होकर यह रास्ता जाता है तो वहां हमारे सभी लोग बैठे रहते हैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल वाले यह तो केवल इन्हें यही क्रेडिट मिलता है कि आज उन्होंने यह बैलों की गाड़ी पकड़ ली, आज भैंसो की गाड़ी पकड़ ली अगर यह प्रतिबंध सीमा पर लगा दिया जाय तो यह जितनी भी चोरी और अपराध हो रहे हैं तो यह अपराध रुक जायेंगे। मान्यवर, अलीगढ़ बहुत संवेदनशील शहर है और अलीगढ़ की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मवेशियों की चोरी और कट्टी रोकने के लिये सबसे ज्यादा बार्डर पर प्रतिबंध लगाया जाय। हरदुआगंज थाने में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी भयंकर घटना हुयी। निर्भया कांड जैसा हुआ और लड़की के साथ रेप ही नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या तक हुयी। इसके विरोध में पूरा जनपद बंद हो गया, पूरा जनपद हड़ताल पर चला गया और घोषणा यह की गयी कि उस लड़की के परिवार वालों को 10 लाख रुपया रानी

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

लक्ष्मीबाई योजना के तहत दिया जायेगा लेकिन आज तक कोई पैसा इस योजना के तहत नहीं दिया गया। अधिष्ठाता महोदय, कई जगह थानों की कमी है घोषणा की गयी चौकियां और थाने बनाने के लिये। मेरे क्षेत्र में गौरा थाने के लिये घोषणा की गयी, आश्वासन भी बना, एक हजार रुपये टोकन मनी के रूप में जारी भी हुआ लेकिन उसके आगे कोई प्राविजन इस बजट में नहीं हुआ और न इस गौरा थाने के लिये अभी तक सरकार का कोई कार्यक्रम ही चला है। अभी हमारे यहां छात्र यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे हमारे डी0एस0 कालेज के छात्र, उन पर लाठीचार्ज हुआ। वह मांग इसलिये कर रहे थे कि उन्हें आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन छात्रों के ऊपर जितने भी मुकदमें कायम हुये हैं, इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान समय–समय पर गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर हेजीटेशन करते रहते हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद अलीगढ़, मथुरा, आगरा के बहुत से किसानों पर इस तरह के मुकदमें लगे हैं एक साल इस सरकार के रह गये हैं, चार साल इनके व्यतीत हो गये, वाहवाही लूटने के लिये कम से कम इन किसानों और छात्रों के केस वापस करे। हमारे अलीगढ़ मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर के डायमीटर में नेशनल हाई–वे से जुड़ा हुआ है और वेस्टर्न यू0पी0 में इतना हाईफाई अपराध है, ए0के0–47, ए0के0–56 और बड़ी आधुनिक गाड़ियों से लैस होकर अपराध हो रहे हैं मैंने कई बार आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया है कि एन0एच0–91, यमुना एक्सप्रेस–वे, दिल्ली–मेरठ, मोदीनगर जितने भी नेशनल हाई–वे हैं मेरे ख्याल से हरियाणा की सरकार ने व्यवस्था की है पेट्रोल कार इतनी जबरदस्त मजबूत नई आधुनिक तकनीक से लैस दी है उसी तरह बढ़िया गाड़ियों की व्यवस्था की जाय जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके। अभी आगरा के दम्पत्ति की लूट हुयी है यमुना एक्सप्रेस–वे पर, हमारी पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी वह अपराधियों को चेज नहीं कर सकी और पुलिस असफल हुयी और एक जो विदेश से यात्री आया था, उसकी भी लूट हो गयी। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप यह सरकार को अवगत करावें, जहां तक स्टेनगनों का सवाल है हमारे साथी अलीगढ़ के विधायक शायद समाजवादी पार्टी के हैं, माननीय अधिष्ठाता जी, बड़ा इन्ट्रस्टिंग किस्सा है, उनकी स्टेनगन फेल हो गयी वह बाकायदा फूलों की डोली बनाकर स्टेनगन रखकर हमारे कप्तान को भेंट करने गये और कहा कि आप इसे लो, यह चलती नहीं है, फेल हो गयी। एम0एल0ए0 हमारे चोरों से लड़ाई लड़ रहे थे स्टेनगन वाला जो साथ में गनर था उसने फायर किया वह चली ही नहीं। अभी कल ही की घटना है अलीगढ़ में एक आदमी को फंसा ले गई, जिसके साथ गनर लगा था उस गनर से यह कहा गया, वह स्टेनगन चोरी दिखाई और एक घण्टे में एफ0आई0आर0 भी हो गई थाने में और वह बरामद भी हो गई। स्टेनगनों का प्रयोग, आरक्षियों का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है, स्टेनगन की हालत यह है कि वह चल नहीं रही है। माथुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार के कार्यक्रम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, समाजवादी पेंशन, सड़क और तमाम योजनाएं चल रही है, यह सरकार अगर फेल होगी तो केवल पुलिस की वजह से होगी और इनकी ही वह पुलिस है और इनके ही लोग पूरे

प्रदेश में इनको फेल कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी में या उनके कार्यक्रमों में कोई दोष नहीं है, वह सारे कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने थानों को सही नहीं किया, जो कि बुरी तरीके से लूट में लगे हुए हैं, सरकार को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर इन्होंने यह काम नहीं रोका तो निश्चित रूप से अगर सरकार फेल होगी, हारेगी तो केवल पुलिस के कारण और इनके ही लोगों के कारण जो थानों में बैठ कर धड़ल्ले से बिना किसी खौफ के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। अभी हमारे यहां एक थाना है मल्लाका, चौकी है, उस चौकी पर एक सिपाही को तीन बार ससपेंड किया गया है, उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 की, उसने इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया इंस्पेक्टर बेचारा देखता का देखता रह गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानून–व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमेशा खराब रहती है, दूसरी सरकारों में भी रहती है। उपाध्याय जी बैठे हैं, इनकी भी सरकार में खराब थी, इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, बहन जी के बारे में तो पूरा देश जानता है कि जब–जब वह मुख्य मंत्री बनी हैं तो कानून–व्यवस्था बहुत अच्छी रही है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इन शेष बचे हुए दिनों में जोर दें, जिन्होंने इन चार सालों में जो लूटपाट कर ली उनसे हाथ जोड़ करके कह दें कि अब भाई इसको छोड़ दो कम से कम एक साल तो सरकार को सही सलामत चलवा दो जिससे कि हम समाज में जा करके किसी से कुछ कह सकें। इसके साथ ही जितने ये केस थे एन0एच0–91 और यमुना एक्सप्रेस–वे के सम्बन्ध में मैंने कहा था, अगर अधिकारी कहीं सुन रहे हों तो मैं सरकार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतना हाई–फाई क्राइम हो रहा है, ए0के0 47, ए0के0 56 और बढ़िया गाड़ियों से लैस हो करके, 50–50 लाख की गाड़ियों से लैस हो करके अपराध कर रहे हैं इसलिए आप एन0एच0–91 और यमुना एक्सप्रेस–वे और साथ ही जितनी भी हाई–फाई रोड्स हैं इनमें अच्छी पेट्रोल कार मजबूती के साथ भिजवा दें जिससे कि क्राइम को कन्ट्रोल किया जा सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जनसंख्या के आधार पर यह सबसे बड़ा प्रदेश है और जहां तक अभी नेता, विपक्ष और अन्य नेतागण बोल रहे थे, जो भी चर्चा मा0 नेता विपक्ष ने की वह पिछले दो साल में जो घटनाएं घटीं या साल भर पहले जो घटनाएं घटीं, उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया, यह इस बात का सबूत है कि मा0

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मुख्य मंत्री जी कानून–व्यवस्था के मामले में बहुत सख्त हैं बहुत अच्छे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकारें हैं मैं क्राइम के मामले में आंकड़े नहीं मिलाना चाहता लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में पन्द्रहवें नम्बर पर है। कहां थी भारतीय जनता पार्टी जब पुणे के अन्दर 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो बहुत लॉ एण्ड आर्डर के सवाल पर बोल रही है, जेलों के अन्दर इंजीनियर और डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। अभी नेता लोकदल ने कहा..

श्री प्रदीप चौधरी–

आपकी साइकिल चोरी हो गयी थी वो मिली या नहीं ?

(ब0स0पा0 के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत हो जाईये। मा0 सदस्य, पीठ की तरफ देखिये।

श्री जाहिद बेग–

अभी नेता लोकदल ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी से बेहतर समाजवादी पार्टी की कानून–व्यवस्था है उस पर प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने मुहर लगायी है जो इस बात का सबूत है कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। अभी नेता विरोधी दल ख ग ग ग , उत्पीड़न के सवाल पर आंकड़े दे रहे थे। उन्होंने 2014 का ख ग ग ग , उत्पीड़न का आंकड़ा बताया 8066, मैं बताना चाहता हूं कि 2009 में 11 हजार ख्ा ग ग , का उत्पीड़न हुआ है, 2011 में 12 हजार ख ग ग ग , का उत्पीड़न हुआ है और 2013 में 13 हजार ख ग ग ग , का उत्पीड़न हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं, जब आपकी सरकार थी तो आपने ख ग ग ग , उत्पीड़न किया। इस बात का प्रमाण है कि आज समाजवादी पार्टी के मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह अससंदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

(ब0स0पा0 के कई सदस्यों द्वारा एक साथ टोकाटाकी करने पर शोर)

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, इनके नेता का जन्म दिन जब आता था तो उनके जन्म दिन पर अधिकारियों से, व्यापारियों से, पार्टी के लोगों से चंदे की उगाही होती थी। ऐसा किसी प्रदेश में नहीं होता था लेकिन इनके नेता का जब जन्मदिन आता था तो जबरदस्ती चंदा

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

लिया जाता था। लेकिन हमारे नेता का जन्मदिन कब आता है किसी को पता नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता–

जाहिद बेग जी अब समाप्त करिये।

श्री जाहिद बेग–

भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस के राजनीतिकरण की बात कही है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ पुलिस के अन्दर जो सबसे बड़ा पद डी0जी0पी0 का होता है, सैनिकों में थलसेना अध्यक्ष का पद बड़ा होता है और जो इंटेलीजेंस के सबसे बड़े पद पर होता है उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। श्रीशचन्द्र दीक्षित जो डी0जी0पी0 थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। मेरा सुझाव है कि देश और प्रदेश दोनों स्तरों पर पुलिस, सैनिक, इन्टेलीजेंस विभाग के लोगों को राजनीति में आने का अधिकार नहीं होना चाहिए अगर आने का मौका होगा तो राजनीतिकरण होगी। ऐसे लोगों को टिकट देना बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी जाहिद बेग जी ने जो शब्द सदन में प्रयोग किया है वह शब्द आपत्तिजनक है उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

देख करके निकाल दिया जायेगा।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, देख नहीं लेंगे, ख ग ग ग , शब्द कहीं प्रयोग में नहीं आता है। इसको तत्काल निकाला जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 सदस्य ने जो चंदे की बात कही है अगर इनको आपत्ति है अगर यह कहते हों कि चंदा नहीं लिया जाता है। यही तो उन्होंने कहा कि आपने अपने नेता के जन्मदिन में चंदे की उगाही की है। अगर इस पर आपत्ति हो कि जन्मदिन पर चंदे की उगाही नहीं की गयी है तो उसको भी निकलवा दें।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, मैं ख ग ग ग , शब्द की बात कर रहा हूं। आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए कि है की नहीं है, अगर है तो उसे निकलवा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

उसको दिखवा लिया जायेगा और कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। श्री अमरपाल शर्मा जी, आप अपनी बात रखें।

श्री अमरपाल शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने सामान्य प्रशासन व गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी हमारी पार्टी के नेता ने अपनी बात रखी, उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और भी नेताओं ने बहुत सारी बातें रखीं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं कानून–व्यवस्था को लेकर सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस सदन में जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे और एक दूसरे की बात को सत्यता से नहीं जानेंगे, मैं समझता हूं जो बोलने का मकसद है वह पूरा नहीं होगा। अभी जिस तरीके से हमारे साथी जाहिद बेग जी एक उदाहरण दे रहे थे कि 2009 में इतने आंकड़े, 2011 में इतने आंकड़े और 2012 में इतने आंकड़े। अधिष्ठाता महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह सब जो आंकड़े लाते हैं या तो यह कर दिया जाय कि जब आप आंकड़े लाते हैं तो वह सबको बांट दें तो पता चल जाय कि आप यह आंकड़े लाये कहां से। अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखकर बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। यह आपका अपना कागज है, अपना पेन है तो चिट्ठी तो आपने बांटी नहीं कि यह आंकड़े कहां से लाये निकलवाकर। फलां एजेन्सी से निकलवा कर लाये हैं। यह सभी जानते हैं कि पूर्व में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, कानून–व्यवस्था की क्या पोजीशन रही है शायद आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है उसके बराबर।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाया गया।

श्री अमर पाल शर्मा–

यह सभी जानते हैं। अब हम बहस करें तो उसका कोई मुद्दा नहीं रहता है। अरे पहाड़िया जी बैठिये। उसका कोई मतलब नहीं रहता है और आज भी क्या स्थिति है जो बोल रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं जो आज की स्थिति है उससे अवगत करा रहा हूं, उसका जवाब दे देना मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा। हमारे यहां साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं मैं वहां का बयां आपके सामने कर रहा हूं। वहां पर एक थाना है, अभी नया थाना बना है खोडा मक्खनपुर के नाम से। मैंने कुछ ही दिनों पहले भी सदन में यह बात रखी थी उसके बाद जब मैं क्षेत्र में गया तो एस0एच0ओ0 साहब जो वहां के मौजूदा एस0एच0ओ0 हैं उन्होंने कहा कि विधायक जी आप गलत आरोप लगाते हैं। आप हमें एक भी गलत काम यहां पर बताइये कि हमारे क्षेत्र में गलत काम हो रहा है। गलत काम क्या है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपने आप में एक बहुत ही मतलब किन शब्दों का मैं प्रयोग करूं कि हमारी आने वाली जैनरेशन के लिये उससे खतरनाक चीज और कुछ नहीं हो सकती। कुछ रिक्शेवाले जिनके पैर नहीं

हैं, हाथ नहीं हैं ऐसे लोगों को बाहर दूसरे स्टेटों से ला करके उस थाने के अंदर मैंने 134 लोगों की लिस्ट दी थी माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैंने वह चिट्ठी अवगत कराई। प्रमुख सचिव गृह चले गये उनको भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और बकायदा यही नहीं, जो बोलना चाहते हैं मेरे सामने बोलें मैंने छापा डालकर स्वयं पकड़वाया और पुलिस को बुलाकर उनको दिया अगले दिन वही व्यक्ति वहीं पर गांजा और शराब वहीं पर बैठे बेच रहे थे और जब मैंने एस0एच0ओ0 से इस बारे में बात करी तो एस0एच0ओ0 साहब का कहना था कि मैजिस्ट्रेट साहब यह कहते हैं कि 7 साल से कम की सजा का प्राविधान जिसमें है उसमें हम उनको जेल न भेजें। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जिस क्राइम में 7 साल से कम की सजा का प्राविधान है, सरकार उनको लाइसेंस देने जा रही है कि आप खुले आम यह क्राइम करायें। मान्यवर, मैंने अभी 4–6 रोज पहले माननीय मुख्य मंत्री जी से भी शिकायत करी थी और प्रमुख सचिव गृह से भी शिकायत करी थी कि वहां पर इतने अड्डे खोल दिये गये हैं गांजे के, हरियाणा की शराब वहां पर ला करके बिकवाई जाती है। सट्टे वहां पर हर तीसरी गली में चलवाये जाते हैं। मर्डर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वह तो आये दिन हो रहे हैं। सारे अखबार बोलते हैं, सब बोलते हैं, यहां पर कोई नहीं बोलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है सारी दुनिया जानती है इस चीज को। लेकिन उससे जो हमारी जैनरेशन है क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं वह युवा हैं, हमें भी उनसे बहुत सारी आशाएं हैं और इसलिये हैं कि युवा वर्ग का वह विशेष ध्यान रखेंगे। उस गांजे से उस बाहर की शराब से, उस सट्टे से हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारा युवा वर्ग बिल्कुल तबाह हो चुका है। जब आप रात को देखेंगे कि हमारी बहिन बेटियां उन गली मोहल्लों से नहीं निकल पाती हैं। हर चौराहे पर एक झुण्ड खड़ा होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कानून–व्यवस्था जैसी चीज से अगर आप आगे पीछे से इस तरीके का बयानबाजी करते हैं तो जरा बयानबाजी करते हैं तो एक बार जरा इसका सर्वे भी करा लें कि हो क्या रहा है। कल शिवरात्रि का पर्व था वहां एस0एच0ओ0 भी आए थे और एस0आई0 भी आए हुए थे और जब मैं वहां निकला तो मुझे निकलते हुए सुनाई दिया उन्होंने स्वंय कहा अपने मुंह से, क्या कर लिया इन्होंने मेरी शिकायत करके तो अधिष्ठाता महोदय, जब अधिकारी इतना बेलगाम होगा, कि न वह प्रमुख सचिव गृह की बात को मान रहा है और न वह मुख्य मंत्री जी की बात को मान रहा है ऐसी सरकार को कानून की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है इसको दिखवायें और उन अधिकारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, कानून–व्यवस्था गृह विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, कानून–व्यवस्था की चर्चा चल रही है डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश का एक आदेश है कि एक थानेदार दुबारा उसी थाने पर तैनात नहीं हो सकता है लेकिन जनपद कुशीनगर में आप देखेंगे तो एक ही थानेदार एक ही थाने पर दूसरी बार तीसरी बार पोस्ट होकर लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। मान्यवर, साइबर क्राइम बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। साइबर क्राइम की स्थिति यह है कि आज हमारे क्षेत्र की जनता अगर बैंकों से पैसा निकालने जाती है ए0टी0एम0 से तो ए0टी0एम0 से पैसा निकालने के वक्त कोई एक व्यक्ति पहले से वहां खड़ा रहता है और उस ए0टी0एम0 को बदल देता है और ए0टी0एम0 से उसका कोड आदि सब कुछ लेकर चला जाता है बाद में वह नेट के द्वारा सारे पैसे को ट्रांसफर कर लेता है बड़ी तेजी के साथ यह धन्धा फलता फूलता नजर आ रहा है। जब इसकी शिकायत लगातार जिन–जिन लोगों का ए0टी0एम0 से पैसा गायब हो जाता है, वह साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ जब पुलिस कार्यालय में देते हैं और देने के बाद यह बताते हैं कि हमारे बैंक एकाउन्ट से

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इतना पैसा गायब हो चुका है और साइबर क्राइम के द्वारा मेरी इतने रुपये की क्षति हुई है तो बजाय पुलिस अधीक्षक उसको गम्भीरता से लेने के बजाय उस मामले को टालने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। कई प्रमाण हैं मान्यवर, एक घटना है तरियासुजान की, एक कर्मचारी जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था वह आठ लाख रुपये ए0टी0एम0 उसके खाते में था, ए0टी0एम0 से गया पैसा निकालने, उस व्यक्ति का ए0टी0एम0 उससे ले लिया गया बाद में वह व्यक्ति थाने और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में चक्कर लगाया और पूरे प्रमाण के साथ दिया कि उसके पैसे का ट्रांसफर किस खाते में हुआ है। कौन से लोग किए हैं लेकिन उसके बाद भी उन अपराधियों को आज तक शिकन्जे में नहीं लिया गया और यह अध्यक्ष महोदय आपके भी क्षेत्र में, तमाम माननीय सदस्यों के क्षेत्र में,बड़ी तेजी के साथ यह धन्धा फल–फूल रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मलई तरियासुजान गौराहां बाजार की घटना का उल्लेख करूंगा दो मिनट में खत्म करूंगा। एक श्रीमती सुगान्ति देवी वाइफ आफ बृजकिशोर पटेल जो एक गरीब महिला थी जिसे वहां के एक व्यक्ति श्री विनोद कुमार राय ने प्रेमजाल में फंसाने का काम किया फिर उसे ले जाकर मंदिर में शादी करने का काम किया बाद में उसकी जमीन की जबर्दस्ती रजिस्ट्री करा ली रजिस्ट्री कराकर उसी औरत से लोन निकलवा कर

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

घर भी बनवाया और फिर उससे मुक्ति पाने के लिए उसके शरीर पर तेजाब फेंकने का काम किया। तेजाब फेंकने के बाद उसके पैर को काटने तक का प्रयास किया वहां के लोगों ने हल्ला किया तो मुकदमा तो दर्ज हुआ एक व्यक्ति मात्र थाने में पकड़ा गया बाकी मुल्जिम वैसे ही घूम रहे हैं और पुलिस अधीक्षक से बार–बार कहने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। ऐसे ही एक घटना....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

परतिया थाने की है एक दुर्गा मदेसिया टेंट व्यवसायी की हत्या दरोगा द्वारा पीट–पीट कर कर दी गई। लेकिन वह दरोगा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है न उसके खिलाफ कोई नोटिस हुई और वह दरोगा जिसने उस दुर्गा मदेसिया टेंट व्यवसायी की हत्या की थी, टेंट व्यवसायी के परिवार के लिए हमने मांग भी किया था कि सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिल जाए जिससे कि मुआवजे के तौर पर उसका लाभ उसको मिल सके। अध्यक्ष महोदय आज स्प्रिट का कारोबार बड़ी तेजी से फैला हुआ है अगर आप किसी गांव में चले जाएं पूछें कि दूध की दुकान किधर है तो मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति नहीं बताएगा लेकिन अगर आप किसी गांव में चले जाएं और पूछें कि कटहवा का दुकान किधर है कटहवा स्प्रिट शब्द का हमारे यहां बड़ा फेम है अगर आप पूछें कि कटहवा का दुकान किधर है तो हर गांव में लड़का आराम से बता देगा एक दो तीन दुकान के बारे में। अध्यक्ष महोदय यह पूर्वांचल की बहुत बड़ी समस्या है। खासकर कुशीनगर जनपद से लगे महाराजगंज सहित तमाम जनपदों में धड़ल्ले से स्प्रिट की बिक्री हो रही है और स्प्रिट में वहीं लोग शामिल हैं जो लोग थानों में बैठे हुए हैं उनकी देखरेख में स्प्रिट का कारोबार बड़ी तेजी से फैला है। इस पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नौनिहाल 9–10 में पढ़ने वाले बच्चे स्प्रिट पी रहे हैं। वह उसके आदी हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैं चाहता हूं कि इस पर कड़ा कदम उठाया जाए जो धंधा पुलिस के संरक्षण में फैल रहा है उसे पूरी तरह से बंद कराने का काम किया जाय। एक लास्ट बात अगर आप कहें तो कह दूं।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाएं मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

धन्यवाद ।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट जिस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय लोक दल के नेता और तमाम माननीय सदस्यों ने बहुत सारी जानकारी भी दी और सुझाव भी दिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का आज बजट है कुछ लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए जब मैं सदन में बैठा हूं तो हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि बच्चे स्प्रिट पी रहे हैं मैं माननीय सदस्य ने जो कहा है आप सरकार की जानकारी में लाए हैं अगर और किसी माननीय सदस्य के पास इस तरह की जानकारी होती है या मिलती है कि गांव में कहीं स्प्रिट या उससे सम्बंधित जो चीजें हैं वह देते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ऐसी चीजों की रोकथाम करेगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बहुत सारी बातें उस समय कह रहे थे वह कहावत भी पता नहीं क्यों कहीं किसके लिए कही यह तो मैं भी नहीं समझ पाया वह भी जब हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। उन्होंने सदन के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को बधाई भी दी। अगर व्यक्तिगत रूप से कहीं दी होगी उसका कहीं लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह तो मुझे नहीं मालूम। हम तो चाहते हैं कि आधी आबादी जरूर आगे बढ़े आधी आबादी जब तक आगे नहीं बढ़ेगी हमारा समाज हमारा देश कैसे खुशहाल होगा ? इसलिए आधी आबादी की जो चिन्ता आपको है नेता प्रतिपक्ष जी आपको कम होनी चाहिए क्योंकि आप उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम सबको ज्यादा चिन्ता होनी चाहिए। हम लोगों को औरों को भी सम्मान देना चाहिए। जहां तक कानून–व्यवस्था का सवाल है सरकार लगातार काम कर रही है सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है कई बार अगर जानकारी मिली है अगर किसी माननीय सदस्य ने जानकारी दी है अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो सरकार ने उसको रोका है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्योंकि सामान्य प्रशासन और गृह दोनों विभाग ऐसे हैं कि हमें लगातार काम करना पड़ेगा। लगातार चीजें कैसे बेहतर हों इस दिशा में काम करना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष पंगु शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे प्रशासन पंगु बना हुआ है। यही प्रशासन है जो मदद करता है जो जमीन पर काम लाता है। अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है। वह जमीन पर कैसे उतरी है और मैं एक योजना नहीं कई योजनाओं का उदाहरण दे सकता हूं कि इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के लोग यह कह रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश ने कैसे करके दिखा दिया। मान लीजिये, हमनें समाजवादी पेंशन योजना शुरू की तो वह अनेकानेक अधिकारियों के माध्यम से ही लागू हुयी और जमीन तक पहुंची है। हमनें उसमें टेक्नॉलाजी का थोड़ा एडीशन कर दिया तो वह पेंशन सीधे अकाउंट में पहुंच रही है। यह जो बीच की बातें हैं, भ्रष्टाचार, परेशानी वह तो कम से कम खत्म की हैं और मैंने अपने ही आफिस में गवर्नेन्स के लिये शुरूआत की है कि कोई पीड़ित व्यक्ति कभी किसी को अप्लीकेशन देता था, कभी किसी को देता था। एक पीड़ित व्यक्ति हर जगह अप्लीकेशन देता था, कोई मंत्री मिल जाए उन्हें दे दिया, सदन के कोई मा0 सदस्य मिल गये तो उन्हें दे दिया, हम तक भी जनता दरबार तक आ गयी तो कम से कम हमनें शुरूआत की है कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो

हम अपने आफिस की गवर्नेन्स के माध्यम से उसको मॉनीटर करेंगे और कम समय में उस समस्या का निदान करने का काम करेंगे। अभी एक उदाहरण है कि मेट्रो बन रही है। कागज जाने कैसे–कैसे और कहां–कहां से चलता है तब जाकर जमीन पर उतरता है। आप देख लें कि अन्य प्रदेश में कितना समय लगा होगा, लेकिन आपके अपने प्रदेश में कम समय में जमीन पर उतार दी। अभी लैंड एक्वीजिशन का मामला चला था जब हमारा एक्सप्रेस–वे बना था। जब आपका एक्सप्रेस–वे बन रहा था तो न जाने कितने लोगों पर लाठियां पड़ीं, न जाने कितने लोग जेल गये, किसान नेता जेल चले गये, झूठे मुकदमें लग गये और आज तक हम मुकदमें वापस ले रहे हैं। आप जो कानून–व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार में इतने झूठे मुकदमें लगे, इतने झूठें मुकदमें लगे कि आज तक हम उनको वापस नहीं ले पाये हैं और स्पेशल काउंटर बनाया गया था कि जब चाहो एफ0आई0आर0 दर्ज कर दो, झूठी कर दो और उसके माध्यम से कितनी वसूली हुयी होगी ? जिस पुलिस पर आप उंगली उठा रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ अधिकारी अच्छे हैं और कुछ खराब हैं। प्रशासन में उन्हीं लोगों से काम लेना है, वह लोग ही सरकार चलाने के लिये हाथ–पैर हैं। उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, कुछ काम अच्छा करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार में कम से कम मैं यह तो कह सकता हूं कि किसी को बहुत परेशान नहीं होना पड़ता। सरकार दबाव बनाकर ऐसे कोई काम नहीं करवा रही है जिसमें जेल जाना पड़े। आपकी सरकार में तमाम आई0ए0एस0 जो गोल्ड मेडलिस्ट थे उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। आपने पता नहीं कैसे क्या किया होगा, क्या दबाव बनाया होगा? उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने जान भी खो दी। ठेकों को लेकर के क्या–क्या होता था ?

सामान्य प्रशासन की बात वह करें जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासन को ही बरबाद कर दिया था। विभाग की जो कैपेसिटी होनी चाहिये, अगर कोई चीज हम बनाना चाहें, हम अस्पताल बनाना चाहें, ब्रिज बनाना चाहें, सड़क बनवाना चाहें या कोई अन्य विकास का कार्य कराना चाहें तो बतायें कैसे होता था ? इनके कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट पांच साल में पूरे हुये ही नहीं और उन लोगों में जंग लग गई। हम लोगों ने काम से उस जंग को तो निकाला, उन लोगों से काम तेजी से कराना शुरू किया। आप मानिकपुर की बात उठा रहे थे, सही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, बोलना उन्हें है तो बात अधूरी बतायेंगे। मान लें कि लखनऊ में कोई घटना हो जाए, यहां एक रेस्टोरेंट के व्यापारी की हत्या हो गयी थी। अखबारों में बहुत निकला, बहुत खबर निकली। मैं समझता हूं कि सदन में भी वह सवाल उठा है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य ने सवाल उठाया हो, लेकिन पुलिस में जब कार्रवाई हुयी, पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि उनका मामला कुछ और था। उनके पारिवारिक और अपने बिजनेस के मामले थे। जब घटना हो जाए तो खबर कहां की बनती है या आप लोग कितना उठाते हैं, लेकिन यह बताईये कि जब केस वर्कआउट हो गया, उसके बाद आपने कभी प्रशासन या सरकार या जिन लोगों ने काम किया उनकी कभी तारीफ की हो ?

आपने यह मानिकपुर का मामला उठाया। आपको भी पूरी जानकारी है कि मानिकपुर वाला मामला कहां से बना। कहीं मोबाईल चोरी हो गये, किसी की दुकान पर मिल गये, उसके बाद जो असली चोर थे उन तक पहुंचने वाली बात थी। आपने बताया नहीं कि प्रशासन ने कार्रवाई की, कड़ी कार्रवाई की और कुछ लोग गिरफ्तार हुये हैं और हम मा0 नेता प्रतिपक्ष को भरोसा दिलाते हैं कि और लोग भी गिरफ्तार होंगे। जो लोग दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जायेगा। इसी तरह मान लीजिये मा0 नेता प्रतिपक्ष ने सुल्तानपुर वाला मामला उठाया, कोई सरकार हो, आपकी हो, हमारी हो, किसी की हो और किसी प्रदेश में सरकार हो, घटनाएं नहीं रोक सकता और घटनाएं रोकने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि पहले से हम घटना रोक लें। अगर हमें जानकारी मिल जाए तो शायद हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो सुल्तानपुर में हुई, बड़ी दुःखद घटना है। उस घटना के बाद जो हुआ, वह बहुत दुखद है। वह इसलिए दुःखद है कि जो परिवार का सदस्य चला गया, वह तो वापस नहीं आयेगा। कानूनी कार्रवाई होगी, लोग गिरफ्तार होंगे, जायेंगे जेल, केस और कोर्ट तक बातें जायेंगी और जो सरकार की जिम्मेदारी है, कानून–व्यवस्था की, वह बाकायदा कार्रवाई चल रही है। लेकिन उस परिवार के सदस्य उस अपने परिवार के सदस्य का दाह–संस्कार नहीं करना चाहते थे। अगर उस पर भी राजनीति होगी, हम और आप जानते हैं, आप सत्ता में नहीं हैं, आपको जो घटना मिलेगी, उसमें राजनीति का रास्ता ढूंढोगे कि यहां पर रास्ता कैसे निकले राजनीति का ? दुःख में तो आप शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ–साथ राजनीति का भी रास्ता निकालते हैं आप। बताओ 04 दिन वह डेड–बांडी घर पर रखी रही और केवल इसलिए कि सरकार ज्यादा बदनाम हो जाए। जो परिवार के सदस्य चाहते थे, सरकार वह करने के लिए तैयार है। अगर प्रतापगढ़ में घटना हुई, वहां के लोगों ने कहा कि सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए, हमने सी0बी0आई0 को दे दिया। ट्रक की बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उठा रहे थे, हालांकि वह बात गवर्नर हाउस तक पहुंची, जो बात आपने उठायी कि रौंद कर चला गया इंस्पेक्टर को कोई, हमने कानून बनाया, देश में सबसे पहले कानून बनाया कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो हम उन लोगों पर गैंगेस्टर तक लगायेंगे। उनके परिवार के सदस्य चाहते थे कि यू0पी0 पुलिस से नहीं, सी0बी0आई0 से जांच हो, हम सी0बी0आई0 से जांच के लिए तैयार हैं। हम सुल्तानपुर के लिए भी तैयार हैं, मैंने कहा कि अगर वह परिवार चाहता है और संतुष्ट नहीं है और सी0बी0आई0 से जांच चाहता है तो हम सी0बी0आई0 से जांच कराने के लिए तैयार हैं और तभी हम तैयार हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्यवाही हम कर रहे हैं, वह निष्पक्ष कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, माननीय सदस्यों को यहां पर, अगर जानकारी सरकार तक आ जायेगी, हम तक आ जायेगी तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि कार्रवाई पूरी निष्पक्ष होगी, उसके बीच किसी को आने नहीं दूंगा। (मेजें थपथपाई गईं) लेकिन कम से कम आप संस्थाओं पर भरोसा तो करो। आपकी बातों से लग रहा था कि आप सी0बी0आई0 पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब वह बात अलग है, आप सी0बी0आई0 पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं ? वह बातें और हो सकती हैं, पहले हम

परेशान थे, माननीय सदस्य कांग्रेस वालों की वजह से, अब वह सी0बी0आई0 का मामला दूसरी तरफ चला गया, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

यह तो कांग्रेस के सदस्य ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। कांग्रेस के सदस्य इसलिए बता सकते हैं, क्योंकि यह बहुत दिनों तक सत्ता में रहे हैं। आपकी तो आजादी की लड़ाई वाली पार्टी है, आप तो दावा यह करते हो कि आजादी आपने दिलायी है। लेकिन आपको जरूरत किसकी पड़ रही है, आप बताओ, पी0आर0 एजेंसी की जरूरत पड़ रही है, आपको। (हंसी) आजादी की पार्टी वालों को, जो दावा करते हैं और सी0बी0आई0 की परम्परा किसने डाली है ? इन्होंने परम्परा डाली है, वह फालो कर रहे हैं। हम तो रहे हैं, यह तो पता है न आपको ? सी0बी0आई0 की जांच किसने कराई ? कांग्रेस के लोगों ने कराई, क्योंकि आप जानते हो, माननीय सदस्य, प्रदीप माथुर जी, आप जानते हो, किसने करायी, हाईकोर्ट तो बहाना है। उन बातों पर हम नहीं जाना चाहते लेकिन सच है कि प्रशासन और कानून–व्यवस्था, भरोसा करना पड़ेगा आपको और जिस तरीके से क्राइम बदल रहा है, जिस तरीके से घटनाएं नयी तरीके की हो रही हैं। बहुत सारी घटनाएं मैं बता सकता हूं जिसमें सरकार की बदनामी हुई और बाद में सच्चाई कुछ और निकली। माननीय सदस्य गाजियाबाद के हैं, वह जानते होंगे, वहां से लड़की जो प्रोफेशनल थी, वह चली गई या उसके साथ घटना हुई, लेकिन उसमें सरकार को कितनी बदनामी का सामना करना पड़ा ? लेकिन उस घटना को सरकार ने खोल दिया, पूरी सच्चाई सामने आ गयी। नोयडा वाली बात भी सामने आ गयी। वही पुलिस जिस पर हम उंगली उठा रहे हैं कि पिट रही है, पुलिस। मान लीजिए, होमगार्ड का जवान मारा गया, कम से कम वह उनके खिलाफ लड़ तो रहा था, वह लड़ रहा था, उसकी वजह से मर गया, उसकी जान चली गयी। तो वह तो काम ही ऐसा है, अगर हम कहें कि पुलिस ऐसे जोखिम नहीं उठायेगी तो कौन जोखिम उठायेगा ? पुलिस का काम ही इतना जोखिम भरा है और आज भी हम और आप जितने सदन में बैठे हैं, लोग, अगर हमें भरोसा है तो पुलिस पर भी तो भरोसा है, हम भी तो गनर मांगते हैं, हम भी तो गनर लेकर चलते हैं। कम से कम मैं नेता प्रतिपक्ष को बता सकता हूं कि हमारे पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी भी है, अगर आप चाहो कि बिना सिक्योरिटी के चलूं मैं, बिना गनर लेकर चलूं, यह सिक्योरिटी मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं लेकर चलता हूं, जनता न मार डाले, इसलिए लेकर चलता है। कोई भीड़–भाड़ हो, कैसे निकलोगे आप ? तो सबको सिक्योरिटी है, बताइये, सब सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, उसी पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं, हम लोग। तो उस पुलिस को कैसे बेहतर करें। उसे काम करने का कैसे अच्छा मौका दें। जो अच्छे लोग हैं उन्हें मौका दें, जो खराब लोग हैं उन्हें पीछे करें। आपकी पुलिस में कितनी कमी थी। पुलिस की भर्ती की शुरूआत आपने की थी। कितनी भर्ती होनी चाहिए। अभी डेढ़–दो लाख तक की कमी है। तो कम से कम हमने वह भर्ती पूरी कर दी। और भर्ती करने में क्या–क्या आरोप का सामना करना पड़ा। आप ही में से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने इसमें बेइमानी कर ली। अपने लोग भर्ती

कर दिये। इटावा से भर्ती कर दिये गये, कन्नौज से भर्ती कर दिये लेकिन जब परिणाम आ गया तब आपको पता चला होगा कि कहां से भर्ती हुई है। बागपत के कई लोग यहां पर बैठे होंगे। बताओ बागपत में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 12 सौ लोग एक ही जगह से हो गये हों। मुजफ्फरनगर में नहीं ऐसा है, शामली में नहीं है दो सौ, तीन सौ लड़के एक–एक गांव से हो गये। आप तो कह रहे हैं कि इटावा से हो गये लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो आप समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि आपकी जो भर्ती थी उसको पुरस्कार मिला। हमने भी तो आपकी भर्ती का पूरा प्रोसीजर फालो किया केवल यह अन्तर किया कि जो ज्यादा दौड़ना था वह कम कर दिया। आप इतनी दौड़ लगवाते थे कि कई लोगों की जान चली गई। पता नहीं लगता था कि कब कितने चक्कर लग गये। थोड़ा परिवर्तन किया है दूरी कम की है। क्योंकि जो दौड़ रहा है वह जाने तो सही कि वह कितना दौड़ रहा है। पता लगा कि राउण्ड पूरे हो गये तब भी वह दौड़ रहा है कि मेरी रेस अभी खत्म ही नहीं हुई है। या वह पहले ही रुक गया। तो पुलिस की भर्ती हम लोगों ने की है। और आसान भर्ती शुरू की है। क्योंकि फोर्स जिससे काम लेना है जिससे कानून–व्यवस्था देखनी है वह संख्या तो पूरी हो। प्रमोशन दिये हैं। अभी नया डायल 100 शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से दो शिकायतें जरूर आती हैं कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई। दुनिया भर में जो मुल्क बहुत आगे हैं जो बहुत तरक्की कर लिए हैं, चाहे वह अमेरिका हो या इंग्लैण्ड हो। जो उनके यहां इमरजेन्सी व्यवस्था हैं पुलिस और एम्बुलेन्स के लिए। कम से कम हम वह उत्तर प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। और मैं सदन के सामने कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां इस तरह का डायल 100 इमरजेन्सी नम्बर काम करेगा। और एम्बुलेंस में हम लोग लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि जनता का उस एम्बुलेंस पर भरोसा बढ़ा है। 108 और 102 पर। आपने सामान्य प्रशासन वाली बात नहीं की क्योंकि आपने एम्बुलेंस चलने ही नहीं दी। क्योंकि यह एम्बुलेंस आप चला सकते थे। लेकिन आपने नहीं चलाई। वह धूल–मिट्टी खाती रहीं। वह मामला कुछ और था जिसकी वजह से आप एम्बुलेंस नहीं चला पा रहे थे। हमारी सरकार आयी तो इसको बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसका पैसा रोक दिया। और पैसा इसलिए रोक दिया कि इसमें समाजवादी नाम कैसे रख दिया। केवल इसीलिए आपने पैसा रोका। कांग्रेस संवैधानिक शब्द नहीं है। लेकिन समाजवादी संविधान में शब्द है। बताओ आप संविधान वाला शब्द नहीं मान रहे थे। और वह समाजवादी शब्द इसलिए रखा क्योंकि वह संविधान में है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अवसरवादी जोड़ देते।

(हंसी)

श्री अखिलेश यादव–

इसी तरह हम लोग 100 नम्बर लाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, 100 नम्बर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि लोगों को एम्बुलेंस पर तो भरोसा आया है कि अगर वह फोन करते हैं तो 108, 102 एम्बुलेंस उन तक पहुँचती है। लेकिन उसके बाद की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उस पर भी अभी काम करना है। वह हम अपने घोषणा–पत्र में लिखेंगे, तभी मैंने कहा कि यह मैं पांचवा बजट पेश कर रहा हूँ और छठवां बजट भी मैं पेश करूंगा। जो बात उसके बाद की है कि आपके अस्पताल बेहतर हों, आपके जिला अस्पताल जहां पर मरीज पहुंच जाय उसकी व्यवस्था कैसे बेहतर हो वहां पर समय पर इलाज दिया जाय। नर्सें हों, डाक्टर हों। डाक्टर बनाने में समय लगता है। डाक्टर एक दिन में कैसे बन जायेगा। हमें खुशी है कि हमारे सदन में एक डाक्टर हैं प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर हैं। तो वह जानते होंगे कि कितने दिनों में एक डाक्टर बनता है और मेडिकल कालेज तो शुरू नहीं किये। पैरा–मेडिकल शुरू नहीं किये। नर्सिंग कोर्सेज शुरू नहीं किये। आज के दिन नर्सों की कमी है। यह हम भी स्वीकार करते हैं लेकिन आपने नर्सो की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया था। कोई नर्सिंग कालेज बनाया हो। हमने इधर नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाया, पैरा–मेडिकल स्टाफ को बढ़ाया। तीन हजार से ज्यादा डाक्टरों को हम लोगों ने सरकारी सेवा में लिया है। एम0बी0बी0एस0 की सीटें कैसे बढ़ें। जो बने खड़े थे वही मेडिकल कालेज इन्होंने चालू नहीं किये। आप कह रहे हैं, डाक्टर की कमी है तो क्या कोई डाक्टर ऐसे ही बन जायेगा। अगर आपको इलाज कराना हो ऐसे किसी हकीम या किसी डाक्टर से जिसके पास कोई डिग्री न हो, हम बता सकते हैं, आप चले जाइये, जाकर इलाज करा लो उससे, तो आप ही फिर शिकायत करते हो कि झोला वाला डाक्टर, झोला छाप डाक्टर और वह इलाज ऐसा कर देता है, कई बार किडनी चली जाती है, कई बार आदमी चला जाता है। तो डाक्टर्स बनें एम0बी0बी0एस0 सरकार ने एम0बी0बी0एस0 शुरू किये हैं, नए–नए कालेज शुरू किये हैं, नए कालेज बनाने जा रहे हैं, पैरा–मेडिकल कालेज बनाने जा रहे हैं, नर्सिंग के और कोर्स बढ़ाने जा रहे हैं। डायल 100 भी एक योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं, सरकार लेकर के आ रही है, जिस तरीके से एम्बुलेंस बुलाने पर पहुंच जाती है, उसी तरह जिम्मेदारी होगी पुलिस को पहुंचना पड़ेगा, अगर सूचना मिलेगी तो 10 मिनट के अन्दर या 15 मिनट के अन्दर पुलिस मौके पर पहुंचेगी और जो राहत, जो मदद दे सकेगी, वह देने जा रहे हैं और उसके लिए जो दुनिया भर में टेस्टेड चीजें हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह इंग्लैण्ड हो, जहां के इमरजेन्सी नम्बर्स हैं, उन्हीं की तरह हम डायल 100 चालू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उसके लिए हम पैसा भी दे रहे हैं, बजट में इन्तजाम भी किया है। हम गाड़ियों की संख्या बढ़ायेंगे, अभी तो डीजल–पेट्रोल ही थाने में नहीं मिलता उनको, कई बार तो जो पीड़ित है उसी से एस0ओ0 डलवाता है पेट्रोल–डीजल, तो यह व्यवस्था किसने नहीं ठीक की, कौन व्यवस्था को खराब कर के गया है, कम से कम इस बात को तो आपको सोंचना चाहिए, आपने थानों का कुछ इन्तजाम किया बताइये कहीं नए थाने बनाये हों, पुलिस को नई गाड़ियां दी हों आप बता दीजिए, आप होम पर बहुत कुछ बता रहे थे नेता प्रतिपक्ष जी पांच साल आपने गुजारे,

बताओ थाने पर कितनी गाड़ियां दी आपने, हमने कितनी गाड़ियां दीं हमारी देख लीजिए, इसके लिए गाड़ियां कैसी हों, इसलिए गाड़ियां अलग से ला रहे हैं 100 नम्बर पर, नम्बर होगा, काल सेण्टर होगा, जहां पर फोन आयेगा और जैसे ही फोन आयेगा उस काल सेण्टर को कम से कम यह लोकेशन पता होगी कि वह पीड़ित कहां है और जो पुलिस है वह कहां है, दोनों में जो पास होगा, उस पुलिस को वहां पहुंचाने का काम करेगी। यह इन्तजाम पहली बार देश में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है डायल हण्डरेड के माध्यम से, जो हम अप्रैल, मई, जून से शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके ही भाषण में मैंने सुना कि सब चीज ठीक है, लेकिन एक कानून–व्यवस्था वाला सवाल है। कानून–व्यवस्था बिगाड़ता कौन है ? मान लो लाउड स्पीकर पर लड़ाई हो जाय, वह कौन लोग हैं जो लाउड स्पीकर पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मंत्र का पता नहीं, मंत्र के उच्चारण का पता नहीं है, मंत्र कौन सा पढ़ा जाय, मंत्र क्या हो, उसकी जानकारी नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर बजना चाहिए, मंत्र तक ठीक है, मंत्र कम से कम पढ़ दो तो शान्ति बनी रहे, लेकिन यह अच्छा है जनता आपका खेल समझ गई है, पूरा खेल जनता समझ चुकी है और इसका एहसास माननीय सदस्यों को भी हो गया है। माननीय सदस्यों को यह तो एहसास है आज कि अब मामला उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि आप अब क्या उठाओगे सवाल, आप हर घटना पर, आपके यहां कोई घटना हो जाय, प्रदेश में कोई घटना हो जाय, आगरा वाली घटना है मान लीजिए, क्या कारण था आपको पता है, उन दोनों का पहले से झगड़ा था, लेनदारी का पहले से उनका झगड़ा था, आप लोगों ने उसको हिन्दू–मुसलमान बना दिया, जब आबादी इतनी है, नहीं तो बाद में जातियों का झगड़ा बना दोगे आप, अभी तो धर्म पर ही हो आप, बाद में तो जातियों में भी झगड़ा करायेंगे ये लोग। क्या किया आपने बताओ, आपने कहा कि वैसा ही मुआवजा मिलना चाहिए जैसा वहां मिलता है, क्या घटना दादरी की और आगरा की एक ही तरह की समान थी, जो काम दादरी में हुआ क्या आप उससे मुंह छुपा सकते हो, जो काम आपके लोगों ने किया, क्या दादरी वाली ही घटना आगरा वाली घटना मानी जायेगी कि सरकार तो एक पक्ष को मुआवजा ज्यादा देती है, हमारे पक्ष को मुआवजा कम देती है, कितना सरकार को आप बद्नाम करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई जनता जान गई है। कम से कम इस सरकार के बारे में यह लोग जान गये हैं कि यह सरकार मदद करने वाली सरकार है। कोई पीड़ित होगा, हम मदद करेंगे, ये कि किसी के दुःख दर्द में शामिल हों, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, समस्यायें भी बड़ी हैं, लेकिन मैं भरोसा दिला सकता हूं कुछ क्षेत्रों में हम लोग आगे लेकर के आये हैं, कुछ क्षेत्रों में उदाहरण बना है प्रदेश हमारा, मान लीजिए इतनी एम्बुलेन्स कहीं नहीं चल रही होंगी जितनी 108, 102 उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, मैट्रो का उदाहरण अभी बोल ही रहा हूं मैं, समाजवादी पेन्शन का उदाहरण है ही, लोहिया आवास भी एक उदाहरण है, आपका जो एक्सप्रेस–वे बन रहा है, वह भी एक उदाहरण है, बहुत सारी नई योजनाएं हम लोगों ने कम से कम यहां लाकर के जमींन पर उतारी हैं, लोगों का भरोसा बढ़ाया है, डेयरी के मामले में भी हम लोग आगे निकल गये, तो ये तमाम चीजें तभी हो सकती हैं, जब लोगों को भरोसा

होगा। बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, बिजली के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा, मैं कह रहा हूं आपसे पहले हम करेंगे जो गांव बिजली के होने हैं, केन्द्र सरकार तो कह रही है कि हम 2019–20 में आपने तारीखें बहुत अच्छी ले ली हैं। 2022 में, आगे चले गये, पता नहीं क्यों आगे चले गये आप तो समझदार लोग हैं, आप तो बहुत आगे वाले लोग हैं। हमारा आंकड़ा नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं या केंद्र क्या कह रहा है, वह वाला आंकड़ा हमें आप दे दो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 1 मई, 2018 है।

श्री अखिलेश यादव–

1 मई, 2018, कहीं हमारा भाषण तो नहीं लिया आपने, हमारा ही आप बोल रहे हो। यह हम अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदेश करता है, केंद्र नहीं करता है। हमारे दादा आदरणीय श्री श्याम देव राय चौधरी साहब जानते हैं। तार बिजली तो हमारी है, तार लगे रहे, बल्ब लगे रहें, बिजली नहीं आयेगी तो, जनता को क्या फायदा होगा ? जब आपको 73 सांसद मिले हैं, तो कम से कम आपको कुछ स्टेट को लाभ देना चाहिए था। हमने कम से कम नई चीजें शुरू की हैं, केबलिंग हो जाये, अंडरग्राउंड हो जाये तो उससे कम से कम बिजली मिले। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे जो जी0डी0पी0 है, जो आंकड़े आते हैं, क्योंकि आंकड़े आपने क्राइम ब्यूरो के पढ़ दिए, हम भी आपको यह वाले आंकड़े दिखा सकते हैं कि क्राइम कम हुआ है। किस प्रदेश में आज कितना आंकड़ा आ रहा है, किस प्रदेश में आपके समय में क्या होता था, आज कितने आ रहे हैं। आप देखिए पहले प्रदेश कौन से हैं ? यह आंकड़े तो हम भी दे सकते हैं। एक बार आप भी आंकड़े पर नाराज हो रहे थे कि आंकड़े क्या होते हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए वही आंकड़े आप पढ़ रहे हैं। हम शिकायत करते हैं कि क्या है ? आंकड़ों पर नहीं, कार्रवाई कितनी हुई है यह देखिए। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर इसीलिए जा रहा है क्योंकि लोग और व्यापारी समझ रहे हैं कि यहां पर कानून–व्यवस्था पर काम हो रहा है। कानून–व्यवस्था और बेहतर होगी। वरना इतना इन्वेस्टमेण्ट क्यों आता, कोई क्यों पैसा लगायेगा ? अमूल के इतने बड़े दो कारखाने लग रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेण्ट हो रहा है अगर उन्हें यही डर हो तो क्यों वह उत्तर प्रदेश में कारखाना लगायेगा ? आपके भाषण अगर वह सुन लें तो वह अभी भी भाग जायेंगे। वह एच0सी0एल0, जो कभी नोएडा से आगे नहीं निकले। कोई छोटा–मोटा ग्रुप नहीं है, एच0सी0एल0 एक बड़ा ग्रुप है। हम लखनऊ तक बहुत सारे लोगों को खींच कर आ गए हैं। क्योंकि पूर्वांचल का एक्सप्रेस–वे बनेगा तो हम और भी आगे तक ले कर जाएंगे। आप तो कह ही कुछ और रहे हैं। एच0सी0एल0 यहां इन्वेस्ट करने जा रहा है, सैमसंग यहां इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर जी इन्फोसिस वाला मामला बता सकते हैं। आपके यहां तो ऊंचा मंदिर बन रहा है, अगर हम न होते तो कैसे वह ऊंचा मंदिर बनता ? कितनी मंजिल का मंदिर बन रहा है ?

दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। कुछ फ्लैट भी उसमें हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पर भरोसा ही है, तभी सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। हमने बहुत काम किया है, इसलिए जहां तक प्रशासन का सवाल है, जहां जानकारी मिलती है, जहां सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम सदन को भरोसा दिला सकते हैं कि कानून–व्यवस्था, खासकर महिलाओं के प्रति क्राइम पर यह सरकार निष्पक्ष हो कर कड़ी कार्रवाई करेगी और भविष्य में भी हम लोग यह दिखा सकते हैं कि सरकार ने यह–यह कार्रवाई की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जिस होमगार्ड के संतरी की मुठभेड़ में गोली खाकर मौत हो गयी, उसको शहीद का दर्जा दिलवा कर, उसके परिवारीजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,17,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,50,26,09,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था, जवाब में कहा था कि अगर मा0 सदस्य इसी रूप में फिर वापस आ जाएं तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा। हम तो किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ये जितने सदस्य हैं, हमारे यहां जितने

लोग हैं, हम इन सबको क्यों छोड़ना चाहेंगे, किसी से नई दोस्ती हम लोग क्यों बनाएं। हम चाहते हैं कि आप लोग जीतें, हम लोग भी जीतें, हम और आप दोनों मिलकर जनता की सेवा करें। टर्म–5 नहीं, हम लोगों का साथ लम्बा चले क्योंकि पूर्व की तरह हमें दोबारा पेंशन न बढ़ानी पड़े, जो हम लोग कई बार सोचते हैं क्योंकि मा0 सदस्य आप लोग कह रहे हैं कि पूर्व का विषय है, पेंशन बढ़ानी चाहिए। यह हर बार की परम्परा है कि हम सब मा0 सदस्य जनता के लिए कुछ न कुछ करें और वे सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता के लिए कुछ न कुछ करे इसीलिए आप सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपने तरीके से कहते हैं। हालांकि पहले यहां कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बैठते थे, वे बहुत घुमा–फिरा के और कर–करा के कहते थे लेकिन जो हमारे मा0 नेता प्रदीप माथुर जी हैं वे ज्यादा घुमा–फिरा नहीं पाते, एकदम सीधा कहते हैं इसलिए मुख्य रूप से यह है कि हम भी महसूस करते हैं और लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं कि मा0 सदस्यों के हैण्डपम्प्स की बहुत शिकायत रहती हैं इसलिए सभी मा0 सदस्यों को 100–100 हैण्डपम्प दिए जाएंगे और 100–100 रि–बोरिंग के लिए भी जो अपने देना चाहेंगे उनको रि–बोरिंग कराने के लिए भी। (मेजों की थपथपाहट)

मा0 सदस्य लोहिया ग्रामों को लेकर कहते हैं और लोहिया ग्रामों को लेकर के हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कहते हैं कि सरकार ने हमेशा कहा कि लोहिया ग्राम देंगे लेकिन अन्त्तोगत्वा उन्हें नहीं मिला। हमारे बहुत सारे मा0 सदस्य हैं, जो पा चुके हैं, कईयों ने ज्यादा पाए हैं, जहां हमारे विधायक नहीं थे तो उन्होंने ज्यादा ले लिए या गिनती में ज्यादा आ गए इसलिए सभी लोहिया ग्रामों के चयन में भी विधायकों की राय से गांव दिए जाएंगे। (मेजों की थपथपाहट)

(विपक्षी सदस्यों द्वारा संख्या की बात करने पर)

दिए जाएंगे, अब जो बचे होंगे, हम संख्या दे देंगे।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा 2 की मांग किए जाने पर)

अच्छा, दे देंगे, दो कह रहे हो तो दो दे देंगे। अच्छा संख्या हम दे देंगे, हम दे देंगे। इसी तरह प्रत्येक विधान सभा में क्योंकि विधायक कई बार घूमते हैं, कई बार उन्हें जानकारी मिलती है कि कोई गरीब है और उसको घर की आवश्यकता है और जहां लोहिया आवास कम से कम हम लोगों ने लोन लेकर के भी बड़ी संख्या में दिए हैं। हम प्रत्येक विधायक से कहेंगे कि अगर कोई गरीब उनके क्षेत्र में है तो 10–10 लोहिया आवास अगर आप देना चाहोगे तो आप अपनी संस्तुति पर दे सकते हैं। वहीं जो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन 10,000 से 12,000 क्योंकि यह परमानेण्ट मामला है और सब चीजें परमानेण्ट नहीं रहतीं लेकिन ये हमारी परमानेण्ट है। इसी तरह हॉट मिक्स सड़क जो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मरम्मत की जाएगी जिसको हॉट मिक्स कर देंगे क्योंकि अभी नई बनाना सम्भव नहीं है, नहीं भी बनेगी तो कब तक बनेगी, जनता को उसका

लाभ नहीं मिलेगा तो हॉट मिक्स कराने के लिए 5 किलोमीटर सड़क देंगे। (मेजों की थपाथपाहट)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा 8 कि0मी0 की मांग करने पर)

चलो, 8 कर देंगे, आपका 8 कर दिया, 8 किलोमीटर हॉट मिक्स कराएंगे। इसी के साथ जो एक आवास की बात थी। जिन विधायकों पर आवास नहीं है क्योंकि कई विधायकों पर आवास हो सकते हैं तो इस समय जिन विधायकों पर आवास नहीं हैं, उनको आवास देने की व्यवस्था की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ–साथ बहुत–बहुत धन्यवाद। हर बार हमारे विधान सभा वाले कर्मचारी हैं, यह अपनी मांग रखते हैं, पिछली बार भी इनकी थोड़ी मद्द की थी। इनका मामला बड़ा है, इसलिए हम एक बार विचार जरूर करेंगे, जब इतने बड़े–बड़े काम किये हैं सरकार ने तो कुछ देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि चुनाव का वर्ष है हमारे तमाम राजनैतिक दल भी जो आंदोलनकारी हैं, कर्मचारी संगठनों से मिलकर हमारी सरकार के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, इन संगठनों को भी आगे कर दिया। हम तो चाहते हैं कि उन सबकी समस्याओं का समाधान हो कोई मुख्य मंत्री क्यों चाहेगा, सरकार क्यों चाहेगी कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान न हो, लेकिन उसको कई बार राजनैतिक रूप भी देते हैं। इसीलिए इन पर विचार करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे.....

(श्री सतीश महाना के खड़े रहने की स्थिति में)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, वह खड़े हैं, वह तभी से जिद करके खड़े हैं, दो मिनट उनको पूछ लेने दीजिए।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो अच्छी बातें कहीं हैं। एक सिर्फ माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने घोषणा करी है, जैसे पिछली बार भी की थीं और कृपापूर्वक की थी, जैसे शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनको हैण्डपम्प नहीं मिला था। जो आपने हैण्डपम्पों की घोषणा की है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसमें कृपापूर्वक निर्देश दे दें कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक सदस्य जो भी यहां पर आते हैं, मान्यवर, वह सब आपसे अपेक्षा करते हैं और आप उनकी बात सुनकर तभी आप ये घोषणा करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दूसरी बात जो आपने सड़क की बात की है, ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के सभी विधायकों के लिए हो, यह मेरा निवेदन है। जो अच्छी बातें हैं, सारा सदन उसके लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जो बात कही है मान्यवर, वह पूरी हो जाए। कहीं ऐसा न हो

जैसे पिछली बार 100–100 हैण्डपम्प का माननीय नगर विकास मंत्री जी ने आदेश किया था, उसमें से 50 के पैसे गए हैं और 50 के नहीं गए हैं, वह भी भिजवा देंगे तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं। नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए। अब आप लोग बैठ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय विधायकों तथा प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में विधायकों की सांझेदारी सुनिश्चित करने का ऐलान किया। मान्यवर, पत्थर पिघला। माननीय मुख्य मंत्री जी, आखिर में पत्थर पिघला इसके लिए बधाई, लेकिन साथ–ही–साथ एक अनुरोध और भी है जो पूर्व विधायकगण हैं, उनकी एक–एक, दो–दो छोटी–छोटी बातें किसी भी गेस्टहाउस में जाते हैं तो तीन दिन के लिए तीन सौ रुपया उनके ठहरने, खाने–पीने का चार्ज लगता है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा 850/– रुपये एक दिन चार्ज लगता है, कहा गया।)

अच्छा 850/– रुपया प्रतिदिन हो गया और माननीय मुख्य मंत्री जी 3 दिन बीतने के बाद वह चार्ज तीन गुना हो जाता है। जो एक दिन का है और तीन दिन बाद जो तीन गुना बढ़ा देते हैं, एक तो वह खत्म किया जाए। दूसरी चीज, पूर्व विधायक को मात्र 80 हजार रुपये का लगभग कूपन मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री जी मात्र 80 हजार रुपये का कूपन मिलता है, उसे एक लाख रूपये बढ़ा दिया जाये और अतिरिक्त बढ़े एक लाख पर 20 हजार रुपया जिस प्रकार से विधायकों को अपनी गाड़ी के लिए डीजल की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूर्व विधायकों को भी यह सुविधा प्रदान करा दें और इसके साथ–साथ माननीय मुख्य मंत्री जी आज बजट सत्र का अन्तिम दिन है पूरा का पूरा शानदार तरीके से यह पूरा सत्र चला और उसमें सबसे बड़ी चीज आज पहली बार आपकी सदा–सयता भी दिखाई पड़ी, विधान भवन रक्षक जो काफी दिनों से अपनी मांग, मांग रहे है कि उन्हें भी लोकसभा की तरह उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कराकर उनको लोक सभा की तरह ही सारी सुविधायें यहां पर दी जाये। यह मांग पहले से चल रही है और साथ ही साथ 4200 ग्रेड–पे कर दिया जाये। सम्पूर्ण विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों के समकक्ष से भी ज्यादा ग्रेड–पे दी जा रही है उसी तरीके से सचिवालय भत्ते में रुपये 400 कम करते हुए उसे ग्रेड पे में जोड़ दिया जाय और वित्त विभाग सचिवालय के कई संवर्गों के कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ाये जाने की इस प्रक्रिया को पहले से पालन भी किया गया है। दूसरा निवेदन है विगत कई वर्षों की भांति सत्र के समापन के दौर पर यह जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, हम लोग तो हाउस में 11.00 बजे आते हैं लेकिन इन लोगों का कार्य 8.00 बजे से शुरू हो जाता है। हम लोग सत्र खत्म हो जाने के बाद चले जाते हैं लेकिन ये लोग चार घण्टे तक

लगातार काम करते रहते हैं, ऐसी हालात में विधानसभा के ये सारे के सारे कर्मचारी अधिकारी जिनको पिछले सत्र मे आपने 7500 रूपये मानदेय पुरस्कार प्रदान किया था तो इस 7500 की सीमा से आगे बढ़कर 8000 रुपये इन्हें मानदेय के रूप में दिया जाये और इसके साथ ही साथ एक ऐसा इम्प्लाई है जो 24 घंटा सेवा में तो हमारे रहता है यानी जिस लिफ्ट में आप फंसे थे, सारे के सारे करीब सवा सौ, जितने सचिवालय में लिफ्ट है जो कहने के लिए तो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन सेवा हमारी करते हैं तो जब विधान सभा सत्र पर हम अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों को मानदेय पुरुस्कार देते हैं, तो उनको भी इस मानदेय पुरुस्कार से लाभान्वित किया जाये। साथ ही साथ आपके माध्यम से हम यह भी अनुरोध करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी होने के चलते ये हमारे लिए सौतेले माने जाते हैं जबकि पूरे सदन की सेवा, हाउस की, सचिवालय में आने–जाने वालों की करते हैं तो इस पर भी गम्भीरता से विचार करते हुए जहां आप मानदेय निर्धारित करेंगे, उनको इसमें शामिल करने का काम कर लेंगे और चलते–चलते कैफेटैरिया के कर्मचारी जो माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय मे या सभी मंत्रियों के कार्यालय में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो हमेशा अपनी सेवा देने का काम करते हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो सेन्ट्रल हाल वी0आई0पी0 कैफेटेरिया के जितने भी कर्मचारी हैं इनको भी मानदेय की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी सदाशयता दिखाई हम उसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन एक अनुरोध के साथ कि आज मुख्य मंत्री जी ने 8 किमी सड़क, 100 इण्डिया मार्का नल, 100 रि–बोर के यह घोषणा की। मान्यवर, इसका शासनादेश, क्योंकि पिछली बार जो घोषणा हुई थी उसके 50–50 नल का शासनादेश नहीं हो पाया था यह घोषणा हो गयी थी इसलिए मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इसका शासनादेश एक सप्ताह में या माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी सुविधानुसार जैसे हो जल्दी से जल्दी निकलवा दें। नम्बर दो– जो लोहिया ग्राम की बात की है उसमें भी सदाशयता 50 परसेन्ट दिखाई है। हमारा अनुरोध है कि उसके बारे में भी अभी जल्दी ही यह अप्रैल शुरू हो जायेगा, एक तो संख्या हमारे पास बहुत कम थी उसके सम्बन्ध में भी अगर कोई सदाशयता दिखा देते 5–5 गांव कम से कम 5–5 गांव दे देते क्षेत्र में तो पूरे विधान सभा के 2000 गांव उसमें सचुरेट हो जाते। तीसरी और अंतिम बात जो भूतपूर्व विधायकों के सम्बन्ध में जो डीजल की बात नेता विरोधी दल ने रखी उस पर बल देते हैं और यहां पर जो विधान सभा रक्षकों के सम्बन्ध में और कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो बात कही है हम उस पर भी बल देते हैं और एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं।

(कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

ख03.23, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बोल चुके हैं तो फिर क्या बार–बार सुझाव दे रहे हैं। विनियोग विधेयक तो पारित होने दीजिए।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक†, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अखिलेश यादव–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016

31 मार्च, 2017 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में — 2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई

† fnukad 30 ekpZ] 2016 ds vlk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V esa Nik gSA

से वर्ष 2016–2017 के लिए 360797,64,94,000 रुपये का निकाला जाना

सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग 360797,64,94,000 रुपये (रुपये तीन लाख साठ हजार सात सौ सत्तानवे करोड़ चौंसठ लाख चौरानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1683910	2000	1685910
		पूंजी :	14439	...	14439
02	आवास विभाग	राजस्व :	9649321	12389	9661710
		पूंजी :	20390000	36001	20426001
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	3241259	600	3241859
		पूंजी :	910001	...	910001
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	333443	...	333443
		पूंजी :	70900	...	70900
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	976714	...	976714
		पूंजी :	100000	...	100000
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	2570219	...	2570219
		पूंजी :	106200	...	106200
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	11441883	...	11441883
		पूंजी :	57022507	...	57022507
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	1605811	...	1605811
		पूंजी :	83395	...	83395
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	144414563	40081767	184496330
		पूंजी :	143481887	373204	143855091
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	3304461	15318	3319779
		पूंजी :	161187	15	161202
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(कृषि)	राजस्व :	34847139	1525	34848664
		पूंजी :	7766081	...	7766081
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	3065203	...	3065203
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	19994385	750	19995135
		पूंजी :	112135140	...	112135140
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	87001503	...	87001503
		पूंजी :	4875447	...	4875447
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	10668949	1379	10670328
		पूंजी :	1753746	...	1753746
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	957210	...	957210
		पूंजी :	5500000	...	5500000

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक **(हजार रूपयों में)**		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	909500	450	909950
		पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	4372370	146176	4518546
		पूंजी :	110453	130102	240555
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	99685	...	99685
		पूंजी :	1500000	...	1500000
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	475635	627707	1103342
		पूंजी :	...	1000	1000
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	3290436	350	3290786
		पूंजी :	76558706	50	76558756
22	खेल विभाग	राजस्व :	789082	...	789082
		पूंजी :	2723713	...	2723713
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	1780267	200	1780467
		पूंजी :	847218	...	847218
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	12415672	...	12415672
		पूंजी :	4822144	...	4822144
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	6382455	1000	6383455
		पूंजी :	6186374	...	6186374
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	135245932	7001	135252933
		पूंजी :	15015005	...	15015005
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	218539	...	218539
		पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2145184	...	2145184
		पूंजी :	3000	...	3000
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	141588	141588
		पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	51571	...	51571
		पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	19003410	...	19003410
		पूंजी :	23185745	...	23185745
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	54172059	2000	54174059
		पूंजी :	8422036	...	8422036

** भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या*

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	8500317	...	8500317
		पूंजी :	205420	...	205420
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	3736415	...	3736415
		पूंजी :	131783	...	131783
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	51885888	2600	51888488
		पूंजी :	1889942	...	1889942
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	6950156	200	6950356
		पूंजी :	197013	...	197013
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	69077968	...	69077968
		पूंजी :	13600002	...	13600002
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	457756	...	457756
		पूंजी :	2020000	...	2020000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	227533	...	227533
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	2867396	...	2867396
		पूंजी :	12342402	...	12342402
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	3667870	...	3667870
		पूंजी :	1	...	1
42	न्याय विभाग	राजस्व :	17185715	3117770	20303485
		पूंजी :	10905098	53000	10958098
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	2323081	1	2323082
		पूंजी :	2331517	...	2331517
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	468412	...	468412
		पूंजी :	1524500	...	1524500
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	105986	...	105986
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	142113	...	142113
		पूंजी :	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	3465486	...	3465486
		पूंजी :	2572600	...	2572600
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	21535751	180	21535931
		पूंजी :	9023876	...	9023876

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	57525447	1000	57526447
		पूंजी :	2040000	...	2040000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7975122	1700	7976822
		पूंजी :	2991287	...	2991287
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	49655010	...	49655010
		पूंजी :	225000	...	225000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	31859154	12127	31871281
		पूंजी :	738743	526	739269
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	16978	...	16978
		पूंजी :	1	...	1
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	21802561	400	21802961
		पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	939441	38359	977800
		पूंजी :	810220	12900	823120
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3400000	...	3400000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	200000	...	200000
		पूंजी :	14317501	...	14317501
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	47281357	500	47281857
		पूंजी :	98334862	120000	98454862
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1821963	...	1821963
		पूंजी :	4119172	...	4119172
60	वन विभाग	राजस्व :	6728797	1370	6730167
		पूंजी :	6845026	...	6845026
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	106987212	337681072	444668284
		पूंजी :	27264005	150602363	177866368
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	270994847	295133	271289980
		पूंजी :	3000000	...	3000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	2867529	...	2867529
		पूंजी :	20000	...	20000
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	2552523	...	2552523
		पूंजी :	235841	...	235841

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	373992	2198071	2572063
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	461039	7292	468331
		पूंजी :	400	...	400
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	1344409	12709	1357118
		पूंजी :	68382	...	68382
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	4689568	...	4689568
		पूंजी :	2436508	...	2436508
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	1472292	...	1472292
		पूंजी :	678982	...	678982
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	367946081	...	367946081
		पूंजी :	12714471	...	12714471
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	84301206	270	84301476
		पूंजी :	5267100	...	5267100
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	22471062	...	22471062
		पूंजी :	3379060	...	3379060
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	5872613	...	5872613
		पूंजी :	316001	...	316001
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	1493657	...	1493657
		पूंजी :	505680	...	505680
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3014870	10	3014880
		पूंजी :	102500	...	102500
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	828839	...	828839
		पूंजी :	3981	...	3981
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	7673226	...	7673226
		पूंजी :	261600	...	261600
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	17563868	...	17563868
		पूंजी :	1854557	...	1854557
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	58692928	...	58692928
		पूंजी :	50000	...	50000
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	2394869	...	2394869
		पूंजी :	452247	...	452247

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	442655	49630	492285
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	125231843	...	125231843
		पूंजी :	90486445	...	90486445
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	91716	...	91716
		पूंजी :	100000	...	100000
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	58674	...	58674
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	3300870	...	3300870
		पूंजी :	240000	...	240000
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	464855	...	464855
		पूंजी :	21400	...	21400
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	9046470	...	9046470
		पूंजी :	380000	...	380000
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	6003103	654502	6657605
		पूंजी :	162401	...	162401
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	485852	...	485852
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	3004605	3	3004608
		पूंजी :	46941	...	46941
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	690301	5	690306
		पूंजी :	523783	...	523783
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	22087753	...	22087753
		पूंजी :	65979666	100000	66079666
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	40145218	5000	40150218
		पूंजी :	...	...	0
	योग	राजस्व :	2170561988	385122104	2555684092
		पूंजी :	900863241	151429161	1052292402
	महायोग :		3071425229	536551265	3607976494

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अखिलेश यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आवास से वंचित नए विधायकों को आवास आवंटन तथा प्रदत्त अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, एक जिज्ञासा माननीय विधायकों की रह गयी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि नये विधायक जो अभी आवास प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं हम उनको आवास देंगे। माननीय विधायक लोग यह जानना चाहते हैं कि वह आवास लखनऊ में देंगे या नोयडा में देंगे।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

विधायक लोगों को लखनऊ रहना है या नोयडा में रहना है

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरा का पूरा सदन काफी प्रफुल्लित है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम ऐसी घोषणायें की हैं जिससे समस्त 403 विधायक खुश हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमें आठ किलोमीटर सड़कें देने की बात कही है तो उसमें अनुरोध यह है कि शहर में कुछ ऐसे मोहल्ले भी होते हैं जो बड़ी–बड़ी सोसाइटी के बनाये हुये पुराने मुहल्ले हैं, तो यदि उसमें वह सड़कें घूम जाये और आठ किलोमीटर दे दी जाये, तो जनता को ज्यादा राहत हो सकेगी। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पांच–पांच जनेश्वर गांव दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। तीसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायकों को लोहिया ग्राम दिए जाने की बात की है, तो शहरों में लोहिया ग्राम और आवास तो हैं नहीं, ऐसी स्थिति में यदि जिन शहरों में काशीराम आवास खाली पड़े हुये हैं, उसमें से यदि वह आवास विधायक के कोटे में दे दिये जाये तो शहर के तमाम लोगों को लाभ होगा। जहां तक फ्लैटों का मामला है तो उसमें 403 विधायकों को शामिल किया जाये और जिस विधायक को लखनऊ में फ्लैट

चाहिये उसे लखनऊ में दिया जाये और जिसे नोएडा में चाहिये उसे नोएडा में दिया जाये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विधायक लखनऊ में फ्लैट चाह रहे हैं, उन्हें यहां दे दिया जाये और यदि हम पश्चिम वाले विधायक नोएडा में फ्लैट चाहते हैं तो हमें नोएडा में दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का पुनः धन्यवाद देते हुए अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि जो नेता प्रतिपक्ष और नेता, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कर्मचारियों के बारे में कहा मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। धन्यवाद।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक–दो बातें कहना चाहता हूं और माननीय विधायकगणों से मेरा अनुरोध है कि कृपया शांतिपूर्वक सुनें। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के बीच में एक–दो सुझाव देना चाहता हूं। चार वर्ष हमारे सभी साथियों के बहुत शांतिपूर्वक बीत गये, आपने किसी को कोई टेंशन नहीं दिया। मैं सभी विधायकों की तरफ से खूब बातचीत करता हूं कि आपके कार्यकाल में आपकी तरफ से कभी किसी भी विधायक को जो भी आपके पास गया किसी भी मामलें में आपने किसी को टेंशन नहीं दिया। चार वर्ष में जो भी माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गया काम जो होने थे वह हुये और जो नहीं हो सकते थे हो सकता है कि नहीं हुये होंगे। लेकिन मैं यह कह सकता हूं और सभी विधायकों की आवाज है कि चाहें कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का हो उसे कभी आपने कोई समस्या नहीं दी और न ही कभी कोई टेंशन दिया। आपके व्यवहार से हम सभी लोग बहुत प्रभावित हैं और आपके बड़े आभारी हैं। आपने यह घोषणा की है और अपने सीमित संसाधनों के बीच में जो भी आप कर सकते थे आपने करने का प्रयास किया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। कर्मचारियों के लिए भी कहा था। एक–दो सुझाव मेरे हैं आप मान सकें तो थोड़ा ध्यान दे दें। मैं यह कह रहा हूं कि जैसे अभी कूपन वाली बात आई कि कूपन बढ़ाये जाये। आज स्थिति यह है कि विधायकों के डीजल में सब कूपन कट जाते हैं और इसके बाद केवल 96000 के कूपन रह जाते हैं। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और सहारनपुर, बिजनौर आदि दूर के जनपदों से यहां पर आते हैं। हमारे सभी के कूपन खत्म हो गये हैं, कूपनों की तादाद बढ़ाई जाये। जहां तक विधायक निधि का सवाल है, दिल्ली हमारे बगल में है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप कई बार इस सदन में कह चुके हैं, बार–बार वही कहते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

चाहे आप 50 लाख रुपया और बढ़ा दें, ज्यादा न बढ़ा सकें दिल्ली के बराबर। यह सभी विधायकों की मांग है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये हो गया, बैठिये, आप कितनी बार इस बात को रखेंगे।

(विपक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

अब चलो चुनाव में। अब क्या बढना। अब आप बैठिये ठाकुर साहब।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी जनेश्वर मिश्र योजना सारी योजनाओं में बहुत सफल और बहुत अच्छी योजना है लेकिन सभी विधायकों का मन है कि आप अंतिम वर्ष में सभी विधायकों को समान भाव से वितरण करा दें। आप स्वंय भी चाहते हैं कि सभी जीतकर आये एज इट इज।

श्री अध्यक्ष–

अभी अन्तिम नहीं, अभी भविष्य भी है। माथुर साहब इनको समझाइये।

श्री दलवीर सिंह–

मुख्य मंत्री जी आपने घोषणा की है कि सभी विधायक एज इट इज जीतकर आवें। हम भी सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन एक सुझाव है कि 5–5 गांव या 4–4 गांव इस साल में आप दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप वही बात कितनी बार कहेंगे, आप हर बार वही सुझाव देते हैं। हो गया अब आप और विषयों को लेने दीजिये।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जनेश्वर मिश्र योजना आपकी सबसे अच्छी योजना है। यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है और आप 50 लाख रुपया विधायक निधि, सबके लिये जनेश्वर मिश्र योजना में 5–5 गांव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिये कूपन बढ़ा दें। हमारे सब कूपन खत्म हो गये और बहुत महंगा रेट हो गया रेलवे का। तो हमारे कूपन बढ़ाये जायें। आपके जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सब बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं भी कहा है कि सभी विधायक जीत कर आयें।

श्री अध्यक्ष–

ठाकुर साहब अब बैठिये ।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी आप जरूर बनायें और जरूर इसकी घोषणा करें, यह भी मैं आपसे मांग करता हूं। विधायक निधि 50 लाख बढ़ाने की घोषणा अभी इसी वक्त करा दें।

श्री अध्यक्ष–

जो मिल जाये, उसकी मांग करिये, जो नहीं मिलना उसके लिये काहे जान दे रहे हैं। अब बैठिये कुछ मिलना नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

वह देने के लिये तैयार हैं। 50 लाख रुपया विधायक निधि जरूर बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी एक सुझाव आया था कि आपने विधायकों को 25 लाख जो दवा के लिये दिया है यह केवल पी0जी0आई0 और मेडिकल कालेज में होता है कभी–कभी गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है गरीब लोगों का और जिला अस्पताल में दवा के लिये वह जाते हैं, जब हम लोगों से वह पैसा मांगते हैं कि 20 हजार, 15 हजार, 10 हजार की जरूरत है और हम लोग देना चाहते हैं तो जो हमारे सी0डी0ओ0 होते हैं, वह इसके लिये मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो दवा मेडिकल कालेज और पी0जी0आई0 में होगी उसके लिये ही रुपया दिया जायेगा। इसलिये इस पर आप विचार कर लें कि गरीब आदमी, छोटा आदमी जो एक्सीडेंट का शिकार होता है, यहां नहीं आ पाता है और जिला अस्पताल पर ही इलाज कराता है तो यह जिला अस्पताल के लिये भी आप कर दें कि हम लोग वहॉ जिला अस्पताल के लिये भी पैसा दे सकें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने सुझाव दिया है हम तो देना चाहते थे आपको अगर याद हो। माननीय सदस्य जानते होंगे हम तो विधायकों को बहुत कुछ देना चाहते थे, हम तो गाड़ी भी देना चाहते थे आप याद कीजिये, तो गाड़ी छीन ली इन्होंने। यह जो दवा वाला सुझाव है इस पर जरूर रास्ता निकाला जायेगा कि जिला अस्पताल में भी उनको वह सुविधा मिल जाये। वहीं जो मा0 नेता प्रतिपक्ष ने मानदेय/पुरस्कार की मांग की है सात हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर आठ हजार करने की बात की है तो इसको बढ़ाने का निर्णय सरकार ले लिया है। उन्होंने लिफ्ट वालों की समस्या का जिक्र किया, नेता प्रतिपक्ष ने इसलिए बताया क्योंकि मैं लिफ्ट में बन्द हो गया था। बहुत कम सदस्यों का सौभाग्य होगा कि वह अपनी पत्नी के साथ बन्द हुए हों। जब लिफ्ट में मैं बन्द था, जब वी0आई0पी0 लिफ्ट में बन्द हो तो समझ लो कि क्या हालत होगी उसकी। अन्दर वाले दरवाजा तोड़ना चाहते हैं, बाहर वाले दरवाजा तोड़ना चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है यहां पर इसलिए हमने अपने अधिकारियों को उस समय निर्देश दिया कि कम से कम जो लिफ्ट के अन्दर है उसको पता हो कि उसे क्या करना है अगर लिफ्ट बन्द हो जाए और बाहर के लोगों को भी पता हो कि अगर लिफ्ट बन्द हो जाए तो बाहर वाले क्या करें। तो कम से कम वह तो हो गया लेकिन लिफ्टमैन की व्यवस्था होनी चाहिए परमानेन्ट क्योंकि उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, अब जो मिला उसको चढ़ा दिया लिफ्ट में और उससे कहा कि लिफ्ट ऑपरेट करो तो वह दिक्कत तो आती है सामने, लेकिन कुछ व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए, वह करेंगे उनका भी और कैफेटेरिया अच्छी हो, यह हम भी चाहते हैं, सामने बिल्डिंग बन रही है मुख्य मंत्री कार्यालय की, वहां कई सारे ऑफिसेज जा सकेंगे, बहुत सारे कर्मचारियों की जगह भी ऐसी बन जाए क्योंकि यह सदन, लेजिस्लेशन हमारे आपके कामकाज के लिए है और हमें तथा आपको जो सुविधा देते हैं, मदद करते हैं, साथ में उनकी समस्याओं का भी समाधान हो तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और क्या होगा लेजिस्लेशन और

डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए जो पुरानी मांग है लोक सभा की तरह तो उस पर बहुत विचार करना पड़ेगा, बैठ करके कोई रास्ता निकालें क्योंकि एक बार शुरुआत हुई तो पता नहीं कितना सरकार के खजाने से सीमित साधनों में देना पड़ेगा। हमारे दादा आदरणीय दलवीर सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये, आपने ही कहा था कि फ्लैट मिलने चाहिए, घर सदस्यों को मिलना चाहिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, हमारा कहना है कि जो वेस्टर्न यू0पी0 के लोग हैं उनको नोएडा या गाजियाबाद में मिले और लखनऊ वालों को लखनऊ में मिले।

श्री अखिलेश यादव–

उसे देखेंगे, हम यह चाहते हैं कि अगर वह क्षेत्र में लेना चाहे तो क्षेत्र में बनवा दें। कुछ शहरी लोगों की समस्या है कि जैसे गांवों के लिए हैण्डपम्प दिये हैं तो शहरी सदस्य चाहते हैं कि पैसा उतना ही रहे और हमें सबमर्सिबल लगाने के लिए मौका मिल जाए, तो उस पर विचार करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। वहीं आवास मैं समझता हूं कि लखनऊ में होना चाहिए, लखनऊ में आवास मिलेगा, जिनके पास आवास नहीं हैं उनके लिए हम रास्ता निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। कूपन, वेतन और विधायक निधि पर मैं समझता हूं मा0 अध्यक्ष जी आप निर्णय लें और ऑल पार्टी विधायक की एक कमेटी बना लें और सब बैठ करके रास्ता निकालें कि क्या हो सकता है, दूसरे प्रदेशों के बारे में भी जो सूचना है उसे इकट्ठी कर लें। कैसे सम्भव होगा अपने इन साधनों के साथ–साथ, इस पर जरूर विचार करें। मैं सभी सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग हमेशा मिला है और ऐसा ही सदन हमेशा दिखता रहे यही हमारी कामना है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख03.38, मुजफ्फरनगर दंगों पर स्टिंग आपरेशन की जांच हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 मार्च, 2016 पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

एक प्रस्ताव है, इसे मैं पढ़ रहा हूं।

आज सदन में मुजफ्फरनगर दंगों के विषय में गठित की गई जांच समिति की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 मार्च, 2016 पर चर्चा नियत है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में किये जाने वाली सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सदन द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया जाना प्रस्तावित है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सदन की कार्यवाही स्थगित करने के सम्बन्ध में पारित किये गये स्थगनादेश को निष्प्रभावी करने का अनुरोध किया जाए। सदन द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव की भूमिका में जांच समिति के गठन, समिति की संस्तुतियों तथा उसके सन्दर्भ में सदन द्वारा की गई कार्यवाही एवं मा0

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये प्रश्नगत आदेश से सम्बन्धित तथ्य वर्णित किये गये हैं, जिनको कि प्रस्ताव के प्रथम भाग के रूप में कार्यवाही का अंग माना जाये। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सम्बन्ध में किये गये स्टिंग ऑपरेशन की जांच हेतु गठित की गई संसदीय समिति की संस्तुतियों पर चर्चा एवं निर्णय लिये जाने के सन्दर्भ में सदन की कार्यवाही स्थगित करने के विषय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2016 को पारित किये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 08–03–2016 के उपवेशन में प्रस्तुत प्रस्ताव।

भूमिका

1–दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को ''आज तक'' एवं ''हेड लाइन्स टुडे'' (वर्तमान में ''इण्डिया टुडे'') न्यूज़ चैनल पर क्रमशः ''आपरेशन दंगा'' एवं श्व्चमतंजपवद त्पवजे वित टवजमेश शीर्षकों के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर दंगों के विषय में ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' द्वारा सम्पादित किये गये स्टिंग ऑपरेशन को प्रसारित किया गया। दिनांक 18 सितम्बर, 2013 को ''आज तक'' चैनल पर ''ऑपरेशन दंगा'' पार्ट–2 प्रसारित किया गया। इन प्रसारणों में मुख्य रूप से यह दर्शाया गया कि मुजफ्फरनगर में तत्समय तैनात विभिन्न अधिकारियों के स्टिंग ऑपरेशन के अनुसार दंगों के मुख्य संदिग्धों को राजनीतिक दबाव के कारण रिहा कर दिया गया एवं दंगों की गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विशिष्ट रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य एवं मंत्री श्री मो0 आजम खाँ के विरुद्ध प्रसारण में यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश देकर दंगों के संदिग्ध अपराधियों को रिहा कराया।

2–उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 सितम्बर, 2013 के उपवेशन में नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–56 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन में श्री मो0 आजम खाँ की भूमिका को लेकर उठाये गये सवालों के विषय में एक सूचना प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया कि यदि श्री मोहम्मद आजम खाँ के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही हैं तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता विरोधी दल द्वारा इस पर बल दिया गया कि इस प्रकरण की जांच कराई जाये। दिनांक 19 सितम्बर, 2013 के विधान सभा के उपवेशन में मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किये गये स्टिंग ऑपरेशन की सत्यता की जांच एवं अन्वेषण हेतु एक संसदीय समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया जोकि सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को सात सदस्यीय संसदीय समिति के गठन की अधिसूचना निर्गत की गई, जिसमें कि विधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को नामित किया गया।

3–सदन द्वारा गठित की गई उक्त संसदीय समिति द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 को जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' के उक्त चैनलों द्वारा समिति को स्टिंग ऑपरेशन से सम्बन्धित रॉ फुटेज व शूटेड मैटीरियल साक्ष्य के

रूप में कई बार अनुरोध करने के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिसको कि जांच में अवरोध मानते हुए सदन की अवमानना माना गया एवं एक अन्तरिम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें इस आशय की संस्तुतियाँ की गई कि ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' की ओर से प्रश्नगत जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, अतः प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध अवमानना का एवं सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है। सदन द्वारा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रस्तावित संस्तुतियों से सहमति व्यक्त करते हुए उन्हें स्वीकार किया गया। सदन के निर्णय के अनुसार श्री सुप्रिय प्रसाद, अधिशासी निदेशक व चैनल हेड ''आज तक'' तथा न्यूज चैनल ''इण्डिया टुडे'' को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारम्भ की जाए। इसके पश्चात् ही ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' की ओर से समिति को रॉ फुटेज आदि के साक्ष्य उपलब्ध कराया गये एवं ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' के पदाधिकारीगण समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए।

4—समिति द्वारा की गई जांच के दौरान विशेषज्ञ साक्ष्यों से यह प्रदर्शित हुआ कि ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' की ओर से जो रॉ फुटेज/शूटेड मैटीरियल समिति से उपलब्ध कराया गया था, वह मौलिक एवं सही नहीं था, जिसको कि मौखिक साक्ष्य में ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार भी किया गया।

5—समिति द्वारा ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' के सभी पदाधिकारियों एवं एंकर को जांच के दौरान पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया एवं उनके मौखिक साक्ष्य अंकित किये गये। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में तत्समय तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, जिनका कि स्टिंग ऑपरेशन कथित रूप से किया गया था, उनके साक्ष्य भी अंकित किये गये। समिति द्वारा ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' द्वारा जांच के दौरान प्रस्तुत किये गये रॉ फुटेज एवं कैमरा आदि को फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया गया एवं विशेषज्ञ साक्ष्य भी लिया गया।

6—समिति द्वारा विस्तृत जांच करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन जिस प्रकार से उपरोक्त नयूज़ चैनलों पर प्रसारित किया गया था, वह गलत था एवं स्टिंग ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्री मो0 आजम खाँ का नाम नहीं लिया गया था। साक्ष्य के दौरान ऐसा कहीं प्रदर्शित एवं सिद्ध नहीं हुआ कि श्री मो0 आजम खाँ द्वारा किसी भी अधिकारी को दूरभाष पर यह निर्देश दिये गये हों कि दंगों के अपराधियों को रिहा कर दिया जाये अथवा यह कि दंगों से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया गया। समिति जांच के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस प्रकार से प्रश्नगत स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया गया था, उसका कोई आधार नहीं था एवं वह सर्वथा सत्य से परे था।

7—समिति द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियां की गयीं:—

1—टी0वी0 टुडे नेटवर्क के पदाधिकारी श्री सुप्रिय प्रसाद, मैनेजिंग एडिटर ''आज तक'', श्री मनीष कुमार, आउटपुट हेड ''आज तक'', श्री दीपक शर्मा, एडिटर एस0आई0टी0, श्री अरूण सिंह, तत्कालीन रिपोर्टर ''आज तक'', श्री राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर, ''हेडलाईन्स टुडे'', (जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तित करके ''इण्डिया टुडे'' कर दिया गया है) श्री पुण्य प्रसून बाजपेयी, एडिटर/एंकर ''आज तक'' श्री गौरव सावंत, एंकर ''हेड लाईन्स टुडे'', सुश्री पद्मजा जोशी, तत्कालीन एंकर ''हेडलाईन्स टुडे'', सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं मा0 मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां की अवमानना हेतु दोषी हैं। मा0 सदन द्वारा इनके विरुद्ध दण्ड के विषय में निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है।

2—चूंकि टी0वी0 टुडे नेटवर्क की ओर से समिति को मूल रॉ फुटेज एवं वह कैमरा, जिससे स्टिंग आपरेषन शूट किया गया था, उपलब्ध नहीं कराया तथा रॉ फुटेज के स्थान पर अन्य फुटेज यह कहकर उपलब्ध कराये कि वह रॉ फुटेज हैं, अतः टी0वी0टी0एन0 के सम्बन्धित पदाधिकारी समिति के विशेषाधिकारों की अवहेलना के भी दोषी हैं। चूंकि समिति सदन का विस्तार होता है अतः इसे सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना माना जायेगा। इस सम्बन्ध में भी सदन द्वारा स्वविवेक से दण्ड निर्धारित करने के विषय में निर्णय लेने की संस्तुति की जाती है।

3—टी0वी0टी0एन0 के ''आज तक'' एवं ''हेडलाईन्स टुडे'' चैनलों के मैनेजिंग एडिटर श्री सुप्रिय प्रसाद एवं श्री राहुल कंवल, स्टिंग ऑपरेशन टीम के सभी सदस्य श्री दीपक शर्मा, श्री अरूण सिंह एवं श्री हरीश शर्मा ''आज तक'' के आउटपुट हेड श्री मनीष कुमार एवं इन चैनलों के एंकर श्री राहुल कंवल, श्री पुण्य प्रसून बाजपेयी, श्री गौरव सावंत एवं सुश्री पद्मजा जोशी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धर्म एवं विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य किये जाने हेतु धारा—153ए, ऐसे विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म का अपमान करके भावनाओं को आहत करने हेतु धारा—295ए, ऐसी घोषणा जो मिथ्या होते हुए भी सच्ची के रूप में जानबूझकर प्रसारित करने हेतु धारा—200, इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना हेतु धारा—463, मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना हेतु धारा—464, धारा—465, ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचना हेतु धारा—469 एवं कूटरचित इलेक्ट्रानिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाने हेतु धारा—471 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, इन सभी पदाधिकारीगण द्वारा प्रथम दृष्टया इन्फॉरमेषन टेक्नोलॉजी एक्ट—2000 के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन भी किया गया है। अतः भारतीय दण्ड संहिता एवं

इन्फारमेशन टेक्नालाजी एक्ट के अन्तर्गत उक्त आपराधिक मामलों के विषय में शासन के गृह विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है इनके अतिरिक्त भी यदि प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कोई अन्य आपराधिक कृत्य उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध परिलक्षित होता है तो उनके सम्बन्ध में भी सुसंगत विधियों के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने की संस्तुति की जाती है।

4—प्रस्तुत प्रकरण में जिन प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उनके द्वारा जिस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन की टीम के समक्ष आचरण किया गया वह प्रथम दृष्टया सेवा आचरण नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के विपरीत है, अतः समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि शासन के गृह विभाग एवं नियुक्ति विभाग को इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये जायें। यदि इन प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य परिलक्षित होता है तो उसके सन्दर्भ में भी सुसंगत विधियों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने की संस्तुति की जाती है।

5—टी0वी0 टुडे नेटवर्क के उपर्युक्त वर्णित सभी पदाधिकारीगण केवल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 की धारा—5, के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु शासन के गृह विभाग को निर्देश दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

6—टी0वी0टी0एन0 तथा उसके ''आज तक'' तथा ''हेडलाईन टुडे'' चैनल (वर्तमान में ''इण्डिया टुडे'') के विरुद्ध केबिल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट—1995 की धारा—20 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

7—उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह भी संस्तुति की जाती है कि भारत सरकार को इस आशय का प्रस्ताव प्रेषित किया जाय कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के विनियमन एवं संचालन हेतु एक विषिष्ट विधि का निर्माण किया जाये, जिसके अन्तर्गत इस हेतु रेग्युलेटरी प्राधिकारी/अधिकरण की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाये, जिससे कि इलेक्ट्रानिक मीडिया क्षेत्र में शुचिता एवं विश्वसनीयता बनी रहे तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का दुरुपयोग न हो सके।

8—दिनांक 16—02—2016 को उक्त समिति की रिपोर्ट विधान सभा में समिति के सभापति द्वारा प्रस्तुत की गयी। दिनांक 23—02—2016 को समिति की

उक्त रिपोर्ट पर विधान सभा के सदन में चर्चा हुई, जिसमें कि विधान मण्डल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने मत प्रदर्शित किये गये एवं अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुतियों के विषय में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व टी0वी0 टुडे नेटवर्क के उन सभी पदाधिकारियों, जिन्हें समिति द्वारा दोषी पाया गया, को सदन के समक्ष दिनांक 26–02–2016 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जायं। दिनांक 26–02–2016 को टी0वी0 टुडे नेटवर्क की ओर से इस आशय का एक अनुरोध–पत्र प्रस्तुत किया गया कि उन्हें सदन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जाय तथा समिति के प्रतिवेदन की प्रति भी प्राप्त करायी जाय, जिससे कि वह अपना पक्ष सदन में उपयुक्त रूप से प्रस्तुत कर सकें। सदन द्वारा टी0वी0 टुडे नेटवर्क की ओर से किये गये अनुरोध पर विचार करके न्यायहित में समय प्रदान किया गया तथा टी0वी0 टुडे नेटवर्क के समस्त पदाधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये गये कि वह दिनांक 04–03–2016 को सदन में उपस्थित हों। सदन के निर्देशों के अनुपालन में टी0वी0 टुडे नेटवर्क के प्रतिनिधियों को समिति की जांच की प्रतिलिपि पुनः उपलब्ध कराई गई एवं उनसे यह अपेक्षा की गयी कि वह सदन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9–दिनांक 03–03–2016 को टी0वी0 टुडे नेटवर्क के उन सभी पदाधिकारियों जिनको कि समिति द्वारा दोषी पाया गया था, द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी, जिसमें कि दिनांक 04–03–2016 को सुनवाई के उपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

मि0 गौरव भाटिया, लार्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल एपेयरिंग आन बीहेल्फ आफ रिस्पांडेन्ट नं0 1, 2 एण्ड 3 असिस्टेड दिस कोर्ट आन द सब्जेक्ट आफ पासिंग आफ एन इन्टरिम आर्डर। वी हैव हार्ड हिम ऐट सम लेन्थ। ही हाउइवर सीक्स सम टाइम टू फाइल काउण्टर एफीडेविट सो एस टू एनेबिल हिम टू प्लेस द कम्पलीट पिक्चर आफ दिस कन्ट्रोवर्सी आन द रिकार्ड आफ दिस केस।

प्रेयर इज एलाउड।

नीडफुल बी डन विदहिम फोर वीक फ्राम टुडे।

लिस्ट फार हियरिंग देयरआफ्टर।

इन द मीनटाइम द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटीशनर बाई द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली शैल रिमेन स्टेड।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने के सम्बन्ध में पारित किये गये उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में सदन द्वारा 08–03–2016 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है :–

<u>प्रस्ताव</u>

संवैधानिक रूप से विधान सभा की कार्यवाही सम्पादित एवं संचालित किये जाने हेतु सदन अनन्य अधिकारिता (एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन) धारित करता है। यह सदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण रूप से सम्मान करता है, परन्तु सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 138/2016 (सुप्रिय प्रसाद एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 04–03–2016 को पारित आदेश संवैधानिक रूप से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। संवैधानिक योजना के अन्तर्गत माननीय न्यायालय एवं विधायिका के कार्य क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित किये गये हैं तथा इनमें आपस में कोई विरोधाभास (कन्फिलिट) नहीं है। सदन को अपनी कार्यवाही सम्पादित एवं संचालित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में सदन की सम्प्रभुता पर कोई प्रतिबन्ध लगाना संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है।

अपनी शक्तियों (पावर्स), विशेषाधिकारों (प्रिविलेजेज) एवं उन्मुक्तियों (इम्यूनिटीज) का प्रयोग करने हेतु सदन की अधिकारिता संवैधानिक रूप से आत्यान्तिक एवं अनन्य है।

प्रस्तुत प्रकरण में जांच समिति की संस्तुतियों के विषय में सदन द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। जांच समिति द्वारा ''टी0वी0 टुडे नेटवर्क'' के जिन पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है, उन्हें सदन के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्णित स्थिति में सदन की कार्यवाही स्थगित किया जाना विधि के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ सदन यह प्रस्ताव पारित करता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया जाये कि दिनांक 04–03–2016 को रिट याचिका सं0–138 सन् 2016 (सुप्रिय प्रसाद एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के विषय में पारित किये गये आदेश पर पुनर्विचार किया जाये तथा उसे इस आशय से संशोधित, परिवर्तित एवं निष्प्रभावी किया जाये, जिससे कि प्रस्तुत प्रकरण में सदन की कार्यवाही बाधित न हो एवं जांच समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में अग्रतर कार्यवाही सदन में सम्पादित की जा सके।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर हमारी बात तो आ जाये। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम अपने दल का पक्ष रखना चाहते हैं। मान्यवर, मेरी बात आ जाये। माननीय अध्यक्ष जी, सदन अपने आप में सर्वोच्च है, सदन की सम्प्रभुता बनी रहे हम इसके पक्षधर हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान है लेकिन साथ–साथ हमारा यह कहना है

कि विधान सभा की कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी का नहीं होना चाहिए, एक बात। लीगल पहलू पर हम इस बात पर सहमत हैं लेकिन जिस सन्दर्भ में यह आदेश आया है, उस सन्दर्भ से भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने आपको अलग कर चुकी है। मान्यवर, मुफ्फरनगर के सम्बन्ध में स्टिंग ऑपरेशन की जो रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई भारतीय जनता पार्टी उससे असहमति व्यक्त कर चुकी है और उससे अपने आपको अलग कर चुकी है। इसलिए दोनों पहलू को क्लब न किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

लीगलटी में हम आपके साथ हैं, सदन की सम्प्रभुता में साथ हैं लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों के सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी की असहमति है।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों, कृपया 'हां' कहें,

जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों, कृपया 'नहीं' कहें,

'हां' की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ख03.43, नियम–51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 08–03–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 80 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें दिनांक 06–03–2016 को मा0 सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त 49 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री दलजीत सिंह	मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है,
2	श्री उपेन्द्र तिवारी	वी0के0 इण्टर प्राइजेज हरिपुर बलिया में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पार्टनरशिप होने के सम्बन्ध में है,
3	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा की अल्कापुरी दयालबाग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये के सम्बन्ध में है,
4	श्रीमती बिमला बाथम	जनपद नोएडा की कच्ची कालोनी में मूलभूत सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में है,
5	श्री गंगा सिंह कुशवाहा	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर स्थित सीपेट इंस्टीट्यूट के समीप उत्तम विहार कालोनी में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

6	श्री अनिल कुमार दोहरे	स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0 प्र0 में कार्यरत संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है,
7	श्री मो0 रिजवान	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0 प्र0 में कार्यरत संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है,
8	श्री सुदेश शर्मा	स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0 प्र0 में कार्यरत संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है,
9	श्री वेदराम भाटी	स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0 प्र0 में कार्यरत संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है,
10	श्री तेजपाल सिंह	स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0 प्र0 में कार्यरत संयुक्त निदेशक, क्षय द्वारा अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में है,
11	श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सा कर्मचारी की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है,
12	डा0 धर्मपाल सिंह	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में सूखी पड़ी नहरों की सफाई एवं खुदाई कर पानी टेल तक पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है,
13	श्री अमित गौरव यादव	जनपद सिद्धार्थनगर के खुनियांव विकास खण्ड के अन्तर्गत मदरसे में शिक्षा का स्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है,
14	श्री मो0 गाजी	राजकीय कालोनी डायमण्ड डेयरी के ईडी 13 से ईडी 24 तक के आवासों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
15	श्री आदिल शेख	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
16	श्री राधेश्याम	जनपद अमेठी के जगदीशपुर कस्बा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है,
17	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में

		विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु कतिपय कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,
18	श्री वीरपाल राठी	जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर के मार्ग पर लगे विशेष अवरोधक हटाये जाने के सम्बन्ध में है,
19	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सकरन के प्राथमिक विद्यालय जिजौली के अध्यापक श्री बृज बिहारी त्रिवेदी का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है,
20	श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईसा नगर में इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों के नाम में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है,
21	श्री लोकेन्द्र सिंह	स्पोर्ट सिटी सेक्टर 79 नोएडा को प्राधिकरण द्वारा आवंटित धनराशि के अनुरूप कार्य न कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
22	श्री प्रदीप माथुर	नोएडा के नियमित/पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवा विस्तार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
23	श्री सुरेश राणा	जनपद शामली के जिला मुख्यालय के निर्माण के समय अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
24	श्री जाकिर अली	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के अन्तर्गत कब्रिस्तानों की बाउन्ड्रीवाल निर्माण में अनियमितता तथा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है,
25	श्री मोहम्मद यूसुफ अन्सारी	जनपद कानपुर देहात के ग्राम शेखपुर, ब्लाक डेरापुर अन्तर्गत वीरेन्द्र यादव के मकान के पास बने चबूतरे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
26	श्री सन्त राम कुशवाहा	जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ में आलू भण्डारण करने हेतु कोल्ड स्टोर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है,
27	श्री अली यूसुफ अली	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरउवा, वि0ख0 स्वार में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

28	श्री कमाल यूसुफ मलिक	उ0 प्र0 के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों के पुत्रियों की शादी अनुदान की राशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है,
29	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	जनपद इलाहाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा नैनी अवन्तिका आवास योजना तथा योजनाओं में मांगे जा रहे अनियमित, अवैधानिक तथा मनमाने अनुरक्षण शुल्क समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में है,
30	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	जनपद झांसी के नगर निगम मृतक सफाई कर्मियों के आश्रितों के नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है,
31	श्री मुसर्रफ अली बिट्टन	जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी, वि0ख0 सहसवान के कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
32	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के विभिन्न इन्सेफ्लाइटिस वार्डों में कार्यरत 440 कर्मियों को पदानुसार समान वेतन देने तथा उनका विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
33	श्री फेरन लाल	जनपद प्रतापगढ़ के वि0ख0 सण्डवा चंदिका स्थित ग्रा0, पो0 कोठा नेवड़िया निवासी मो0 साबिर पुत्र श्री स्व0 इम्तियाज अहमद तथा जोहरा बेगम को विकलांग पेंशन 2015–16 को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
34	श्री विजय कुमार पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु, ब्लाक जोगिया स्थित खजुर डाढ़ पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
35	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की जीर्ण–शीर्ण बन्धियों का पुनरोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है,
36	श्री कपिलदेव अग्रवाल	जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 22 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है,
37	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी श्रमिकों को आर0एस0बी0वाई0 अन्तर्गत पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

38	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा में यू0पी0पी0एल0सी0एल0 द्वारा मांट ब्रांच गंग नहर के बल्देव राजवाहा तक रीमाडलिंग एवं सी0सी0 लाइनिंग के निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है,
39	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ के सहकारी चीनी मिल साथा मिल को लाभकारी स्थिति में लाने के लिये क्षमता बढ़ोत्तरी के साथ डिस्टलरी यूनिट, एथेनाल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है,
40	श्री सूरज पाल सिंह	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बनायी गयी कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
41	श्री शहजिल इस्लाम	जनपद बरेली में नगर निगम की करोड़ों रुपये की भूमि पर से भाजपा नेताओं द्वारा अवैध रूप से किये गये स्कूल निर्माण को ढहाये जाने के सम्बन्ध में है,
42	श्री संगीत सिंह सोम	प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 की जांच रिपोर्ट में मनरेगा के अनेकों कार्यों पर लाखों रुपये का घपला एवं अनियमितता की पुष्टि होने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में है,
43	श्री रवीन्द्र जायसवाल	वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के सारनाथ के कतिपय मोहल्लों में पक्के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
44	श्री नूर सलीम राणा	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय ग्राम सभाओं के जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है,
45	श्री शमीमुल हक	जनपद कानपुर के मोहल्ला नारायणपुरी में 1 सोडियम लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है,
46	श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य	जनपद शाहजहांपुर में लगी पालीथीन रोक पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है,
47	श्री विजय बहादुर यादव	जनपद गोरखपुर के पालापार टिकरिया मार्ग पर महराजगंज बाजार से आगे बाईं तरफ की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

48	श्री अशफाक अली खां	जनपद मिर्जापुर के ग्राम व पोस्ट गुरूसण्डी, तह0 सदर के अनुसूचित बस्ती में विद्युत सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है,
49	श्री सुनील कुमार लाला	उ0 प्र0 शासन के आयुष अनुभाग–2 में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
50	श्री रामसरन	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता के पद पर तैनाती में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है,
51	श्री मनोज कुमार सिंह तथा	जनपद गोण्डा के तहसील कर्नेलगंज अन्तर्गत ग्राम सकरौर के गाटा संख्या–1987 पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
52	श्री राज कुमार रावत	औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें दिनांक 06–03–2016 को भी प्राप्त हुई थीं, जिन्हें अस्वीकार किया गया :–

क्रम	नाम
1	श्री ओम कुमार
2	श्री सुरेश बंसल
3	श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप
4	श्री जियाउद्दीन रिजवी
5	श्री दीपक पटेल
6	श्री जन्मेजय सिंह
7	श्री राजीव गुम्बर
8	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)
9	श्री धर्मपाल सिंह
10	श्री पंकज गुप्ता
11	श्री सन्त प्रसाद
12	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
13	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
14	श्री संजय कपूर

15	श्री प्रदीप चौधरी
16	श्री जय प्रकाश अंचल
17	श्री विनय तिवारी
18	श्री बंशी सिंह पहाड़िया
19	श्री गुटियारी लाल दुबेश
20	श्री सतीश महाना
21	श्री भीम प्रसाद सोनकर
22	श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
23	श्री रविदास मेहरोत्रा
24	श्री अगयश राम सरन वर्मा
25	श्री दिलनवाज खान
26	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
27	श्री राधेश्याम जायसवाल
28	श्री काली चरन सुमन
29	श्री रामचन्द्र यादव
30	श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
31	श्री आशीष कुमार यादव

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत कतिपय नहरों पर पुलिया एवं पैदल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाबचन्द सरोज द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

लोक निर्माण (राज्य मंत्री) (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

मान्यवर, प्रश्नगत स्थानों पर विभागीय मानकों के अनुसार पुलिया की साध्यता का परीक्षण...

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(वक्तव्य लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

ख्किया जा रहा है। विभागीय मानकों के अन्तर्गत साध्य पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत स्थानों पर पुलिया निर्माण कराये जाने पर विचार किया जायेगा।,

सदन की आगामी बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। सत्रावसान अभी नहीं हो रहा है। आगे जब बैठक होगी तब आपको सूचना दी जायेगी।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 44 मिनट पर आगामी बैठक तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 08 मार्च, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 41 विधान सभा (67) 06–06–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA